उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०

बीसवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687

2023
2024

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687

दिनांक 31.03.2024 को तुलन पत्र

एवं

दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि का लाभ एवं हानि विवरण

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

निदेशक मण्डल
(दिनाँक 31 मार्च, 2024)

अध्यक्ष
डॉ. आशीष कुमार गोयल

निदेशक

- श्री रणवीर प्रसाद
- श्री पंकज कुमार
- श्री समीर कुमार स्वैन
- श्री सुशांत कुमार दास
- श्री राजीव कुमार
- श्री अरुण कुमार मिश्रा
- श्री पीयूष गर्ग
- श्री राकेश प्रसाद
- श्री नील रतन कुमार
- श्री टी.एस.सी. बोस
- श्री नवीन श्रीवास्तव
- श्री संजय कुमार सिंह
- श्री अनुपम शुक्ला
- श्रीमती सी. इन्दुमती

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री श्रवण बब्बर

कम्पनी सचिव
श्री ऋषि टण्डन

वैधानिक लेखा परीक्षक
जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
मुख्यालय : 2/10, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

बैंकर्स:

भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंक आफ महाराष्ट्र,
इंडियन बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
भारतीय स्टेट बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
बैंक ऑफ इण्डिया,
एच.डी.एफ.सी.,
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक,

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	1-27
2.	निदेशक मण्डल प्रतिवेदन के अनुलग्नक	28-70
3.	तुलन–पत्र	71-72
4.	लाभ एवं हानि का विवरण	73-74
5.	समता परिवर्तन विवरण	75-76
6.	रोकड़ प्रवाह विवरण	77-78
7.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (टिप्पणी संख्या–1)	79-84
8.	लेखों पर टिप्पणियाँ (2–32)	85-100
9.	लेखों पर टिप्पणी (टिप्पणी संख्या–33)	101-112
10.	तुलनपत्र के आंकड़ो हेतु पुनर्स्थापन की अनुसूची	113-115
11.	स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	116-132
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ एवं अवलोकन	133-137
13	सचिवीय सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	138-142

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

आपके निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के कार्य निष्पादन एवं क्रिया कलापों पर 20वीं वार्षिक प्रतिवेदन, सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखा विवरणों की समीक्षाधीन अवधि की समीक्षा प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता हो रही है।

प्रस्तावनाः–

उ.प्र. सरकार की अधिसूचना सं. 2974(1)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के द्वारा उ.प्र.पा.का.लि. से उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. का उद्गम हुआ। अन्तरण योजना के अन्तर्गत पारेषण गतिविधियाँ जिसमें सम्पत्तियों, दायित्वों एवं संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2007 की प्रभावी तिथि से उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. को अंतरित कर दी गई। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार, उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. एक राज्य पारेषणोपयोगी संस्थान है।

वित्तीय प्रदर्शनः–

समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी के वित्तीय परिणामों का विवरण निम्नवत् है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
ऊर्जा के पारेषण से राजस्व	3844.12	3570.79
अन्य आय	538.66	397.59
योग (अ)	**4382.78**	**3968.38**
व्यय		
परिचालन व्यय :		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	578.29	473.43
कर्मचारी लागत	558.73	455.48
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	80.27	76.57
योग (ब)	**1217.29**	**1005.48**

अवक्षयण, ब्याज एवं प्रावधान के पूर्व परिचालन लाभ/(हानि) स=(अ–ब)	**3165.49**	**2962.90**
ब्याज एवं वित्त प्रभार,	1016.41	1045.38
अवक्षयण	2006.75	1834.94
योग (द)	**3023.16**	**2880.32**
अपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) य=(स–द)	**142.33**	**82.58**
अपवादिक मदें	**(489.39)**	**24.80**
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**631.72**	**57.78**
अस्थगित कर	**(36.17)**	**24.64**
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	**667.89**	**33.14**

पिछले पांच वर्षों के लिए प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) रुझानों को नीचे दर्शाया गया है :–

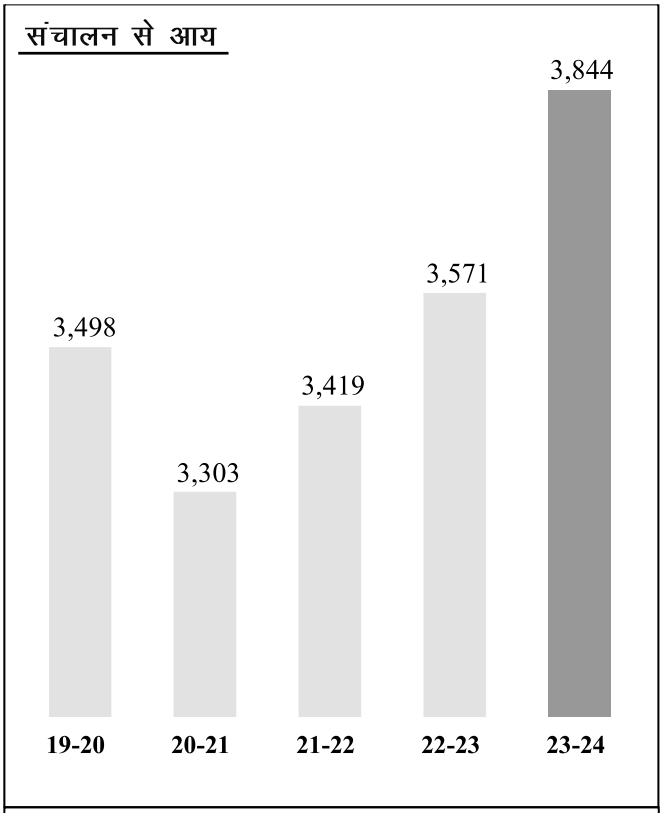

वर्ष वार	7.64% ↑
4–वर्ष सीएजीआर	2.39% ↑

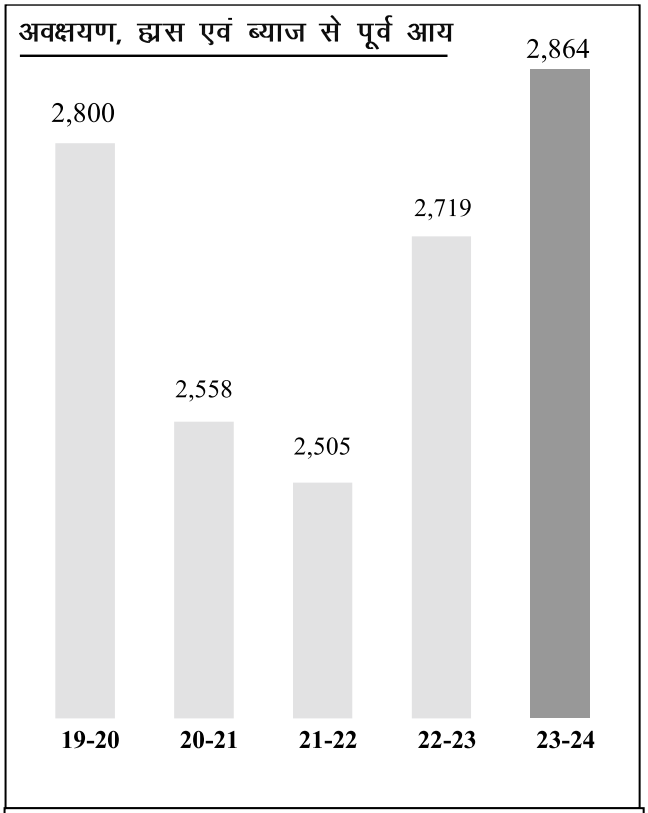

वर्ष वार	5.33% ↑
4–वर्ष सीएजीआर	0.57% ↑

कर के बाद आय

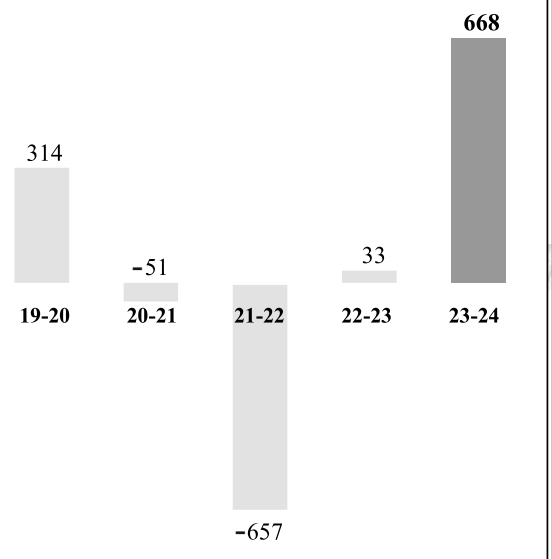

वर्ष वार	1924.24% ↑
4–वर्ष सीएजीआर	20.77% ↑

प्रति अंश आय

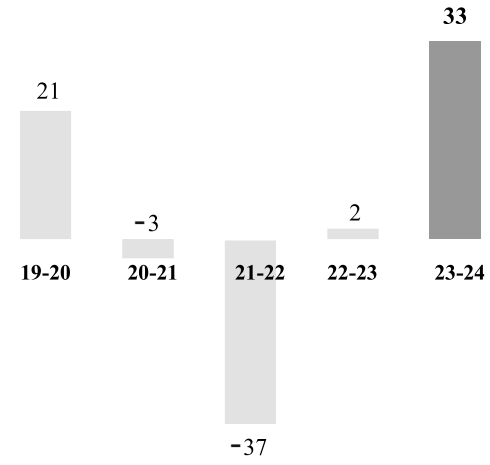

वर्ष वार	17.84.57% ↑
4–वर्ष सीएजीआर	11.46% ↑

शुद्ध संपत्ति

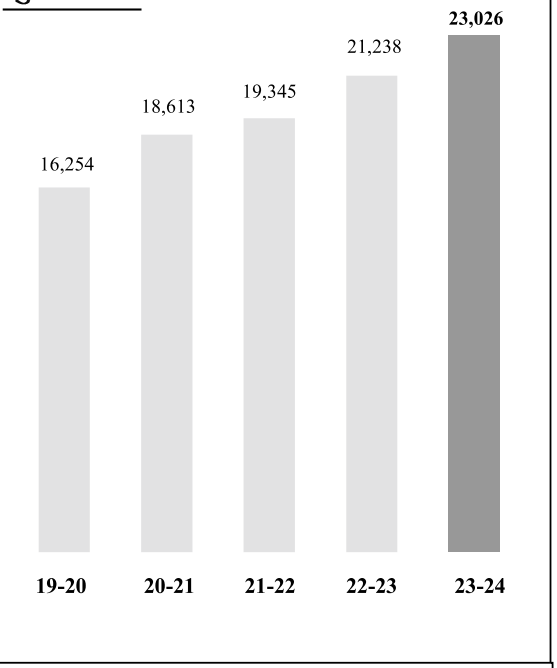

वर्ष वार	8.42% ↑
4–वर्ष सीएजीआर	9.10% ↑

सकल स्थिर परिसंपत्तियाँ

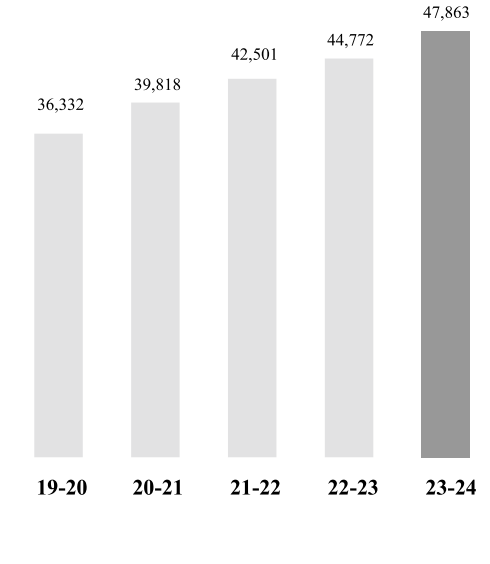

वर्ष वार	6.90% ↑
4–वर्ष सीएजीआर	7.13% ↑

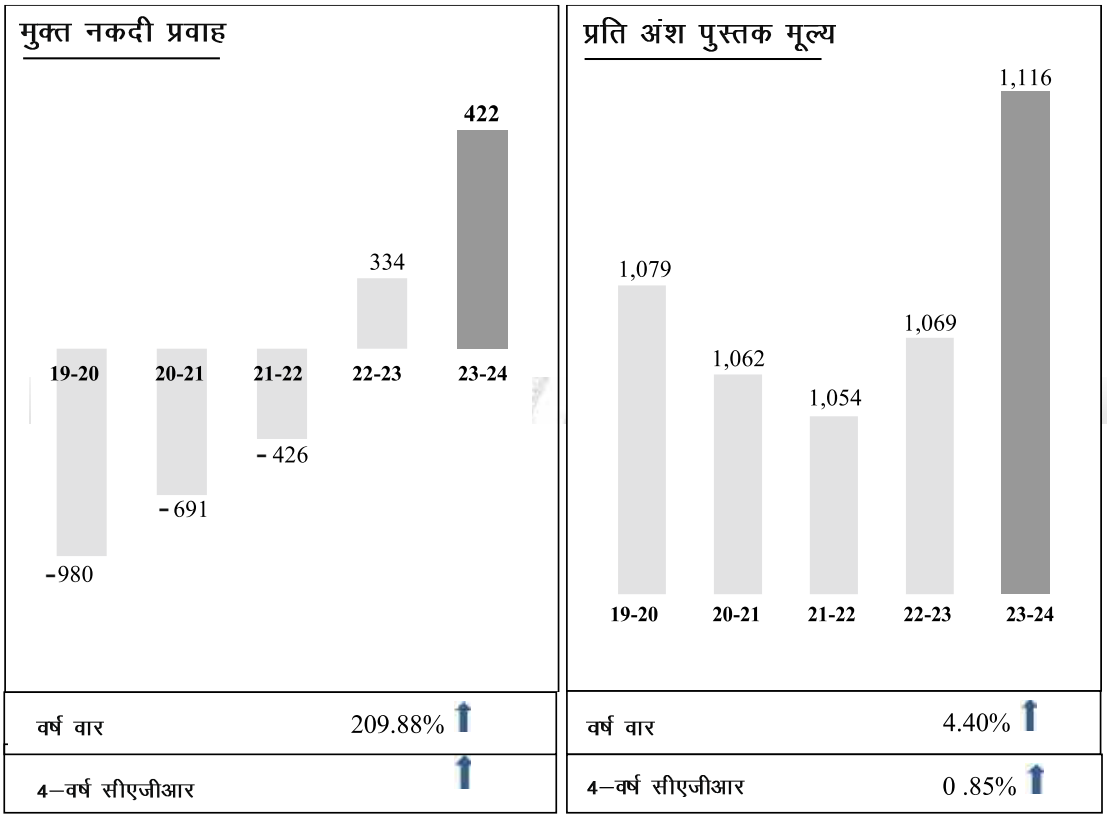

पिछले दो वर्षों के खर्चों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: –

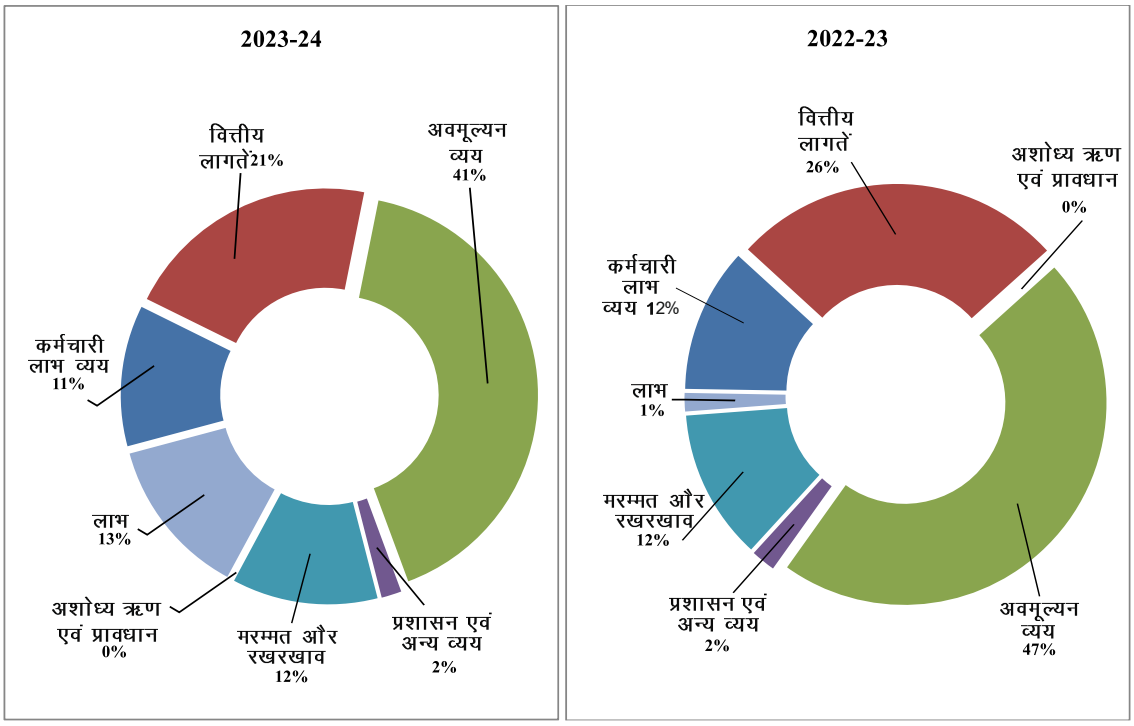

प्रमुख वित्तीय अनुपात

अनुपात	वित्त वर्ष 19–20	वित्त वर्ष 20–21	वित्त वर्ष 21–22	वित्त वर्ष 22–23	वित्त वर्ष 23–24
वर्तमान अनुपात	1.09	1.15	1.24	1.34	1.42
ऋण समता अनुपात	0.80	0.71	0.72	0.62	0.54
ब्याज कवरेज अनुपात	2.15	1.85	1.60	2.41	3.26
स्थिर परिसंपत्तियों का कवरेज अनुपात	2.10	2.19	2.19	2.35	2.59
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	4.94%	3.57%	1.69%	3.13%	4.76%

टिप्पणी :

1. सभी आंकड़े करोड़ में हैं।
2. वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आंकड़े ऑडिट किए गए हैं।
3. वित्त वर्ष 2023–24 के अलावा अन्य आंकड़े पुर्न-स्थापित लेखापरीक्षित आंकड़े हैं।

पूंजी संरचना :–

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 75,93,400 की संख्या में समता अंश उ.प्र. सरकार को ₹1000/– प्रति अंश के मूल्य पर निर्गत किये थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी की समता अंशपूंजी ₹1,98,67,25,82,000/–से बढ़कर ₹ 2,06,26,59,82,000/– हो गयी है जिसमें 1000 प्रति के 20,62,65,982 के समता अंश सम्मिलित है।

मण्डल द्वारा संचय मे अन्तरित करने हेतु प्रस्तावित की गई धनराशि, यदि कोई होः

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध लाभ ₹667.89 करोड़ का हुआ है और इस वर्ष तक ₹ 781.12 करोड़ की संचयी हानि रही। किसी विशिष्ट संचय में धनराशि अन्तरित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिए अनुशंसित राशि (यदि कोई हो)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध लाभ ₹667.89 करोड़ का हुआ है और इस वर्ष तक ₹781.12 करोड़ की संचयी हानि हुयी है। मण्डल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

परिचालन प्रदर्शनः–

अ. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क है। दिनांक 31.03.2023 तक, निगम के पास विभिन्न वोल्टेज स्तर के 644 उपकेन्द्र और 1,49,259 एमवीए की कुल परिवर्तक क्षमता थी।

दिनांक 31.03.2024 को, निगम के पास 765केवी से 132केवी तक के विभिन्न वोल्टेज स्तरों के 668 सब स्टेशन थे और कुल परिवर्तक क्षमता 1,58,898 एमवीए थी। यह इंगित करता है कि वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न वोल्टेज और 9639 एमवीए क्षमता के 24 उपकेन्द्र जोड़े गए।

इसी तरह, दिनांक 31.03.2023 तक निगम 50,916 सर्किट किलोमीटर लाइनों का संचालन कर रहा था जबकि दिनांक 31.03.2024 को निगम 53,788 सर्किट किलोमीटर लाइनों का संचालन कर रहा था। यह इंगित करता है कि 2872 सर्किट कि.मी. वर्ष 2023–24 के दौरान जोड़ी गई लाइनों की मात्रा है। यह नेटवर्क राज्य की पूरी लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है, जिससे पारेषण वितरण इंटरफेस पर निर्बाध प्रवाह और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता की सुविधा मिलती है। वर्ष 2023–24 के दौरान 28284 मेगावाट की चरम मांग को पारेषण प्रणाली द्वारा पूरा किया गया जो वर्ष 2022–23 में पूरी की गई मांग से 6.37% अधिक थी।

वर्ष 2024–25 के दौरान (सितंबर–2024 तक) संचरण प्रणाली द्वारा 30618 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा किया गया, जो 8.25% की वृद्धि को दर्शाता है। इतने बड़े नेटवर्क का सफल संचालन और रखरखाव कुशल संचालन, प्रभावी निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करके संभव हुआ है।

ब. अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन घाटे में कमी, गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने और उपलब्ध ट्रांसमिशन क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए, उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. ने प्राथमिकता के आधार पर 33 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तर पर कैपेसिटर बैंक स्थापित किए हैं।

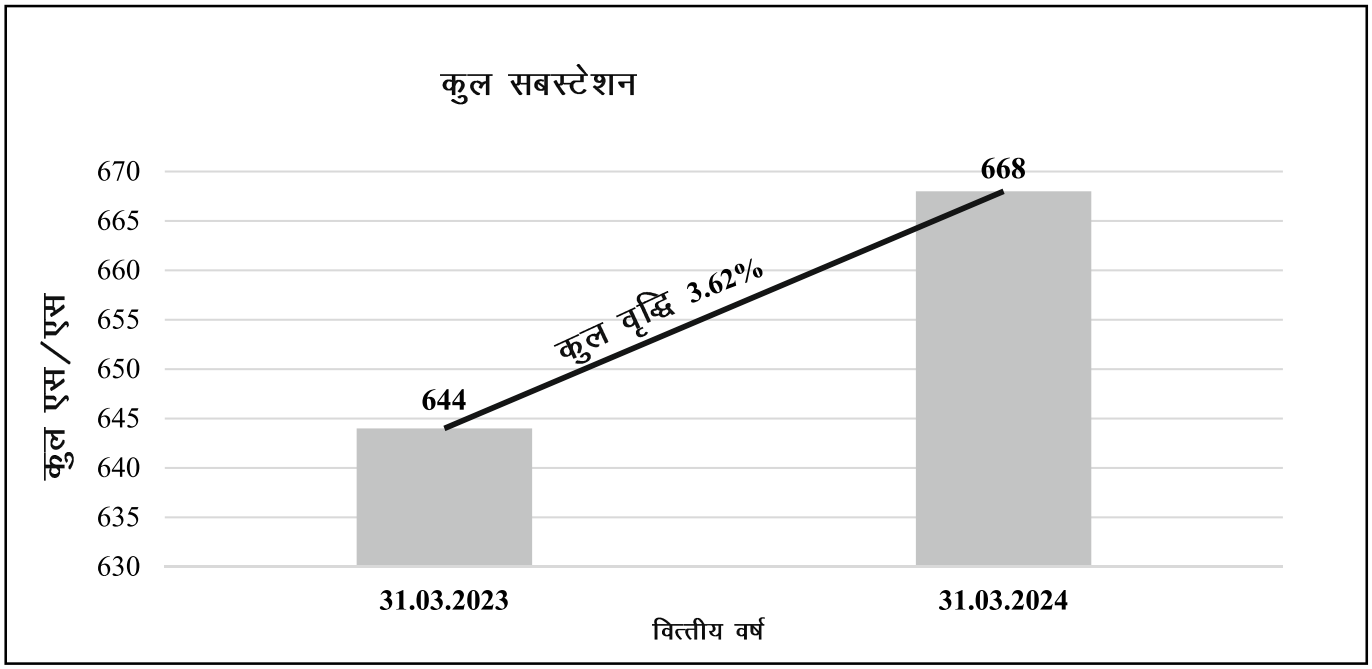

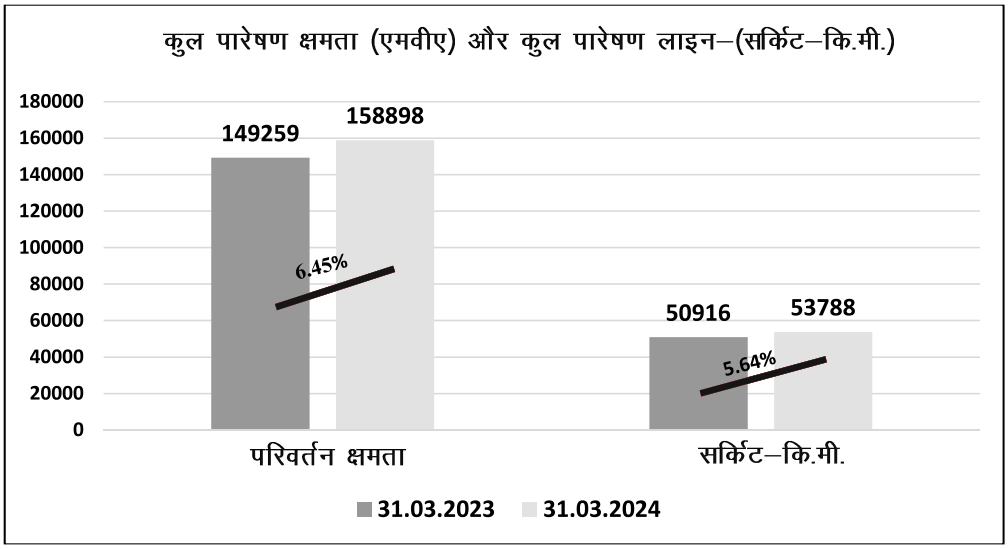

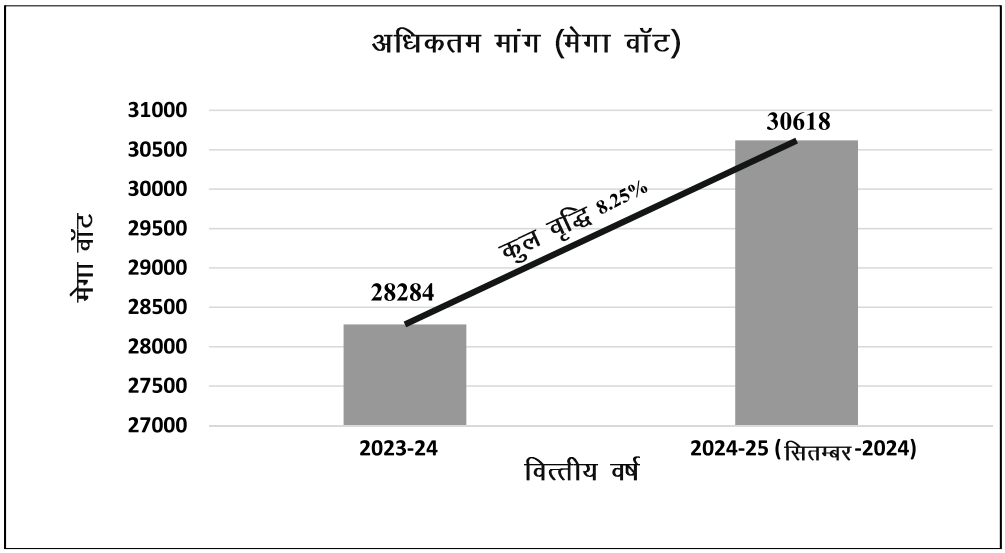

स. परिचालन के मुख्य अंश :–

1. वर्ष 2023–24 के दौरान – 14 नग 220 केवी उपकेन्द्र और 10 नग 132 केवी उपकेन्द्रों को सक्रिय किया गया और 01 नग 765 केवी एस/एस का एकीकरण किया गया है। 01 नग पीपीपी मोड में निर्मित 400 केवी एस/एस सुनिश्चित किया गया। 03 नग 400 केवी उपकेन्द्र, 12 नग 220 केवी उपकेन्द्र और 93 नग 132 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता वद्धि का काम पूरा हो चुका है। 0.900 किलोमीटर 400 केवी, 1472 सीकेएम 220 केवी और 1402 सीकेएम 132 केवी लाइनों को सक्रिय किया गया है। 33 केवी स्तर पर 30 एमवीएआर कैपेसिटर बैंकों को सक्रिय किया गया है।
2. वर्ष 2024–25 (सितंबर 2024 तक) के दौरान 01 नग 400 केवी उपकेन्द्र, 02 नग 220 केवी उपकेन्द्र और 03 नग 132 केवी उपकेन्द्र को सक्रिय किया गया है तथा 03 नग 220 केवी उपकेन्द्रों पर क्षमता बढ़ाने का काम पूर्ण कर लिया गया है। 13 नग 220 केवी उपकेन्द्र और 50 नग 132 केवी उपकेन्द्रों को पूर्ण कर लिया गया है। 586 सर्किट किलोमीटर 400 केवी, 152 सर्किट किलोमीटर की 220 केवी, और 273 सर्किट किलोमीटर की 132 केवी लाइनों को सक्रिय किया गया है।

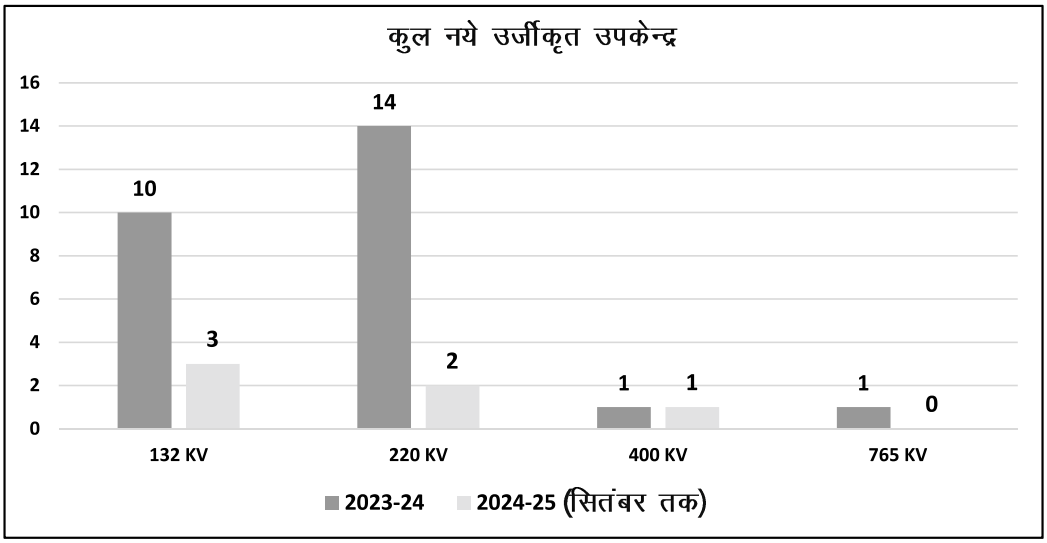
कुल नये उर्जीकृत उपकेन्द्र
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10
3
14
2
1
1
1
0
132 KV
220 KV
400 KV
765 KV
2023-24
2024-25 (सितंबर तक)

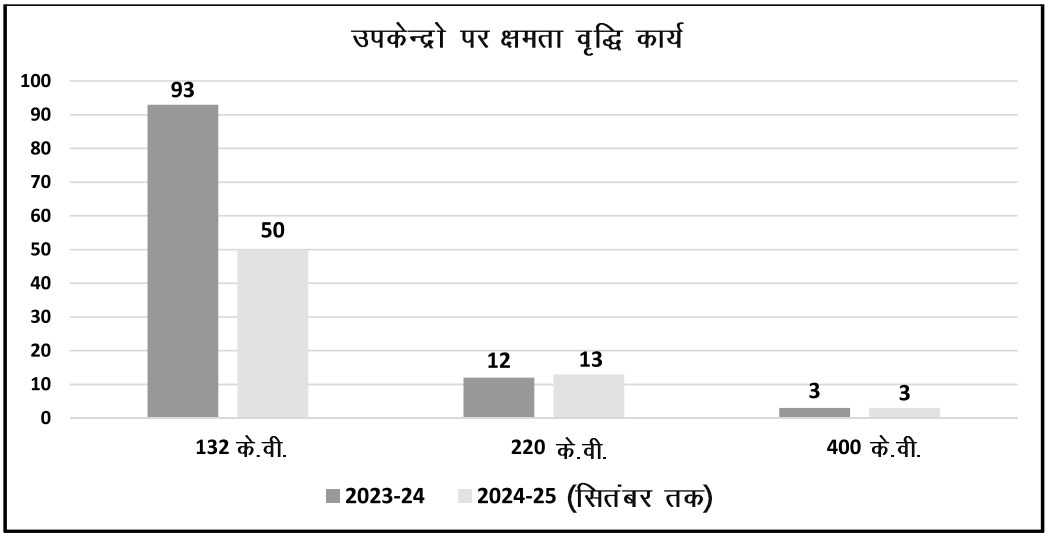
उपकेन्द्रो पर क्षमता वृद्धि कार्य
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
93
50
12
13
3
3
132 के.वी.
220 के.वी.
400 के.वी.
2023-24
2024-25 (सितंबर तक)

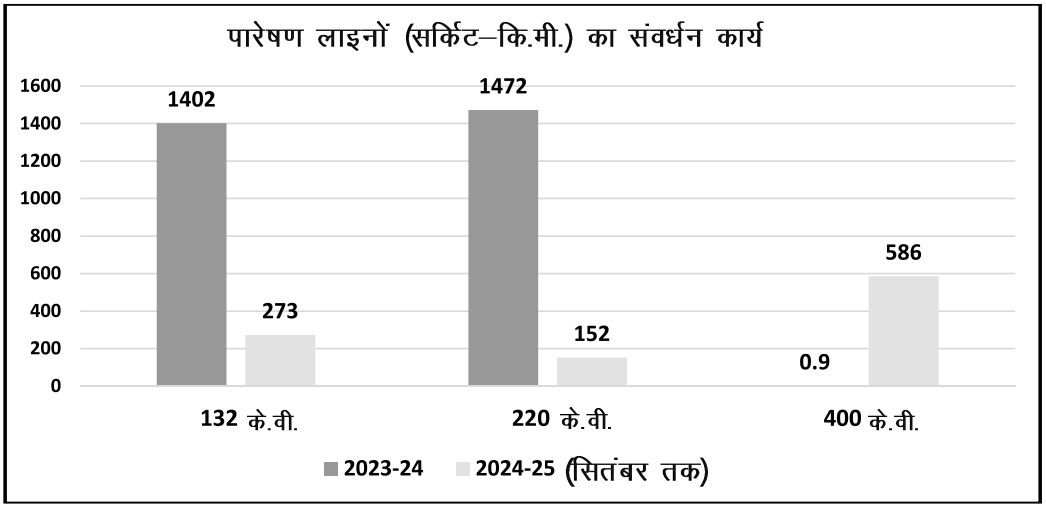
पारेषण लाइनों (सर्किट–कि.मी.) का संवर्धन कार्य
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1402
273
1472
152
0.9
586
132 के.वी.
220 के.वी.
400 के.वी.
2023-24
2024-25 (सितंबर तक)

3. वर्ष 2023–24 के दौरान, ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता 98.74% थी, जो नियामक शर्तों से काफी ऊपर है। वर्ष 2022–23 में ट्रांसमिशन घाटा 3.30% था जो वर्ष 2023–24 के दौरान घटकर 3.16% हो गया।

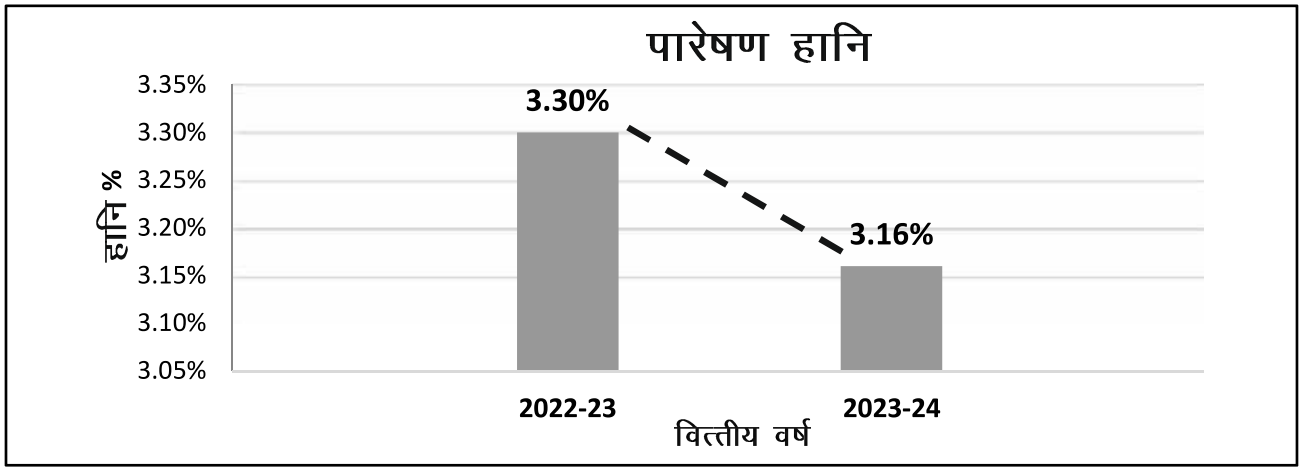

4. विशेष रूप से सौर ओपन एक्सेस परियोजनाओं के लिए एक 24x7 ऑनलाइन संयोजकता पोर्टल चालू किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने में मानवीय हस्तक्षेप को दूर करते हुए किसी भी दूरस्थ स्थान से संयोजकता के लिए आवेदन करने में मदद की है, जिससे आवेदक की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसके अलावा, आवेदक विभिन्न स्तरों पर अपने आवेदन के निस्तारण की स्थिति भी देख सकता है। उ.प्र. सरकार की परिकल्पना के अनुरूप उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए ग्रिड मार्जिन उपलब्धता भी प्रदर्शित कर रही है, जिसमें आवेदकों को इसके बारे में जानकारी के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

5. निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. द्वारा की जा रही है। लाइनों और उपकेन्द्रों के चालू होने के बाद, निदेशक (परिचालन) कार्यालय के माध्यम से उनके उचित संचालन और रखरखाव की निगरानी की जाती है।

संचालन की स्थिरता :–

पिछले कुछ गत वर्षों के दौरान, पारेषण तंत्र का विस्तार किया गया है। इसलिए, कम से कम दोषों के साथ विश्वसनीय संचालन के लिए, पारेषण प्रणाली को नियमित आधार पर लाइनों और उपकेन्द्रों के प्रभावी, सुरक्षात्मक और नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसे सुनिश्चित करने हेतु, प्रमुख कदम उठाये गए :–

अ. किसी भी वर्तमान और प्रत्याशित ओवरलोडिंग को कम करने के उद्देश्य से नई उपकेन्द्र लाइन का निर्माण प्रस्तावित किया गया। विभिन्न उपकेन्द्रों पर 220केवी, 132केवी और 33केवी वोल्टेज स्तरों के मौजूदा बस बारों का सुदृढ़ीकरण भी किया गया। कुल संख्या 688 उपकेन्द्रों में से 685 उपकेन्द्रों में अब दोहरा स्रोत है। शेष उपकेन्द्रों की रेडियलनेस दूर करने के लिए नई लाइनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस अभ्यास से प्रणाली की विश्वसनीयता काफी हद तक बढ़ गई है।

ब. विभिन्न उपकेन्द्रों की द्वितीयक स्रोत लाइनों को समकालिक तरीके से संचालित करने की व्यवस्था की गई। इससे पारेषण तन्त्र की विश्वसनीयता, उसकी उपलब्धता में भी वृद्धि हुई और साथ ही पारेषण हानि में कमी लाने में भी सहायता मिली।

स. पारेषण लाइनों की नियमित गश्त, गश्त के दौरान पाई गई कमियों को समय पर दूर करना, उचित कॉरिडोर क्लीयरेंस का रखरखाव, जम्पर को कसना, इंसुलेटर की सफाई करना और दोषपूर्ण इंसुलेटर, टूटे हुए ग्राउंड वायर और गायब टावर अवयव को बदलना। पारेषण लाइनों में खराबी को कम करने के लिए पारेषण लाइनों के इंसुलेटर की सफाई की गई।

द. ढीले जोड़ों का पता लगाने के लिए पारेषण लाइनों और स्विच यार्ड की नियमित थर्मो विजन स्कैनिंग कंडक्टर और उपकरण विफलता से बचने के लिए एक सीमा से ऊपर तापमान वाले सभी जोड़ों को शटडाउन लेने के तुरंत बाद ठीक किया गया।

य. ट्रांसफार्मर की निगरानी और किसी भी समस्या का शीघ्र पता लगाने के लिए नियमित अंतराल पर बिजली ट्रांसफार्मर के तेल का परीक्षण किया गया । बिजली ट्रांसफार्मर के रखरखाव में तेल का निस्पंदन, तेल रिसाव की जाँच, इसकी शीतलन प्रणाली आदि शामिल थी। इससे ट्रांसफार्मर की बढ़ी हुई उपलब्धता और स्वस्थता सुनिश्चित हुई। सिस्टम के सुरक्षित/सुचारु/परेशानी मुक्त संचालन के लिए स्विचयार्ड अर्थिंग की निगरानी नियमित रूप से की गई।

र. आइसोलेटर्स, स्विचगियर्स और सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण और रखरखाव।

ल. परिचालन एवं अनुरक्षण आउटसोर्सिंग/लागत अनुकूलन लाइनों और उपकेन्द्रों के संचालन और रखरखाव के लिए एकीकृत निविदा प्रणाली–दो वर्षों के लिए नवनिर्मित उपकेन्द्रों के संचालन और रखरखाव के लिए आउटसोर्सिंग 08 नग और 220 केवी उपकेन्द्र 16 नग को आउटसोर्स किया गया है और 220 केवी उपकेन्द्र 16 नग और 132 केवी उपकेन्द्र 11 नग के लिए आउटसोसिंग की प्रक्रिया चल रही है। आउटसोसिंग में चौबीसों घंटे संचालन और रखरखाव (शेड्यूल और ब्रेकडाउन के अनुसार निवारक) और पर्याप्त कुशल और अकुशल जनशक्ति की तैनाती के द्वारा उपकेन्द्र का परीक्षण कार्य, परीक्षण और माप उपकरणों, उपकरणों और संयंत्रों, उपभोग्य सामग्रियों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। एकीकृत निविदा प्रणाली ने संचालन और रखरखाव पर होने वाले व्यय की लागत को कम कर दिया है (400 केवी उपकेन्द्रों के संबंध में विभागीय संचालन और रखरखाव के विरुद्ध व्यय हैं 2.33 करोड़ वार्षिक अनुमानित किया गया है जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से यह ₹ 1.02 करोड़ अनुमानित है।)

पारेषण मंडल स्तर पर उपकेन्द्रों और लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए एकीकृत निविदा को अपनाया गया है। प्रत्येक मंडल को उसके नियंत्रण के तहत सभी उपकेन्द्रों और लाइनों के लिए एकीकृत निविदा और अलग से एजेंसी नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। इससे निविदाओं की संख्या में कमी होती है और समय की बचत होती है जिसका उपयोग प्रणाली के बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए किया जाता है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी–

अ. <u>एस.ए.एम.ए.एस.टी. (शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग और लेनदेन का निपटान) परियोजना</u>– लोड वृद्धि, आरई एकीकरण आदि के कारण इंटरफेस पिंट में वृद्धि के साथ, मीटर डेटा को मैन्युअल रूप से एकत्र करना बेहद कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया बन गई है। तदनुसार, बेहतर, तेज व अधिक ऊर्जा लेखांकन,"निपटान के लिए एएमआर/एबीटी मीटर और आवश्यक संचार प्रणाली के बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से डेटा संग्रह की प्रक्रिया को स्वचालित करना आवश्यक हो गया है। उसी के दृष्टिगत और एमओपी और माननीय यूपीईआरसी के निर्देशों के अनुसार, उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. में एसएएमएएसटी योजना लागू की जा रही ह। यह योजना बिजली लेनदेन के

त्वरित लेखांकन और निपटान के लिए है, जिससे बेहतर व्यावसायिक दक्षता प्राप्त होगी। इस परियोजना में, सीईए नियमों के अनुसार टी–डी इंटरफेस बिंदु पर एबीटी मीटर स्थापित किए जाने हैं। विभिन्न उपकेन्द्रों पर एबीटी एनर्जी मीटर की स्थापना के लिए मेसर्स सिक्योर मीटर्स लिमिटेड को कुल 5179 एलओआई जारी किए गए हैं। एसएलडीसी, लखनऊ में उपलब्ध और सीडीसीएस के साथ विभिन्न सब स्टेशनों पर एबीटी मीटर लगाए गए हैं।

ब. **विश्वसनीय संचार योजना** – ग्रिड स्थिरता और बेहतर लोड प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु उप्रपाट्रांकालि में विश्वसनीय संचार योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत, सभी उपकेन्द्रों को संयोजकता प्रदान की जाएगी जो एसएलडीसी और एएलडीएस पर उपकेन्द्रों का एससीएडीए डेटा भी सुनिश्चित करेगी। उपकेन्द्रों को संयोजकता प्रदान करने के अतिरिक्त यह राज्य के भीतर ग्राम पंचायत और तहसील स्तरों के साथ संयोजकता के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के रूप में भी कार्य करेगा। विकसित की गई ऐसी मजबूत संचार प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और राज्य के सुदूर कोनों को जोड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन है। इस योजना के अन्तर्गत 5353.96 कि.मी. में से 5499.38 किमी. ओपीजीडब्ल्यू बिछाई गई है। इसके अलावा, परिसंपत्ति मुद्रीकरण के एक हिस्से के रूप में, ओपीजीडब्ल्यू की लगभग 12254.363 किलोमीटर फाइबर युग्म को दूरसंचार कंपनियों को पट्टे पर दिया गया है, जिससे लगभग ₹ 21.40 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।

स. **पारेषण लाइन पेट्रोलिंग मैनेजमेंट सिस्टम (पेट्रोलिंग सॉफ्टवेयर)** – यह एक क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफार्म है जिसमें मोबाइल ऐप है। टावर से टावर लाइन पेट्रोलिंग डेटा लेने के साथ–साथ पारेषण लाइन पेट्रोलिंग के शेड्यूल के लिए वेब एप्लिकेशन, पदानुक्रम आधारित एमआईएस रिपोर्ट प्रदान करना, जैसे टावर की पेट्रोलिंग पूरी होने का प्रतिशत, कॉरिडोर की स्थिति, लाइनों में असामान्यताएं, कमजोर टावर, विक्रेता प्रदर्शन, महत्वपूर्ण टावर स्थान, वर्तमान दोष विश्लेषण आदि। यह निम्नलिखित तरीकों से उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. के लिए सहायक होगा :

1) परिचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के लिए पारेषण लाइन की सटीक निगरानी और बेहतर प्रबंधन।

2) प्रारंभिक दोषों का समय पर निवारण करना।

3) पारेषण लाइनों के टूटने में कमी।

4) पारेषण सिस्टम की उपलब्धता में वृद्धि।

5) प्रबंधन के लिए ऑनलाइन एमआईएस।

उपरोक्त कार्य के लिए एलओआई मेसर्स साइबर स्विफ्ट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता को प्रदान किया गया है।

द. **ड्रोन पेट्रोलिंग**–यह क्लाउड आधारित एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है और इसमें समय और लागत को कम करने, सुरक्षा में सुधार करने और निर्णय निर्माताओं को वास्तविक समय डेटा संचालित अंतर्दष्टि प्रदान करके परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों में तेजी से निर्णय लेने के लिए कार्यवाही योग्य जानकारी है।

ड्रोन आधारित तकनीक का उपयोग करके पारेषण नेटवर्क के साथ–साथ इसकी बुनियादी सुविधाओं का हवाई निरीक्षण, पारेषण लाइनों का एक हवाई वीडियो (थर्मल/विजुअल) कैप्चर करता है और हॉटस्पाट, पतंग स्ट्रिंग आदि के संदर्भ में रिपोर्ट की गई विसंगतियों के लिए एक पीडीएफ/एक्सेल शीट रिपोर्ट तैयार करता है। उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. में, यह प्रत्येक जोन में नमूना आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। 6 में से 4 परिक्षेत्रों ने फर्मों को पहले ही एल.ओ.आई. जारी कर दिया है और काम शुरू कर दिया है।

य. <u>उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. में ई.आर.पी. का कार्यान्वयनः</u>– 01.09.2022 से उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. में ई.आर.पी. को पूरी तरह से संचालित किया गया है। सभी पांच मॉड्यूल अर्थात संयंत्र और रखरखाव (पीएम), सामग्री प्रबंधन (एमएम), परियोजना प्रणाली (पीएस), मानव संसाधन (एचआर) और वित्तीय और नियंत्रण (एफआई) मॉड्यूल उक्त तिथि से लाइव हो गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24

उपलब्धियाँ

<u>ए. लाइनें</u>

क्रम सं.	वोल्टेज स्तर (के.वी.)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (सर्किट) के दौरान निर्मित कुल लम्बाई (सर्किट–कि.मी.)	दिनांक 31.03.24 (सर्किट) की कुल लाइन लम्बाई (सर्किट–कि.मी.)
1.	765 के.वी.	0	1511.180
2.	400 के.वी.	0.900	6923.728
3.	220 के.वी.	1471.988	16445.443
4.	132 के.वी.	1402.189	28908.071

बी. (I) उपकेन्द्र

वोल्टेज	नये स्थापित		क्षमता		31.03.2024 (एमवीए) की कुल परिवर्तन क्षमता
	एस/एस की संख्या	क्षमता (एमवीए)	एस/एस की संख्या	क्षमता (एमवीए)	
765 के.वी.	-	-	-	-	6000
400 के.वी.	-	-	03	1000	26165
220 के.वी.	14	3200	12	1420	61520
132 के.वी.	10	646	93	3373	65213

बी. (II) कैपेसिटरः–33 केवी–30 एमवीएआर

बी. (III) बे (ऊर्जावान)

अ. 400 के.वी.-02 नग

ब. 220 के.वी.-16 नग

स. 132 के.वी.-37 नग

द. 33 के.वी.- 52 नग

अधिकृत और संचालन में 220 केवी उपकेन्द्रों की सूची	
1.	220 केवी एस/एस देवबंद
2.	220 केवी एस/एस मोर्टा (जीआईएस)
3.	220 केवी एस/एस दातागंज
4.	220 केवी एस/एस किरावली
5.	220 केवी एस/एस कंदुनी
6.	220 केवी एस/एस आनंद नगर
7.	220 केवी एस/एस महाराजगंज
8.	220 केवी एस/एस भदोही (जीआईएस)
9.	220 केवी एस/एस मोथ
10.	220 केवी एस/एस यीडा सेक्टर–18 (220/33 आरवीआई)
11.	220 केवी एस/एस यीडा सेक्टर–24
12.	220 केवी एस/एस नॉलेज पार्क–5 (जीआईएस)
13.	220 केवी एस/एस जयपुरा (जीआईएस)
14.	220 केवी एस/एस खोरार

अधिकृत और परिचालन में 132 केवी उपकेन्द्रों की सूची	
1.	132 केवी एस/एस हसनपुर
2.	132 केवी एस/एस घोसी
3.	132 केवी जीआईएस एस/एस अलाइपुर
4.	132 केवी एस/एस रूधौली
5.	132 केवी एस/एस खजनी
6.	132 केवी जीआईएस एस/एस फराह
7.	132 केवी एस/एस निकलौल
8.	132 केवी एस/एस पडरौना
9.	132 केवी एस/एस राम नगर
10.	132 केवी एस/एस नरैनी

<u>नियोजन व वाणिज्यिक गतिविधियाँ</u>:–

(अ) प्रमुख नियोजन गतिविधियाँ है:–

- एक तकनीकी–आर्थिक अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली विकसित करना।

- डिस्काम/यूपीपीसीएल/एसएलडीसी से मुख्य निविष्ट आंकड़ों अर्थात भार, मांग, उत्पादन योजना का संग्रहण और तदनुसार भार प्रवाह अध्ययन।
- विकसित प्रणाली में विभिन्न भार और उत्पादन के परिदृश्यों के लिए पर्याप्त संभावना होनी चाहिए।
- सीईए पारेषण योजना मानदंड–नियमावली 2013 के अनुसार योजना और अनुमोदन (आमतौर पर 5 साल की सीमा के लिए), जिसे उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत किया गया है।
- आयात आवश्यकताओं के अनुरूप कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी) सुनिश्चित करना।
- प्रमुख कार्यों के लिए सीईए, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) का अनुमोदन प्राप्त करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इस वित्तीय वर्ष 2020–21 के बाद, यूपीईआरसी एमवाईटी विनियम, 2019 के अनुसार, ₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत वाली सभी नई परियोजनाओं के लिए तिमाही आधार पर यूपीईआरसी से पूर्व निवेश अनुमोदन लिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 1,431.95 करोड़ की लागत के विभिन्न पारेषण कार्यों को मंजूरी दी गई। यूपीईआरसी विनियमन के अनुपालन में, ₹ 597.37 करोड़ (₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत) की परियोजनाओं को निवेश अनुमोदन के लिए यूपीईआरसी को प्रस्तुत किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2023–23 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्र सं	परियोजना का नाम	वि.व. 2023–24 का तिमाही	यूपीईआरसी की आदेश तिथि
	आर.टी.एम. प्रणाली		
1.	डीसी टावर पर 132 केवी निघासन (220)–पालिया एससी लाइन के निर्माण द्वारा 132 केवी पालिया (लखीमपुर) में दूसरे स्रोत का निर्माण और पारेषण से संबंधित अन्य कार्य	प्रथम	20.02.2024
	आर.टी.एम. प्रणाली		
1.	400 केवी रासरा पर 220 केवी रासरा–देवरिया लाइन के लिए एलआईएलओ का निर्माण। 220 केवी जीआईएस बे		
2.	2x50 एमवीएआर लाइन रिएक्टर को 400 केवी पर 2x63 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के साथ बदलना 400 केवी पनकी स्टेशन पर पनकी–अलीगढ़ और पनकी–रीवा रोड लाइन		
3.	एसीएसआर पैंथर को 132 केवी बरहुआ–मोहादीपुर (पुरानी) लाइन और 132 केवी मोतीराम अड्डा–मोहादीपुर (नई) लाइन के एचटीएलएस में बदलना।		
4.	अ. 132 केवी सिकंदराव (220)–हसायन लाइन और संबंधित खंडों के मौजूदा डीसी टावरों पर द्वितीय सर्किट की स्ट्रिंग ब. 2x160 एमवीए से 3x160 एमवीए और संबंधित खाड़ी तक 220 केवी सिकंदराव (हाथरस) में संवर्द्धन। स. (2x20+1x40) एमवीए से 3x40 एमवीए तक 132केवी हसयान (हाथरस) पर संवर्द्धन	द्वितीय	05.03.2024

	टीबीसीबी प्रणाली		
1	220/132/33 केवी 2x160+2x40 एमवीए एआईएस चुनार एस/एस	तृतीय	22.05.2024
	टीबीसीबी प्रणाली		
1	220/132/33केवी रानीपुर (मऊ) 2x160+2x40 एमवीए (एआईएस) और संबद्ध लाइनें		
	आरटीएम प्रणाली		
2	220 केवी एस/एस हरदोई सब स्टेशन पर 132 केवी स्तर प्रणाली (एसएएस आधारित 2x40 एमवीए 132x33 केवी) का संयोजन		
3	1x500+3x315 से 2x500+2x315 एमवीए तक 400/220 केवी सारनाथ (वाराणसी) एस/एस पर संवर्द्धन।	चतुर्थ	05.09.2024
4	132/33 केवी 2x40 एमवीए गाजीपुर–II (गाजीपुर) और संबंधित लाइनें।		
5	132/33 केवी 2x40 एमवीए सोफिपुर (फिरोजाबाद) और संबद्ध लाइन।		
6	यूपीपीटीसीएल द्वारा 220/132/33 केवी रानीपुर (मऊ) 2x160+2x40 एमवीए (एआईएस) के साथ स्वीकृत आरटीएम मोड में 220 केवी जीआईएस 'बे' का निर्माण किया जाएगा।		

(ख) प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधियाँः –

(i) एमवाईटी विनियमन, 2019 के अनुसार उपयोगिता को 5 वर्षों के लिए अपनी व्यवसाय योजना और पिछले वर्ष के लिए ट्रू–अप याचिका दायर करनी है, जिसके लिए लेखा परीक्षित वार्षिक खाते उपलब्ध हैं, संशोधित अनुमानों के आधार पर चालू वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) याचिका और अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका। इसके अलावा, 05 वर्षीय राज्य पारेषण योजना भी प्रत्येक वर्ष रोलिंग आधार पर प्रस्तुत की जानी है।

(ii) टीबीयू इकाई द्वारा डिस्कॉम और ओपन एक्सेस उपभोक्ता के लिए संचरण शुल्क की मासिक बिलिंग जारी करने की नियमित निगरानी।

शुल्क आदेश जारी किया गयाः –

- यूपीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 24.05.2023 (याचिका सं. 1907 के 2022) ने हमारी याचिका के खिलाफ वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एआरआर को मंजूरी दी है।

  आयोग ने 118.65 करोड़ रुपये के शुद्ध अंतर की वसूली की अनुमति दी थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ट्रू–अप।
- यूपीईआरसी ने दिनांक 10.10.2024 (2023 की याचिका संख्या. 2044) के अपने आदेश के माध्यम से हमारी याचिका के खिलाफ वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एआरआर को मंजूरी दी है।

  आयोग ने ₹114.69 करोड़ के शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एआरआर के ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण करते समय वहन लागत के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ट्रू–अप पर।

तालिका 2 : वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए एआरआर

विवरण	ट्रुइंग–अप पर अनुमोदित	
	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23
एआरआर (₹ करोड़ में)	3,169.54	3,336.36
ऊर्जा नियंत्रित (एमयू)	1,24,074.64	1,37,731.21
संचालन से आय	3,050.89	3,451.05
नेट गैप (₹ करोड़ में)	118.65	(114.69)
ट्रांसमिशन टैरिफ (₹ / केडबल्यूएच)	0.2555	0.2422

- पिछले कुछ वर्षों में उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. द्वारा संचालित ऊर्जा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 117 बिलियन यूनिट (बीयू) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 5.14% की सीएजीआर के साथ 143 बीयू हो गई है। जबकि, यह अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 तक यह 166 बिलियन यूनिट हो जाएगा। उसी का चित्रमय चित्रण नीचे दिया गया है:

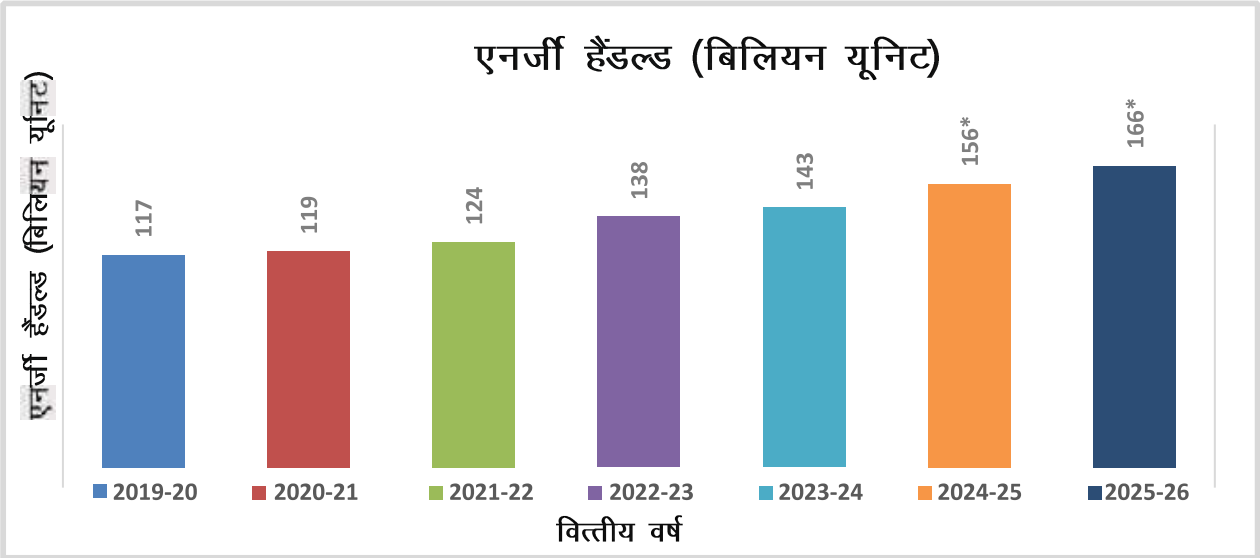

*प्रक्षिप्त परिच्छेदिका

- वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस (एलटीओए) ग्राहकों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है: –

तालिका 3: एल. टी. ओ. ए. ग्राहकों और ऊर्जा चालित वाहनों की संख्या

विवरण	वि.व. वर्ष 2021–22	वि.व. 2022–23	वि.व. 2023–24
एलटीओए ग्राहक की संख्या	30	74	102
ऊर्जा चक्र (एम.डब्लयू एच) में	290,000	391,510	613,317

- वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अधिकतम मांग पिछले वर्षों में 6.93% की सीएजीआर के साथ बढ़ी है।

तालिका 4: वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24 तक पीक मांग (मेगावाट में)

वित्तीय वर्ष	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
पीक डिमांड (मेगावाट)	21,632	23,867	24,795	26,589	28,284

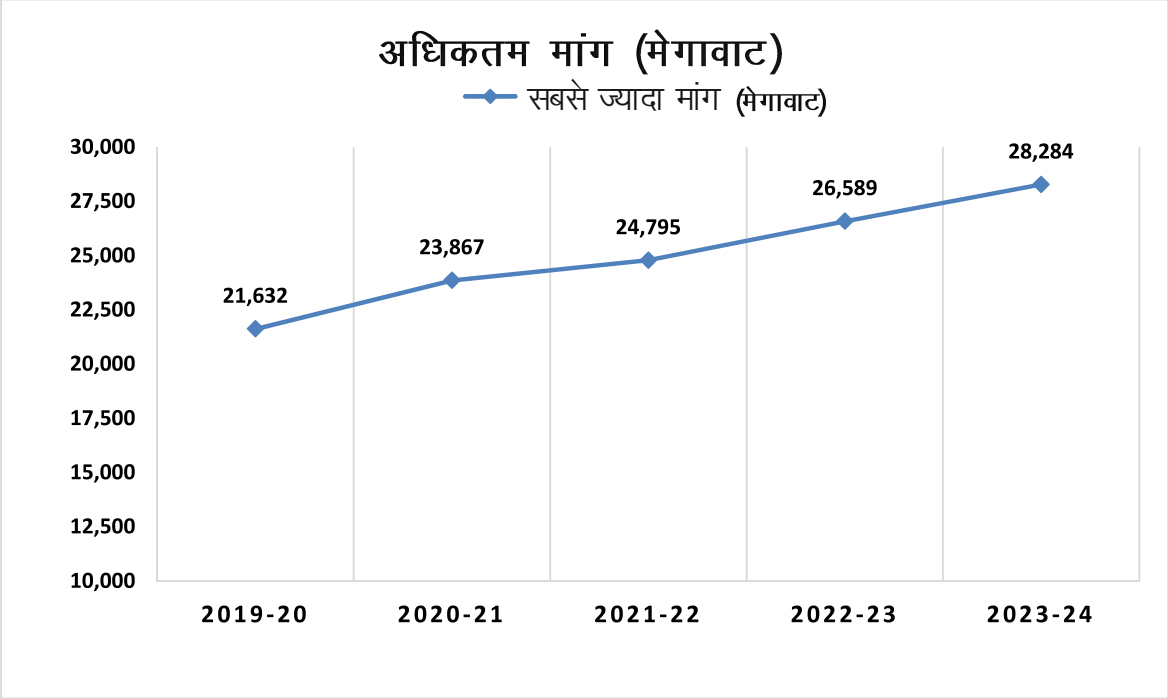

भविष्य के लिए पारेषण योजनाः –

- यूपीईआरसी ने अपने दिनांक 27.03.2024 के आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 की अवधि के लिए 05 वर्षीय एसटीयू ट्रांसमिशन प्लान को मंजूरी दी है। (याचिका नं. 2023 का 2037) वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 के लिए अधिकतम मांग 8.5 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ बढ़ने का अनुमान है।

तालिका 5: वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक पीक मांग (मेगावाट में)

वित्तीय वर्ष	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	2028–29
अधिकतम मांग (मेगावाट)	31,590	34,434	37,533	40,535	43,778

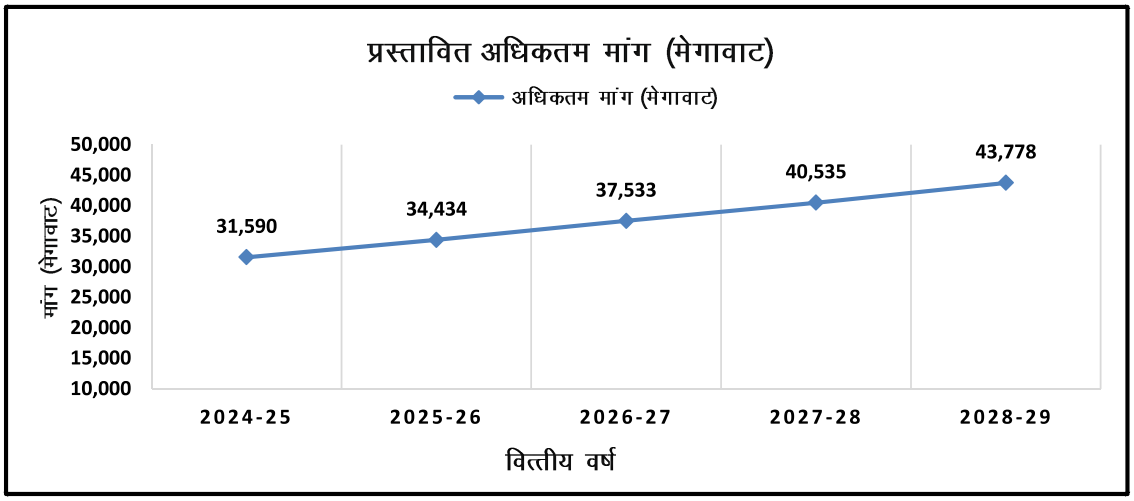

मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक कुल 102 उपकेन्द्र जोड़ने की परियोजना बनाई गयी है। जिसमे रुपांतरण की क्षमता मे 66,490 एमवीए की वृद्धि होगी तथा 7,529 सर्किट किमी. ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी।

परिचालन संबंधी उपलब्धियां:

तालिका 6: वित्त वर्ष 2023–24 के लिए परिचालन उपलब्धियों का सारांश

पैरामीटर	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित	उपलब्धियाँ
अधिकतम मांग मेट (मेगावाट)	28,991	28,284
टीटीसी (मेगावाट)	15,000	15,900
पारेषण हानि	3.22%	3.16%
पारेषण प्रणाली की उपलब्धता	98%	98.84%

उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. का पारेषण घाटा मे लगातार कमी आ रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 3.56% के स्वीकृत नुकसान के मुकाबले 3.43% से घटकर 3.22% के मुकाबले 3.16% हो गया है।

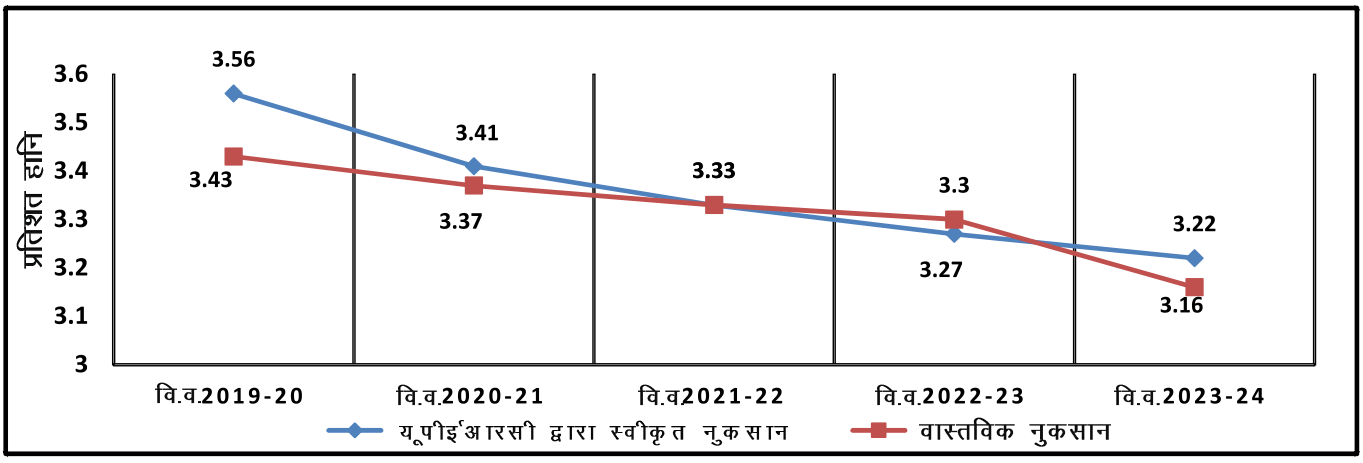

नियामक द्वारा पारित आदेशः –

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृत टैरिफ और निवेश से संबंधित यूपीईआरसी द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं।

तालिका 7: वित्त वर्ष 2023–24 में स्वीकृत टैरिफ और निवेश से संबंधित यूपीईआरसी द्वारा जारी आदेश

क्रम सं	प्रकार	नाम	आदेश की तिथि
1.	टैरिफ आदेश	वि.व. 2021–22 के लिए टैरिफ ऑर्डर वि.व. 2022–23 के लिए एपीआर वि.व. 2023–24 के लिए एआरआर और टैरिफ	24.05.2023
2.	निवेश आदेश	जीईसी–II के तहत योजना के लिए निवेश आदेश	29.08.2023
3.	तिमाही निवेश	वि.व. 2022–23 की तीसरी और चौथी तिमाही में निवेश ₹20 करोड़	30.08.2023
4.	तिमाही निवेश	वि.व. 2022–23 की पहली तिमाही में निवेश ₹20 करोड़	20.02.2024
5.	तिमाही निवेश	वि.व. 2023–24 की दूसरी तिमाही में निवेश ₹20 करोड़	05.03.2024

धारा 134(3) (बी) के अनुरूप निदेशक मण्डल की बैठकों से सम्बन्धित सूचनाएंः–

कम्पनी द्वारा मण्डल की बैठकों को आयोजित करने एवं बुलाने से सम्बन्धित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है एवं तदनुसार, वर्ष के दौरान 5(पाँच) मण्डल की सभाऐं की गयी तथा किन्हीं दो मण्डल की सभाओं के मध्य 120 दिनो से अधिक का अन्तराल नहीं था।

I. 14 जून, 2023
II. 25 अगस्त, 2023
III. 27 सितंबर, 2023
VI. 21 नवंबर, 2023
V. 8 फरवरी, 2024

दो बैठकों के मध्य के अंतराल के निर्धारण में मण्डल की बैठको से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम, 2013 और सचिवीय मानक– के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

मण्डल की कार्य प्रणाली

निदेशक मण्डल ने हमारे हितधारकों के प्रति निगमित दायित्व की पूर्ति करने के लिये निगमित अभिशासन प्रथाओं एवं दिशा निर्देशों का अनुसरण किया है। ये दिशा निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मण्डल के पास क्रिया कलापों की समीक्षा व मूल्यांकन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्यान्वयन का आवश्यक अधिकार एवं प्रक्रियायें होंगी। बोर्ड ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिये अनेकों समितियां भी गठित की हैं।

सामान्यतया निदेशक मण्डल की बैठके कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आहूत की जाती हैं। मण्डल बैठक की तिथियां काफी पहले निश्चित कर ली जाती हैं तथा मण्डल के सदस्यों को सूचित कर दी जाती है जिससे वे तदनुसार अपने कार्यकमों की योजना बना सकें। कार्यसूची व कार्यसूची पर टिप्पणियां निर्धारित एजेन्डा प्रारूप में निदेशको को पर्याप्त समय पूर्व प्रसारित कर दी जाती हैं। बैठक में सार्थक व केन्द्रित विचार विमर्श में सहायता करने के लिये कार्यसूची में सभी

महत्वपूर्ण सूचनायें शामिल की जाती हैं। कुछ परिस्थितियों में कार्य की सूची को बैठक में अध्यक्ष की आज्ञा से भी शामिल किया जाता है, सिवाय उन मदों को जो संवेदनशील प्रकृति के हैं। कार्यसूची की मदें विभिन्न वैधानिक व गैर वैधानिक मामलों से सम्बन्धित मण्डल की बैठकों तथा अन्य बैठकों के लिए विचार विमर्श एवं उपयुक्त निर्णय लेने हेतु विस्तृत एवं सूचनात्मक है। कभी–कभी कुछ अत्यावश्यक मुद्दों के समाधान हेतु कुछ व्यवसायिक संव्यवहार परिचालन के माध्यम से संकल्प पारित करके किये जाते हैं। कम्पनी ने मण्डल बैठक व साधारण बैठक के सम्बन्ध में भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी ऑफ इण्डिया, द्वारा निर्गत लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन हेतु पूर्ण प्रयास किया है।

सभी वैधानिक, महत्वपूर्ण व आवश्यक सूचना मण्डल के सम्मुख रखी जाती है। मण्डल के सदस्यों के पास कम्पनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच होती है। कभी कभी मण्डल द्वारा विचार विमर्श किये जा रहे मदों पर अतिरिक्त सूचना देने के लिये प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मण्डल बैठक में आमंत्रित किया जाता है। मण्डल के सम्मुख कम्पनी के विभिन्न कार्यात्मक व परिचालन क्षेत्र जैसे वित्तीय विशिष्टताएं, प्रमुख परियोजनायें व उनकी प्रगति, परिचालन आदि का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जाता है।

मण्डल बैठक के कार्यवृत्त, बैठक के बाद यथाशीघ्र तैयार किये जाते हैं व तत्पश्चात सभी निदेशकों को इस पर उनकी टिप्पणी हेतु प्रसारित किया जाता है। निदेशकों की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद मामले को निर्धारित समय सीमा के भीतर हस्ताक्षर हेतु अध्यक्ष को अग्रसारित किया जाता है। संगत कार्यवृत्त सम्बन्धित विभाग/समूह को कार्यान्वयन हेतु तथा सभी निदेशकों को टिप्पणी हेतु प्रसारित किये जाते हैं। मण्डल के निर्णयों पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) प्राप्त किया जाता है तथा समीक्षा हेतु अगली मण्डल बैठक में रखा जाता है।

<u>निदेशको के उत्तरदायित्व का विवरण</u> :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(सी) एवं 134(5) की आवश्यकताओं के अनुरूप निदेशकगण एतद्द्वारा पुष्टि करते है कि:–

(अ) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, सिवाय कुछ मामलों मे, जो कि विद्युत (प्रदाय) (वार्षिक लेखे) नियम, 1985 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप हैं एवं जिनपर तद्नुसार लेखांकन नीतियाँ निर्धारित करते हुये उनका लेखों पर टिप्पणियों में समुचित प्रकटन देते हुये अनुपालन किया गया है।

(ब) निदेशकगण द्वारा समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं लगातार लागू किया गया है सिवाय उन विचलनों के जिनका अलग से उल्लेख किया गया है तथा निर्णय एवं अनुमान निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह उचित एवं विवेकपूर्ण हो ताकि 31 मार्च, 2024 को कम्पनी के क्रियाकलापों तथा समीक्षाधीन कथित वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि खाते की यथार्थ एवं उचित स्थिति परिलक्षित हो।

(स) विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना सं, एल–1/236/2018/सी.ई.आर.सी. दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियम 2019 के "परिशिष्ट–।" में दी गई पद्धति के अनुसार अवक्षयण भारित किया गया है। कथित विनियम दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि हेतु प्रभावी है। अवक्षयण सीधी रेखा पद्धति पर मूल लागत के 10% बचे मूल्य के साथ निर्धारित दरों से भारित किया गया है (सिवाय अस्थाई निर्माण जैसे लकड़ी की संरचना के मामले में, जहां अवक्षयण की दर 100% है तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी उपकरण व साफ्टवेयर के मामले में, जहां अवक्षयण योग्य मूल्य 100% व बचा हुआ मूल्य शून्य है)। वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि पर मूल्यह्रास वाणिज्यिक तिथि से आनुपातिक आधार पर लिया जाता है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से कटौती पर मूल्यह्रास पिछले दिन तक आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है जिस दिन संपत्ति का निपटान किया जाता है।

(द) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखीय अभिलेखों के रख–रखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है। अग्रेतर, अंशधारकों को सूचित करना है कि विभिन्न कमियां जो प्रबन्धन द्वारा पायी गई तथा वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं सी.ए.जी. द्वारा इंगित की गई, उन्हें संज्ञान में लिया जायेगा तथा आवश्यकता हुई तो उसका लेखांकन अग्रेतर वर्षों में कर लिया जायेगा।

(य) निदेशको द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे सतत व्यापार आधार पर तैयार किये गये हैं।

(र) समस्त प्रभावी विधियों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशकगण द्वारा समुचित प्रणाली तैयार की गई है तथा कथित प्रणाली यथोचित एवं प्रभावशाली रूप से क्रियाशील थी।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा :–

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने से सम्बन्धित धारा 149 के प्रावधान कम्पनी पर लागू है। कम्पनी द्वारा निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान व कर्तव्यों के निर्वाह से सम्बन्धित कम्पनी की नीतियाँ :–

अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से नामांकन व पारिश्रमिक समिति से सम्बन्धित धारा 178(2),(3) एवं (4) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही है अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अन्तर्गत प्रावधानित अर्हताएँ, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य सम्बन्धित मामले सहित नियुक्ति एवं पारिश्रमिक सम्बन्धी कोई नीति कम्पनी द्वारा तैयार नही की गई है।

सम्प्रेक्षकों तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में दिये गये प्रतिबन्ध, निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी :–

सम्प्रेक्षकों एवं सी. एण्ड ए.जी. तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिबन्ध, निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा स्पष्टीकरण/टिप्पणी क्रमशः वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I,II एवं III के रूप में प्रस्तुत किये गये है तथा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत ऋण, गारण्टी व विनियोगों का विवरण :–

अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से धारा 186 में नियत ऋण, गारण्टी व विनियोगों के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नही हैं।

सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण :–

चूँकि कम्पनी के नित्य क्रियाकलापों के दौरान ऐसे कोई भी समव्यवहार नहीं किये गये जो कि निष्पक्ष आधार पर न हों अतएव धारा 188 के आलोक में सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं हेतु प्रावधान कम्पनी पर लागू नही हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है

तुलन पत्र से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा प्रतिवेदन की तिथि के मध्य हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों :–

सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा कारपोरेट लेखा कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार तुलनपत्र से सम्बन्धित कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं घटित नही हुये हैं।

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन तथा व्यय :–

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) सपठित नियम 8(3) कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 की आवश्यकतानुसार सूचनाएं इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–IV में वर्णित हैं।

कम्पनी के जोखिम प्रबन्धन नीति के विकास तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी विवरण :–

कम्पनी में जोखिम प्रबन्धन नीति निर्धारित नहीं है क्यूंकि कम्पनी के अस्तित्व को जोखिम में डालने वाले तत्वों की मौजूदगी न्यूनतम है।

कम्पनी द्वारा निगमीय समाजिक दायित्व उपक्रम अन्तर्गत विकसित तथा क्रियान्वित नीतियों का विवरण :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के प्राविधानानुसार कम्पनी द्वारा सीएसआर नीति अंगीकृत की गई है, (अनुलग्नक–V)। अधिनियम के अन्तर्गत गठित सी.एस.आर. समिति में निम्नवत् निदेशक शामिल हैं :–

1. प्रबन्ध निदेशक – अध्यक्ष
2. निदेशक (वित्त) – सदस्य
3. निदेशक (नियोजन व वाणिज्य) – सदस्य
4. निदेशक (परिचालन) – सदस्य
5. निदेशक (कार्य एवं परियोजना) – सदस्य

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन, अनुबंध–V के रूप में संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अन्तर्गत निक्षेपों का विवरण :–

वार्षिक लेखे 2023–24 से ली गयी सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जनता से कोई निक्षेप याचित/स्वीकार नहीं किये गये।

सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रभाव डालने वाले कम्पनी के सापेक्ष पारित आदेशों का विवरण :––

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई वस्तुगत आदेश नहीं पारित किये गये जिसका कम्पनी के सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव हो।

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण :–

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना निम्नवत है :–

अध्यक्ष, उ.प्रा.ट्रां.का.लि.	–	अध्यक्ष
निदेशक (परिचालन)	–	सदस्य
विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश सरकार	–	सदस्य
नामित निदेशक, पावरग्रिड	–	सदस्य

निदेशक (वित्त) सम्प्रेक्षा समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं प्रस्तुतकर्ता होता है जबकि कम्पनी सचिव समिति की बैठकों का समन्वयक होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथावर्णित निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पूर्व सम्प्रेक्षा समिति द्वारा वार्षिक वित्तीय प्रपत्रों, सांविधिक सम्प्रेक्षकों एवं सी.ए.जी. के प्रतिवेदनों तथा उन पर उत्तरों की समीक्षा करती है तथा उनको निदेशक मण्डल में अनुमोदन के लिए अनुशंसित करती है।

सतर्कता तंत्र :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित सतर्कता तन्त्र का उद्देश्य ऐसे तन्त्र का उपयोग करने वालों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना तथा उचित अथवा आपवादिक प्रकरणों में सम्प्रेक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच हेतु प्राविधान करना है। संगठन के अंतर्गत सतर्कता तन्त्र के अस्तित्व का उचित सम्प्रेषण कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल एवं शीर्ष प्रबंधन कार्मिको में परिवर्तन :–

समीक्षाधीन वर्ष में निदेशक मण्डल में विचाराधीन परिवर्तन निम्नवत रहा :

क्र. सं.	नाम	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ / दौरान पदनाम	अवधि (2023–24)	
			नियुक्ति की तिथि / पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति	परिवर्तन की प्रकृति (नियुक्ति, पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति)
1.	श्री आशीष गोयल	नामित निदेशक	27.07.2023	नियुक्ति
2.	श्री रणवीर प्रसाद	प्रबन्ध निदेशक	04.03.2024	नियुक्ति
3.	श्री सुशांत कुमार दास	पूर्णकालिक निदेशक	01.11.2023	नियुक्ति
4.	श्री अरुण कुमार मिश्रा	पूर्णकालिक निदेशक	01.12.2023	नियुक्ति
5.	श्री समीर कुमार स्वैन	पूर्णकालिक निदेशक	01.11.2023	नियुक्ति
6.	श्री नवीन श्रीवास्तव	नामित निदेशक	14.06.2023	नियुक्ति
7.	श्री संजय कुमार सिंह	नामित निदेशक	03.05.2023	नियुक्ति
8.	श्री मदासामी देवराज	नामित निदेशक	27.07.2023	समाप्ति
9.	श्री गुरु प्रसाद पोराला	प्रबन्ध निदेशक	04.03.2024	समाप्ति
10.	श्री निधि कुमार नारंग	नामित निदेशक	01.11.2023	समाप्ति
11.	श्री रविंदर नागपाल	नामित निदेशक	30.04.2023	समाप्ति
12.	श्री जावेद असलम	नामित निदेशक	03.05.2023	समाप्ति

निदेशक मण्डल निदेशकों द्वारा कम्पनी के साथ उनके एसोसिएशन के दौरान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिये आभार व्यक्त करता है।

सांविधिक सम्प्रेक्षक :–

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 2 / 10, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को कम्पनी में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये सांविधिक सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया। सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण किया गया तथा सांविधिक सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लागत सम्प्रेक्षक :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की उपधारा 148 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित लागत अभिलेखों का अनुरक्षण करना कम्पनी का दायित्व है। कम्पनी के लागत लेखे एवं अभिलेख मुख्यालय व परिक्षेत्रीय कार्यालय पर इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बनाए एवं अनुरक्षित किये गये है।

निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स टी.वाई.पी.एस.जी.ओ. एण्ड कं, लागत सम्प्रेक्षक, 38ए, सर्कुलर रोड, मैत्रीपुरम बिछिया, गोरखपुर–273012 को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये लागत सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सचिवीय सम्प्रेक्षक :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 सपठित कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में, कम्पनी के मण्डल ने कम्पनी सचिव गुंजन गोयल, व्यवसयिक कम्पनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये सचिवीय सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित सचिवीय सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन, इन टिप्पणियों पर प्रबन्धन की आख्या/स्पष्टीकरण सहित इस प्रतिवेदन का भाग है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा लेखों की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लेखों की महालेखापरीक्षा महालेखापरीक्षकों द्वारा की गई है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंर्तगत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक की अंतिम टिप्पणियाँ, इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न हैं।

सम्प्रेक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की प्रतिवेदन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के सांविधिक सम्प्रेक्षकों अथवा सचिवीय सम्प्रेक्षकों ने अधिनियम की धारा 143(12) तथा इसके अंतर्गत निहित नियमों सहित के तहत सम्प्रेक्षा समिति या निदेशक मंडल को किसी भी धोखाधड़ी को प्रतिवेदित नहीं की है।

कर्मचारियों का विवरण :–

कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसरण में, निगम में ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष के किसी भी भाग हेतु नियुक्त नहीं था जिसने वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹1.20 करोड़ प्रतिवर्ष अथवा ₹8.5 लाख प्रतिमाह से अधिक वेतन आहरित किया हो।

आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण :–

कम्पनी में वित्तीय विवरणों के सन्दर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान है व उसके अग्रेतर सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय भी किये जा रहे हैं।

सहायक कम्पनियाँ :–

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई भी कम्पनी उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. की सहायक/संयुक्त उद्यम/सहभागी कम्पनी नही बनी है अथवा निवृत्त हुई है।

औद्योगिक सम्बन्ध :–

समीक्षाधीन अवधि के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण रहे है।

वार्षिक विवरण :–

अधिनियम की धारा 134(3)(ए) सपठित धारा 92 (3) के अनुसरण में 31 मार्च, 2024 को वार्षिक विवरण कंपनी की वेबसाइट–एचटीटीपीएस//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/यूपीपीटीसीएल/इएन/आरटीकल/एनुअल–रिटर्नस पर उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रकटीकरण

कंपनी अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार कंपनी ने उपरोक्त अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत शून्य मामला दर्ज किया गया था।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार हैः –

(अ) भर्ती और मानव शक्ति संवर्धन :–

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान भर्ती और मानवशक्ति संवर्धन का सारांश नीचे दिया गया हैः –

1. उभयनिष्ठ संवर्ग की भर्ती अव. अभि.,सहा. अभि., अधि. अभि. तथा इससे ऊपर का कार्य उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा किया जाता है और फिर उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. को आवंटित किया जाता है।
2. सीधी भर्ती से कुल 101 अव. अभि. (वि./या.) को रिक्त पद के अनुसार आगे की तैनाती के लिए उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. को आवंटित किया गया था।
3. 187 तकनीशियन (विद्युत) की भर्ती तथा अग्रेतर विभिन्न परिक्षेत्रों को आवंटित।
4. उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. ने वर्ष 2023–24 में कुल 240 पदों पर कार्यालय सहायक–III कर्मियों की नियुक्ति की है और उन्हें उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. के मुख्य अभियंता और संबंधित कार्यालयों में कार्यभार सौंपा है।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 में 54 सहायक लेखाकारों की नियुक्ति की गई।

(ब) पदोन्नतिः –

1. कुल 59 तकनीशियन (विद्युत) को अव. अभि. में पदोन्नत किया गया।
2. उभयनिष्ठ संवर्ग की अव. अभि., सहा. अभि., अधि. अभि. और इससे ऊपर की पदोन्नति कार्य उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा किया जाता है और फिर उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. को आवंटित किया जाता है।
3. लेखा संवर्ग मे लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी और उससे ऊपर की पदोन्नति का कार्य उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा किया जाता है और फिर उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. को आवंटित किया जाता है।
4. 03 सहायक लेखाकारों को लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया गया है और 06 लेखा लिपिकों को सेवा अवधि में शिथिलता प्रदान कर सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया गया है।

(स) प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम :–

अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमताओं और व्यवहार को बढ़ाने के लिए उनके प्रतिभाग हेतु विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए उदाहरण स्वरुप:–

विषय	मुख्य अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अवर अभियन्ता	यूएस	समीक्षा अधिकारी/ स.समीक्षा अधिकारी	कार्यालय सहायक I/II/III
ग्रिड प्रबंधन और सुरक्षा मुद्दों में हालिया विनियमन	–	1	–	–	–	–	–	–
ईएचवी उप–केन्द्रों और लाइनों की परिकल्पना, निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण	–	1	1	1	0	0	0	0
ऊर्जा प्रणाली संरक्षा–सिद्धांत संरक्षण तथा रिले और दोष विषलेषण	–	–	2	1	–	–	–	–
इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक (आई.एस.यू. डब्ल्यू.2024) का 10वां संस्करण	–	1	9	–	–	–	–	–
ऊर्जा पारेषण प्रणाली–परिकल्पना, निर्माण, परीक्षण और उर्जीकरण तथा अनु. एवं प्रशा.	–	–	8	–	–	–	–	–
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम	–	1	2	–	–	–	–	–
विद्युत स्थापना, दुर्घटनाओं, रोकथाम और हाल के रुझानों का विद्युत सुरक्षा निरीक्षण	–	1	2	–	–	–	–	–
ऊर्जा प्रणाली सुरक्षा	–	–	2	–	–	–	–	–
उन्नत ऊर्जा प्रणाली सुरक्षा	–	1	–	–	–	–	–	–
ऊर्जा प्रणाली संचार एससीएडीए और ईएमएस	–	–	–	2	–	–	–	–
परावर्तक और सर्किट ब्रेकर्स का परिचालन एवं अनुरक्षण	–	1	–	–	–	–	–	
उपकेन्द्र नियोजन एवं अभियंत्रण	–	1	–	–	–	–	–	–
विद्युत प्रणाली उपकरणों का उच्च विभव परीक्षण	–	1	–	–	–	–	–	–
सतत भविष्य के लिए परावर्तक	1	1	–	–	–	–	–	–
एलएमए	0	0	5	0	–	1	3	9
कुल	2	9	32	4	0	1	3	9

यूपीपीटीसीएल के 343 कर्मचारियों ने अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया।

(घ) प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण : –

यूपीपीटीसीएल के कर्मचारियों का टीएनए (प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण) किया गया है।

कर्मचारी संबंध :

इस अवधि के दौरान कर्मचारी–प्रबंधन संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण और अनुशासित थे।

कल्याण गतिविधियाँ :

प्रबंधन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम एवं कार्य किये गये। सेवाकाल में दिवंगत विभागीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की गई। संविदा कर्मचारियों का भुगतान सुनिश्चित किया गया और प्रबंधन द्वारा प्रतिपरीक्षण भी किया गया।

पुरस्कार और मान्यता :

समय–समय पर कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये गये।

अभिस्वीकृति :–

निदेशक मण्डल विभिन्न केन्द्रीय व राजकीय सरकारी विभागों, उ.प्र विद्युत नियामक आयोग, सी.ई.आर.सी., केन्द्रीय ऊर्जा उपयोगिताओं, पी.एफ.सी, आर.ई.सी., बैंको व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये सहयोग तथा सतत समर्थन का आभार व्यक्त करती है। उपरोक्त के अलावा, निगम, यू.पी.पी.सी.एल., एम.वी.वी.एन.एल., डी.वी.वी.एन.एल., पी.यू.वी.वी.एन.एल., और पी.वी.वी.एन.एल. और केस्को का सहयोग और समर्थन करता है। निदेशक मण्डल ठेकेदारों, विकेताओं व सलाहकारों के परियोजनाओं को समय से पूर्ण किये जाने के प्रयास में उनके योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मण्डल सांविधिक सम्प्रेक्षकों, लागत सम्प्रेक्षको, सचिवीय सम्प्रेक्षक और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कार्यालय द्वारा दिये गये सहयोग की भी गहन सराहना करता हैं। निदेशकगण कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दिये गये योगदान की प्रशंसा करते हैं जो आपकी कम्पनी को उस मंच तक ले गये हैं जहाँ यह आज खड़ी है और विश्वास करते हैं कि इनकी सतत निष्ठा आपकी कम्पनी को भारत में विद्युत पारेषण गतिविधियों में निकट भविष्य में एक और जयपत्र प्राप्त करने में सक्षम होगी।

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह.–	–ह.–
(समीर कुमार स्वैन)	**(डॉ. रुपेश कुमार)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं–08721075	डीआईएन नं–06802972

दिनांक : 11.03.2025
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–I
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के दिनांक 31–03–2024 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर संवैधानिक सम्प्रेक्षको के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सेवा में, **सदस्यगण, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड** **वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर प्रतिवेदन** **अभिमत :** हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं। इन विवरणों में अन्य लेखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित किए गए छः पारेषण परिक्षेत्रों, निधि प्रबन्धन इकाइयों–प्रथम एवं द्वितीय, ऋण प्रबन्धन इकाई और भुगतान इकाई के लेखे भी सम्मिलित हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
हमारे अभिमत में, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे प्रतिवेदन के ''परिमित अभिमत के आधार'' भाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कंपनी की अन्य व्यापक आय, समता में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह सहित कंपनी के लाभ को, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इन्ड एएस") सपठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में, भी परिलक्षित करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
परिमित अभिमत के लिए आधार : हम 'अनुलग्नक–I' में वर्णित प्रकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते है। इन प्रकरणों का प्रभाव, एकिक अथवा समग्रता में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रकरण भी हो सकते है जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
हमने वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस.ए.) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारे प्रतिवेदन के ''वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व'' भाग में वर्णित किया गया है। भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेन्स संस्थान (आई सीए आई) द्वारा निर्गत आचार संहिता की अनुरुपता में हम कम्पनी से स्वतंत्र है, तथा हमने अधिनियम व इसके नियम के अंतर्गत हमारी सम्प्रेक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं को घ्यान में रखा है। हमने इन आवश्यकताओं आईसीएआई की अचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।	कोई टिप्पणी नहीं।
विषय का महत्व अनुच्छेद : उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और उ.प्र. स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट ने अपनी अधिशेष संचित निधि को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (डीएचएफएल) की सावधि जमा में निवेश किया । डी.एच.एफ.एल. के दिवालिया होने के कारण, इसमें निवेश की गई राशि, अप्राप्त ब्याज और उस पर अनुमानित ब्याज सहित लुप्त हो गई है। परिणाम स्वरुप यह निर्णय लिया गया है कि डी.एच.एफ.एल. में लुप्त हुई राशि की प्रतिपूर्ति उ. प्र. पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड वितरण कम्पनियों उ.प्र. राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड और उ.प्र. जल विद्युत निगम लिमिटेड से ट्रस्ट द्वारा उनके	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
जीपीएफ/सीपीएफ अंशदान के अनुपात में प्राप्त की जाएगी। इस संदर्भ में, कंपनी ने ₹ 2550.62 लाख का प्रावधान किया है जिसे असाधारण मद के रूप में वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है। इस व्यवस्था को निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है। इस मामले में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
सम्प्रेक्षा के मुख्य मामलेः सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्ता के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में निवेदित किया गया था। हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें : कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सूचनाएँ सम्मिलित हैं किन्तु वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उन पर किसी तरह का आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, अन्य सूचनाओं को पढ़ना तथा विचार करना हमारा उत्तरदायित्व है यदि यह एकल वित्तीय विवरणों अथवा सम्प्रेक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से सारपूर्ण रूप में असंगत या अन्यथा महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णित प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किये गये कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो उनसे यह अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना अभिशासन	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
हेतु उत्तरदायी लोगों को दे तथा परिस्थितियों और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार उचित कार्यवाही करें।	
निदेशक मण्डल प्रतिवेदन को लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी सूचित नहीं करना है।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन तथा "जो अधिशासन हेतु दायी है" के उत्तरदायित्व : संलग्न वित्तीय विवरणों को कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की द्यधारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित ("इन्ड एएस") तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, समता में परिवर्तन व रोकड़ प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने के लिए निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार समुचित लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन, उचित एवं युक्तियुक्त अनुमान व निर्णय, तथा प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रक की अभिकल्पना, कियान्वयन तथा अनुरक्षण सम्मिलित है। इन नियंत्रणों का उद्देश्य लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णतः सुनिश्चित करना और वित्तीय विवरण जोकि सारपूर्ण मिथ्यावर्णन यद्यपि धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है, को बनाना व प्रस्तुतीकरण।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, के लिए प्रबन्धन उत्तरदायी है। इसमें सतत् व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत् व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने की इच्छा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, से संबंधित कोई भी प्रकरण का प्रकटीकरण सम्मिलित है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व : हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्रता में सारपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि कारणों से मुक्त है तथा एक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि जिम्मेदारी नहीं है कि अंकेक्षण चाहें प्रमापों के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी। मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों के अनुरूप सम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप मे, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हमः– ● वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारणों, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये प्रति क्रियाशील सम्प्रेक्षा प्रकिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है, प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर की गई चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
• ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
• प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
• प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत् व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवदेन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
• प्रकटन समेत वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से सुनिश्चित/प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
सारपूर्णता वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों के परिमाण को संदर्भित करती है, जो ऐकिक रुप मे या समग्रता में एक जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
से उम्मीद की जा सकती है। हम (i) अपने सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का आकलन मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों दोनों पर विचार करते हैं।	
हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
हम इन नियन्त्रक प्रभारियों को वक्तव्य प्रदान करते हैं जो स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ हमारे अनुपालन की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, हम उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संप्रेषित करते हैं जिन्हें उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए माना जा सकता है, जिसमें कोई भी संबंधित सुरक्षा उपाय सम्मिलित हैं, यदि लागू हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उनकी पहचान करते हैं जो वर्तमान अवधि के लिए एकल वित्तीय विवरणों के सम्प्रेक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और उन्हें प्रमुख सम्प्रेक्षा मामलों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन में इन प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है या, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को संप्रेक्षित करने के प्रतिकूल परिणामों के कारण इस तरह के संचार से सार्वजनिक हित के लाभों का अधिक होना सम्भावित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
अन्य मामले: कम्पनी के वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा और झांसी में स्थित परिक्षेत्रों की लेखा पुस्तकों अथवा सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमने नहीं की है। इन परिक्षेत्रों के लेखा पुस्तकों तथा सूचनाओं की सम्प्रेक्षा सम्बंधित शाखा सम्प्रेक्षकों	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें हमें प्रदान किये गए है। हमारे अभिमत, जहाँ तक यह धनराशियां एवं प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।	
अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन : 1. हमारी सम्प्रेक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि अधिनियम की धारा 197 सपठित अनुसूची V के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं चूंकि कम्पनी एक सार्वजनिक कम्पनी नहीं है जैसाकि अधिनियम की धारा 2(71) में परिभाषित है। तदनुसार, धारा 197(16) के अनुसार प्रतिवेदन लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा जैसाकि वांछित है हम "अनुलग्नक–II" में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, लागू होने की सीमा तक विवरण प्रदान करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम "अनुलग्नक III (ए) एवं III(बी)" पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
4. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा वांछित है, तथा हमारी सम्प्रेक्षा के आधार पर लागू सीमा तक सूचित करते है कि: अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार अंश में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
ब) हमारे अभिमत में और "परिमित अभिमत के लिए आधार" भाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, विधान के अनुसार कंपनी द्वारा समुचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्रों जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुए हैं तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
द) इस प्रतिवेदन में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों से सुमेलित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
य) सिवाय उन मामलों के जो "परिमित अभिमत के लिए आधार" अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (आईएनडीएएस) सपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के "अनुलग्नक–IV" का संदर्भ ग्रहण करें।	कोई टिप्पणी नहीं।
व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014(यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत, जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार–	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार" अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को 31 मार्च 2024 के वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ii. कंपनी के पास प्रतिभागी संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानियाँ थी।	कोई टिप्पणी नहीं।
iii. 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा किसी भी राशि को निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष मे अंतरण नही किया जाना था।	कोई टिप्पणी नहीं।
iv. अ) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उनकी समझ व विश्वास मे तथा जैसाकि लेखों पर टिप्पणीयों में वर्णित है, को छोड़कर कंपनी द्वारा कोई भी धनराशि किसी व्यक्ति (यों) अथवा संस्था (ओं) को सम्मिलित करते हुए, इस समझ के साथ जैसाकि लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि बिचौलिया प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से अन्य व्यक्तियों को ऋण देता अथवा निवेश करता है अथवा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से चिन्हित की गई संस्थाए ("अंतिम लाभार्थी") अथवा अंतिम लाभार्थी की ओर से प्रदत्त कोई आश्वासन, प्रतिभूति या समान व्यवस्था, को अथवा मे अग्रिम या विनियोग (चाहे ऋण कोष, अंश अधिमूल्य अथवा किसी अन्य स्रोत के रुप में) नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ब) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया कि उनकी सर्वोत्तम समझ व विश्वास में तथा जैसा कि लेखों पर टिप्पणियों में वर्णित है को छोड़कर कंपनी ने कोई भी धनराशि किसी व्यक्ति (यों) अथवा संस्था (ओं) विदेशी संस्थाओं ("वित्त पोषण संस्थाएं'') को सम्मिलित करते हुए, इस समझ के साथ जैसाकि लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज हो कि कम्पनी बिचौलिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से ऋण देती अथवा निवेश करती है अथवा वित्तपोषण संस्था ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से चिन्हित जो	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
भी अन्य व्यक्ति अथवा अंतिम लाभार्थी की ओर से प्रदत्त कोई आश्वासन प्रतिभूति या समान व्यवस्था, को अथवा मे अग्रिम या विनियोग (चाहे ऋण कोष अंश अधिमूल्य अथवा किसी अन्य स्रोत के रुप में) नही किया है।	
स) सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपवाक्य (अ) और (ब) अंतर्गत किये गए प्रस्तुतीकरण मे कोई गलत बयान शामिल है।	कोई टिप्पणी नहीं।
v. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

–ह.–	–ह.–	–ह.–
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी.एफ.ओ. (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक-I

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में जैसाकि वर्णित व उसका भाग)

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
1. अंतर–इकाई अंतरण की धनराशि ₹ 25,192.35 लाख समाधान और अनुवर्ती समायोजन के अधीन हैं। यद्यपि, वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से कोई भी असमाधानित लेनदेन नहीं हुए हैं। (संदर्भ नोट 11)	वित्तीय वर्ष 2017–18 के पश्चात सभी अंतर इकाई लेनदेन का मिलान किया जा चुका है। हालांकि, वित्त वर्ष 2017–18 से पूर्व के अंतर इकाई लेनदेन को चरणबद्ध तरीके से मिलान किया जा रहा है।
2. ₹ 2,26,953.16 लाख के प्रगतिशील कार्य का आयुवार अनुसूची हमे प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (संदर्भ नोट संख्या 3)	इकाई स्तर पर चल रहे सभी पूंजीगत कार्यों के आयुवार विवरण के संकलन के लिए आवश्यक समव्यों को एस ए पी पर विन्यासित किया जा रहा है। तदनुसार प्रगतिशील कार्यो का आयुवार प्रकटन किया जाएगा।
3. परिक्षेत्र सम्प्रेक्षक द्वारा प्रदान की गई और संकलित प्रतिवेदन के अनुसार, सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया गया है, जो आइएनडीएएस 14 के अनुरुप नही है।	कंपनी सामग्री मूल्यांकन के लिए भरतीय लेखा मानक 2 का अनुसरण कर रही है। कंपनी की सामग्री में सामग्री मद शामिल हैं जिनका मूल्य निर्धारण भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 2 है ''सामान्य व्यवसाय में अनुमानित बिक्री मूल्य कमी बिक्री के लिए अनुमानित लागत शुद्ध वसूली मूल्य है। इस प्रकार अंतिम सामग्री (सामग्री सामान्य व्यवसाय के दौरान बिक्री के लिए रखा जाता है) का मूल्य लागत या उनके शुद्ध वसूली मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 2 में कहा गया है कि सामग्री के उत्पादन एवं प्रसंसकरण के लिए रखी गयी सामग्री व आपूर्ति को लागत से कम नहीं लिखा जाता है यदि तैयार उत्पाद जिनमें उन्हें शामिल किया जाता है, उन्हें लागत पर या उससे अधिक बेचे जाने की सम्भावना है। अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत वस्तुओं का मूल्य लागत पर निर्धारित किया जाता है क्योंकि शुद्ध वसूली मूल्य ऐसी सामग्री पर लागू नहीं होता है जो सामान्य व्यवसाय के दौरान पुर्नउपयोग के लिए होती है लेकिन बिक्री के लिए नही होती है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
4. कंपनी ने नगर निगम वाराणसी के साथ एक पट्टा समझौता किया है और ₹ 8,19,69,188.00, स्टांप शुल्क जमा ₹ 61,87,000.00 करोड़ के साथ अग्रिम पट्टा प्रीमियम का भुगतान किया है। । पट्टे को आइ एन डी एएस 116 के अनुसार वित्त पट्टे के रूप में माना गया है। हालाँकि, कंपनी आइ एन डी एएस 116 के अनुसार इसका लेखांकन करने में विफल रही है। विशेष रूप से, प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार को आइ एन डी एएस 116 के अनुच्छेद 26 के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टे की देनदारी को पहचानना आवश्यक है। पट्टे की देनदारी को उस तिथि तक भुगतान नहीं किए गए पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाना चाहिए। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में कमी की जानी चाहिए, यदि उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। यदि दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो पट्टेदार को पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करना चाहिए।	उक्त भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2019 में किया गया था, जिस पर वित्त वर्ष 2023–24 में 132 केवी आलियापुर जीआईएस उपकेन्द्र (62X2 एमवीए परावर्तक) का निर्माण और ऊर्जीकरण किया गया। तदनुसार भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार परिसंपत्ति के रूप में पुस्तकों में भुगतान किए गये अग्रिम शुल्क तथा उस पर भारित मूल्यह्रास से इसे लेखापुस्तकों मे पूँजीकृत किया गया। पट्टा देनदारी की मान्यता के संबंध में, चूंकि पूर्ण भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया था और कोई पट्टा राशि देय नहीं है, इसलिए, भारतीय अग्रेतर और लेखा मानक 116 की आवश्यकता के अनुसार भूमि को उसके वर्तमान मूल्य पर दर्ज किया गया है। भविष्य की कोई देनदारी नहीं होने के कारण, भविष्य की देनदारियों के शुद्ध वर्तमान मूल्य की छूट और गणना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पट्टे की संपत्ति का पूरा मूल्य मानकों के अनुसार कम किया जा रहा है।
5. कंपनी ने परिसंपत्ति हानि का आकलन नहीं किया है, जो आइ एन डी एएस 36 (परिसंपत्तियों की हानि) के साथ असंगत है।	कंपनी वर्ष के दौरान हानि की आवश्यकता वाली किसी भी संपत्ति पर विचार नहीं करती है।
6. व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी 8) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 11) और अन्य वर्तमान दायित्व (टिप्पणी 20) में वे शेष राशि शामिल हैं जो पिछले वित्तीय वर्षों से प्राप्ति या निपटान के लिए बकाया हैं। वर्ष के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर इन राशियों की विश्वसनीयता और निपटान के बारे में पर्याप्त जानकारी या स्पष्टीकरण के अभाव में, उन्हें गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों/देनदारियों के बजाय वर्तमान परिसंपत्तियों/ देनदारियों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय आइ एन डी एएस1 (वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण) के साथ असंगत है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों/ देनदारियों का अधिमूल्यित और संबंधित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों/ देनदारियों का अल्पमूल्यित हुई है।	भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और भण्डार आदि जैसी परिचालन परिसंपत्तियां सामान्य परिचालन चक्र के भीतर देय होते हैं और इसलिए, चालू के रूप में वर्गीकृत होते हैं, भले ही वे बारह महीनों के भीतर वसूल नहीं होते हैं। इसके अलावा, बारह महीने से अधिक के निपटान के लिए देय परिसंपत्तियों/ देनदारियों को वार्षिक खातों में वर्तमान और गैर–वर्तमान के बीच उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया गया है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
7. कंपनी ने हस्तस्थ सामग्री और अप्रचलित सामग्री के लिए प्रावधान नहीं किया है।	कंपनी की मौजूदा नीति के अनुसार हस्तस्थ सामग्री और अप्रचलित सामग्री को अलग–अलग जीएल में लेखांकित किया जाता है। परिक्षेत्र / इकाई स्तरों पर गठित अवशिष्ट समितियां नियमित रूप से अप्रचलित और अवशिष्ट सामग्री की समीक्षा, घोषणा और निपटान कर रही हैं। फिर भी, भण्डार की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करने और मूल्य में किसी भी अपेक्षित कमी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
8. कंपनी के पास टिप्पणी 3 (क्रियाशील पूँजीगत कार्य) में उल्लिखित अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुसंधान और विकास चरण के बारे में कोई उचित विवरण या जानकारी नहीं है।	क्रियाशील अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण ईआरपी पर उपलब्ध है। इसके अलावा सीडब्ल्यूआईपी (अमूर्त संपत्ति) का प्रमुख भाग वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पूंजीकृत किया जाएगा।
9. लेखों की टिप्पणी 27 के अनुसार, कंपनी ने पूर्व अवधि समायोजन के कारण अपने वित्तीय विवरणों को पुर्नस्थापित किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
10. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में 2.2250 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग, इटावा को अंतरित की थी। हालांकि, इस लेनदेन के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखा समायोजन अभी भी लंबित हैं (टिप्पणी 33, अनुच्छेद 16 देखें)	पर्यटन विभाग को जमीन सौंपने के लिए क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी और डीजी, पर्यटन, उ.प्र. से 2002.50 लाख रुपये की मांग की गई थी। यह मामला अभी भी विचाराधीन है और संबंधित अधिकारियों के साथ अनुश्रवण किया जा रहा है। मामला निपट जाने और प्रतिफल प्राप्त होने के बाद भूमि के इस टुकड़े को अपूंजीकृत कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक प्रकटन वित्त वर्ष 2023–24 के वार्षिक लेखों में किया गया है।
11. कंपनी ने ताजमहल, पूर्वी द्वार मार्ग पर स्थित अपनी 5.9 एकड़ जमीन मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को अंतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखा समायोजन अभी भी लंबित है (टिप्पणी संख्या. 33 अनुच्छेद 16)।	यह भूमि उ.प्र सरकार के आदेश संख्या 117 / 2015 / 1892 / 41–2015–92 40 / 15 दिनांक 11.08.2015 के अनुपालन में निःशुल्क दी गई थी। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खाते में कोई समायोजन नहीं किया गया था।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	इसका प्रकटन वित्त वर्ष 2022–23 के वार्षिक खातों में किया गया है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में, उसी भूमि को अपूंजीकरण के माध्यम से अचल संपत्ति पंजिका से हटा दिया जाएगा।
12. कंपनी ने 132/33 केवी जी/एस उपकेन्द्र नीबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर भूमि को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अंतरित किया है। हालांकि, इस लेन–देन के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखा समायोजन अभी भी लंबित है (टिप्पणी 33, अनुच्छेद 16 देखें)।	कंपनी के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, 132/33 केवी जी/एस उपकेन्द्र नींबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर भूमि को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को मौजूदा अंचल दरों पर अंतरित कर दिया गया। प्रचलित अंचल दरों के आधार पर, ₹ 62,55,900 प्रतिफल की गणना की गई और तदनुसार म.वि.वि.नि.लि. से मांग की गई थी। हालांकि, अंतिम निस्तारण अभी भी लंबित है, इसलिए मामले के निपटारे और प्रतिफल प्राप्त होने के बाद भूमि को अपूंजीकृत कर दिया जाएगा। इस मामले का अनुश्रवण संबंधित अधिकारियों (निदेशक वाणिज्यिक–म.वि.वि.नि.लि.) के साथ किया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक प्रकटन वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक लेखों में किया गया है।
13. टिप्पणी संख्या. 21 के अनुसार विविध लेनदारों के अवशेष जो भुगतान के लिए बकाया है, उन्हें आयकर अधिनियम 1961 और एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार अपने बकाया को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।	आगामी हस्तस्थ लेखों में उपयुक्त वर्गीकरण किया जाएगा।
14. पिछले वर्ष 2022–23 के लिए प्रवजन सम्प्रेक्षा नहीं किया गया है, जिसके दौरान खातों को दस्ती से एसएपी ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर में बदल दिया गया था।	ई. आर. पी. प्रवजन की तिथि को प्रत्येक जी. एल. वार इकाईवार अवशेष का पहले ही पुस्तकी अवशेषों के साथ मिलान किया जा चुका है और यह सुनिश्चित किया गया है कि वे अंतिम अंकेक्षित लेखों के साथ समेलित हों। इसके अलावा, सभी प्रारंभिक और अन्तिम अवशेष पहले से ही प्रवजन

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
	के वर्ष के दौरान इकाई के साथ–साथ मुख्यालय में वैधानिक सम्प्रेक्षा सहित विभिन्न स्तरों थी सम्प्रेक्षा से गुजर चुके हैं और कोई अंतर नहीं देखा गया है।
15. वर्ष के दौरान आवधिक आधार पर विविध देनदारों, लेनदारों, अग्रिमों या अंतर–कंपनी लेनदेन के लिए कोई अवशेष पुष्टि प्रक्रिया नही की गयी।	कंपनी नियमित रूप से सभी प्रमुख देनदारों और लेनदारों से अवशेष की पुष्टि प्राप्त कर रही है, जिनकी समीक्षा प्रतिदर्श आधार पर की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सभी देनदारों, लेनदारों, अग्रिमों और अंतर–कंपनी लेनदेन से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए पुनः निर्देश जारी किए गए हैं।
16. परिक्षेत्र की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अवलोकन, जिन्हें प्रतिवेदन में कहीं और उचित रूप से सम्मिलित किया है को छोड़कर।	
i- मेरठ (पश्चिम क्षेत्र) उ.प्र.पा.का.लि., म.वि.वि.नि.लि., प.वि.वि.नि.लि., द.वि.वि.नि.लि., उ.प्र. जल निगम और उ.प्र. विद्युत उत्पादन (जी. एल. मद–2887100000) से प्राप्त होने वाली ₹11.56 करोड़ की राशि में परिक्षेत्र/इकाइयों के साथ विस्तृत मिलान या सहायक प्रपत्रों का अभाव है। इस स्तर पर कोई आवश्यक समायोजन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा (उ.प्र.पा.का. लि., म.वि.वि.नि.लि., प.वि.वि.नि.लि., उ.प्र. जल निगम और उ. प्र. विद्युत उत्पादन) के देय खाते (जीएल मद–4698100000) में ₹9.97 करोड़ दीर्घ अवधि से अवशेष है। स्तर पर मिलान के कारण समायोजन, यदि कोई हों, को निर्धारित नही किया जा सकता है।	प्राप्य और देय का मिलान एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रगति पर है। हालांकि, इकाइयों को पूर्ण विवरण और इसके मिलान की तैयारी के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं जो इकाई स्तर पर प्रगति पर हैं।
ii. झांसी परिक्षेत्र अ) वि.प.ख., बांदा (22138270) के मामले में जीएल संख्या 22778000000 (परिर्वतक) के तहत ₹ 35,10,266 का प्रारम्भिक नाम अवशेष है। समझाया गया है कि परिर्वतक मरम्मत के लिए बहुत पहले बाह्य संस्था को दिए गए थे, लेकिन अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरा विवरण उपलब्ध	प्राप्त परार्वतक को वि.प्रा.ख. ओराई के 132 केवी उपकेन्द्र जालौन में प्राप्त कर लिया गया है और अगस्त, 2024 में इसका उचित लेखांकन किया गया है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
नहीं है। यदि बाह्य संस्था से संपत्ति की वसूली नहीं की जाती है, तो यह कंपनी की लाभप्रदता उतनी ही राशि से प्रभावित करेगा।	
वि.जा.पा.ख. झांसी (23146285) : ● एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (09एएसीसीएन1659डी1जेडके) 400 केवी उपखण्ड ओराई के निर्माण के लिए अनुबंध मेसर्स एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली को प्रदान किया गया था, जिसे 09.12.2011 को ₹19,48,89,000.00 की अनुबंध मूल्य के लिए निष्पादित किया गया था, काम पूरा होने की नियत दिनांक 06.01.2014 थी। हालांकि, पक्ष अभी भी अनुबंध को पूरा करने की नियत तारीख के 10 साल बाद भी निष्पादित कर रही है।	परियोजना का प्रमुख भाग पहले ही पूर्ण ऊर्जीकृत और पूंजीकृत किया जा चुका है। केवल छोटे–मोटे काम अधूरे थे। हालांकि, मेसर्स एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अब सहमति व्यक्त करते हुए उक्त कार्य को पूरा करना शुरू कर दिया है और इसके कुछ हफ्तों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। फिर भी कंपनी ने लंबित कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त लागत की किसी भी संभावना को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति जमा रखी है।
ब) सम्प्रेक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अतिथिगृह के संचालन से कुल प्राप्तियां ₹ 5,36,567.84 (जीएल मदः 6264000000) जबकि अतिथि गृहों की मरम्मत और रखरखाव के लिए व्यय ₹ 5,09,19,637.68 (जीएल मदः 7421300000) यह ध्यान दिया गया कि अतिथि गृह अधिकांश समय खाली रहते हैं। इसलिए, प्रबंधन को अतिथि गृहों पर ऐसे महत्वपूर्ण खर्चों के औचित्य की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या ये खर्च उनके सीमित उपयोग को देखते हुए उचित हैं।	सबसे पहले, आगरा जोन के तहत लेखांकित किए गए निरीक्षण/अतिथि गृह पर अनुरक्षण एवं मरम्मत व्यय मात्र ₹ 24,83,062 (जीएल 7421600000) था। जबकि लेखा परीक्षकों ने अनजाने में अपने अवलोकन में आवासीय भवनों (जीएल 7421300000) के अनुरक्षण एवं मरम्मत व्ययों पर विचार किया है। इसके अलावा, अतिथि गृहों का रखरखाव कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, लेखा परीक्षा, बैठकों आदि जैसे विभिन्न तकनीकी/वित्तीय कार्य से संबंधित निरीक्षण उद्देश्यों के लिए क्षेत्रों का दौरा करने के लिए सुविधा के रूप में किया जा रहा है, न कि किराए पर लाभ कमाने के लिए। कंपनी द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति जोकि लोक उपयोगिता है, को ध्यान में रखते हुए, कर्तव्यों के निर्वहन में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों/सबस्टेशनों की निकटता में अतिथि घरों की आवश्यकता होती है।

–ह.–	–ह.–	–ह.–
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" खण्ड के अन्तर्गत अनुच्छेद 2 में सन्दर्भित

हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
i) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है, इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई सारपूर्ण विसंगति देखी गई थी या नहीं।	कंपनी की सामग्री और अचल संपत्तियों के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए नीति है। इसके अलावा, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन के लिए विशिष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
(ख) कंपनी द्वारा धारित सभी अचल संपत्तियों के लिए स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी विधिवत निष्पादित पट्टे के समझौतों के साथ पट्टेदार है) कंपनी के नाम पर पंजीकृत हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (i) (डी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(घ) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेन–देन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। नतीजतन, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (i) (ई) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ड़) झांसी क्षेत्र ने वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का कोई सारपूर्ण सत्यापन नहीं किया है। इसलिए, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई सारपूर्ण विसंगतियां देखी गईं और यदि हैं, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रुप मे निवेदित किया गया है।	कंपनी की सामग्री और अचल संपत्तियों के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए नीति है। इसके अलावा, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन के लिए विशिष्ट निर्देश भी जारी किए गए हैं। अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
ii) वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भंड़ार का भौतिक सत्यापन किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
iii) वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ii) (बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
iv) हमारे अभिमत में और कम्पनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझीदारी या कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 189 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्टर से आच्छादित अन्य पक्षों को कोई संरक्षित या असंरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii) (ए)(बी) व (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आच्छादित कोई लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के तहत प्रतिवेदन कंपनी पर लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
vi) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 एवं कंपनी (निक्षेप स्वीकरण) नियम 2014 (यथा संशोधित) के प्रावधानो की शर्तों में कंपनी ने जनता से जमा अथवा धनराशि जो जमा मानी गयी है स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, इस अनुच्छेद के तहत प्रतिवेदन लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
vii. लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा बनाये गए हैं। हालाँकि प्रतिदर्श के आधार पर हमने जाँच कर ली है।	कोई टिप्पणी नहीं।
viii. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, पीएफ ईएसआई, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, सहित निर्विवाद	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
वैधानिक बकाया, उपयुक्त अधिकरणों को जमा करने में कम्पनी आम तौर पर नियमित रही हैं।	
आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, उपकर, जीएसटी या सेवा कर के संबंध में वैधानिक बकाया के खिलाफ विवादों का विवरण जो 31 मार्च, 2024 तक किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकरणों को जमा नहीं किए गए हैं, विवरण निम्नवत है– **माँग की प्रकृति** : **धनराशि** बिक्री कर : 2,29,44,625 टीडीएस : 35,26,000	बिक्री कर तथा टीडीएस के लिए वाणिज्यिक कर विभाग में आयकर आयुक्त के पास एक अपील दायर की गई है और यह मामला अपीलीय अधिकारियों के साथ विचाराधीन है।
ख) हमारी राय में और हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो लेखापुस्तकों में अभिलिखित न किया गया हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकटित किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में अभिलिखित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ग) i) हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने किसी ऋण या उधारी की अदायगी अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। ii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
घ) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।	कोई टिप्पणी नहीं।
च) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई कोई ऐसी निधि नहीं है जिसका उपयोग लंबी अवधि उद्देश्य के लिए किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
छ) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों सहयोगी या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ज) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतिया गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं अर्जित किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
झ) i) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समेकित आधार पर कंपनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं ली है। ii) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या अंगो का व्यक्तिगत स्थापन अथवा परिर्वतनीय ऋणपत्र (पूर्णतः, अंशतः अथवा वैकल्पिक परिवर्तनीय) निर्गत नहीं किये है। तदनुसार, आदेश के परिच्छेद 3(एक्स)(बी) के अन्तर्गत सूचना लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ट) i) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, हमारी सम्प्रेक्षा द्वारा आवरित अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या सूचित नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ii) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में लेखा परीक्षक द्वारा केंद्र सरकार के पास कोई भी सूचना सम्मिलित नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर से शिकायत प्राप्त हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
ठ) कंपनी निधि कम्पनी नहीं है और इस पर निधि नियम, 2014 लागू नहीं है, इसलिए यह परिच्छेद लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ड) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन में हैं। ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है। जैसा कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (आइएनडी एएस) 24, कंपनियों में निर्दिष्ट संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ढ) i) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण व जानकारी के अनुसार कंपनी के पास अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, जो इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है। ii) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी द्वारा अब तक आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गये प्रतिवेदनों पर विचार किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
त) कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर व हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत निर्दिष्ट निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। अतः आदेश के परिच्छेद 30(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते।	कोई टिप्पणी नहीं।
थ) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के परिच्छेद 3(xvi) (ए)(बी) व (सी) के अन्तर्गत सूचना कम्पनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
द) कंपनी को वित्तीय वर्ष और अंतिम वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
ध) वर्ष के दौरान पूर्व वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई त्याग पत्र नहीं हुआ है। तदनुसार, इस परिच्छेद के अन्तर्गत सूचना कम्पनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
न) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, आयुवार और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि कोई भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तिथि के अनुसार महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हालाँकि, हमारे अनुसार यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारा प्रतिवेदन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाएगा जब भी वे देय हों।	कोई टिप्पणी नहीं।
प) i) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुपालन में कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर अंतरित नहीं की है। ii) किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत व्यय न की गई कोई धनराशि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में अंतरित नही की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
फ) आदेश के परिच्छेद 3(xxi) के तहत सूचना कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस प्रतिवेदन के अनुसार उक्त परिच्छेद के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।

–ह.–	–ह.–	–ह.–
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी.एफ.ओ. (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा के भाग में यथा संदर्भित।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र. सं	निर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
1. 2.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाह्य लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अविकलता पर प्रभाव, यदि कोई हो, इंगित किया जा सकता है।	लेखा प्रविष्टियाँ अब इकाई स्तर और कम्पनी स्तर पर ईआरपी पर की जाती हैं और लेखांकन व सूचना के उद्देश्य से आकड़े ईआरपी के माध्यम से प्रस्तुत किये गये है।	कोई टिप्पणी नहीं
3.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपगी को ऋण, कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभावों के बारे में इंगित किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना एवं ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
	क्या केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित, उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं

–ह.–	–ह.–	–ह.–
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी.एफ.ओ.	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)		

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा के भाग में यथा संदर्भित

विषय–कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा143(5)के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के उपनिर्देश

क्र. सं	निर्देश	आख्या	प्रबन्धन के उत्तर
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि की जाँच पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उचित कदम उठाए जा रहे हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।	कोई टिप्पणी नहीं
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है।	उ.प्र.वि.नि.आ., एक राज्य आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.22% अनुमोदित की है। उ.प्र.पा.ट्रा. का.लि. को वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.16% हुई जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के अन्तर्गत हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

क. सं	निर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी संस्था के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि जमा कार्य पूरा होने पर संपत्ति संस्था की संपत्ति बन जाती है, तो इसे संस्था को हस्तगत कर दिया जाता है। तथापि, यदि जमा कार्यों से बनाई गई संपत्ति समझौते के संदर्भ में कम्पनी की संपत्ति/परिसंपत्ति बन जाती है, तो इसे पूंजीकृत किया जाता है और परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अंशदान के सापेक्ष कम्पनी की पुस्तकों में अभिलिखित किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं

–ह.–	–ह.–	–ह.–
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी.एफ.ओ. (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक–IV

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम" की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (I) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों के हमारे संप्रेक्षा के साथ, हमने उस तिथि के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परिक्षित किया है।

निर्देश	उत्तर
आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व कम्पनी का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश वित्तीय लेखा टिप्पणी (निर्देशक टिप्पणी) में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्तवों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा अधिनियम के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, कम्पनी के व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया जो अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू सीमा तक आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तथा आईसीएआई	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	उत्तर
द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर दिशानिर्देश लेख (निर्देशक टिप्पणी) के अनुसार किया है। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए सम्प्रेक्षा की योजना बनाए व निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी प्रकार से प्रभावी रुप से संचालित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन के प्रभाव के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कार्य साधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो, की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
हम विश्वास करते है कि उपलब्ध किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण एवं वित्तीय प्रपत्रों का सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	उत्तर
वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को लेखांकित किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निर्देशों की अनुज्ञा अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तिया की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्ता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकता हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या अनुपालन की मात्रा के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
अभिमत हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2024 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	उत्तर
पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।	कोई टिप्पणी नहीं।

–ह.–	–ह.–	–ह.–
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(रणवीर प्रसाद)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी.एफ.ओ. (वित्त एवं लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबन्धन के उत्तर

भा.म.ले. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 31 जुलाई, 2024 के माध्यम से किया गया होना इंगित है। मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को श्रेष्ठर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :	कोई टिप्पणी नहीं।
अ. प्रकटीकरण पर टिप्पणियां **महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (टिप्पणी–1)** 1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के पैरा III (बी) में, यह प्रकटन किया गया है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (प्रशुल्क की नियम एवं शर्तें) विनियम, 2019 के परिशिष्ट–I में निर्धारित विधि के अनुसार मूल्यह्रास लगाया जाता है। परन्तु, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 73 के प्रावधानों के उल्लंघन में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयोगी जीवन या मूल्यह्रास की दरों का प्रकटन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 118 के प्रावधानों के उल्लंघन में, अमूर्त परिसंपत्तियों के मामले में उपयोग किए गए उपयोगी जीवन या परिशोधन दरों का भी खुलासा नहीं किया गया है। इस प्रकार, महत्वपूर्ण लेखा नीतियां उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास की दर के बारे में आवश्यक प्रकटन वित्तीय वर्ष 2024–25 से लेखा नीतियों में किया जाएगा।

भा.म.ले. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
लेखों पर टिप्पणियाँ (टिप्पणी–33) 2. उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (वितरण और संचरण के लिए बहु–वर्षीय प्रशुल्क) विनियम 2019 के अनुच्छेद 28.3 के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (टिप्पणी–1) के अनुच्छेद VI(ए) के अनुसार, यदि इन विनियमों के अन्तर्गत देय शुल्कों के किसी भी बिल के भुगतान में पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ता द्वारा बिलों की प्रस्तुति की तिथि से 30 दिनों की अवधि से अधिक समय लगता है, तो संचरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा 1.25% प्रति माह की दर से विलंब भुगतान, अधिभार (एलपीएस) लगाया जाएगा। कंपनी अपने ग्राहकों (वितरण कम्पनियों को छोड़कर) पारेषण और ऊर्जा निर्यात शुल्क के भुगतान में देरी के लिए एलपीएस लगा रही है परन्तु, वितरण कम्पनियों के मामले में, कंपनी ने उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (वितरण और ट्रांसमिशन के लिए बहु–वर्षीय प्रशुल्क) विनियम, 2019 के अनुच्छेद 28.3 के प्रावधानों के उल्लंघन में पारेषण और ऊर्जा निर्यात शुल्क से संबंधित ₹5,874.59 करोड़ (31.03.2024 तक) की बकाया राशि पर एलपीएस नहीं लगाया है। परन्तु, उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ–साथ डिस्कॉम से वसूली योग्य बकाया पर एलपीएस के न लगाने के कारणों का प्रकटन लेखों की टिप्पणीयों में नहीं किया गया है। इस प्रकार, लेखों की टिप्पणीयों में उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।	वितरण कम्पनियों पर विलंब भुगतान अधिभार को न लगाने के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2024–25 से लेखों पर टिप्पणियों में किया जाएगा।
3. लेखों की टिप्पणियों के अनुच्छेद 25 में यह प्रकटन किया गया है कि कंपनी ने चालू वर्ष में क्रमशः बागपत, शाहजहांपुर और सोहावल में 400 केवी उपकेन्द्र के लिए जनवरी 2020 के सीईआरसी आदेश के अनुपालन में द्विपक्षीय पारेषण शुल्क के संबंध में पीजीसीआईएल को ₹47.14 करोड़ की राशि का भुगतान किया है। हालांकि, उपरोक्त राशि का भुगतान अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 के सीईआरसी आदेशों के अनुपालन में (चालू वर्ष) 2023–24 के स्थान पर वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया था। इस प्रकार, लेखों की टिप्पणियों में उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।	''चालू वर्ष'' शब्दों को विलोपित कर आवश्यक सुधार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लेखों पर टिप्पणियों में किया जाएगा।
ब. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ **अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन** 4. सांविधिक लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कुछ आवश्यक क्षेत्रों को सम्बोधित नहीं किया गया है। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (जैसा कि संशोधित किया गया है) और कंपनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 का विवरण जैसाकि निम्नवत् व्यवहृत है:–	

भा.म.ले. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 (एफ) और (एच) के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित से संबंधित तथ्यों का प्रकटन न करना : ● वित्तीय लेन–देनों या अभिलेखों पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ जिनका कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ● खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई मर्यादित, आरक्षित या प्रतिकूल टिप्पणी।	चूंकि, वित्तीय वर्ष 2024–25 के वैधानिक सम्प्रेक्षा के लिए वही सम्प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, इसलिए भा.ले.म. की अंतिम टिप्पणियों को वैधानिक सम्प्रेक्षक को सूचित कर दिया गया है। आगामी हस्तस्थ वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विशिष्ट टिप्पणियाँ, प्रकटीकरण अथवा आपत्तियों को शामिल किया जायेगा।
ख. कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (जैसा संशोधित) के नियम 11 (जी) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम3 के अन्तर्गत तथ्यों का प्रकटन न करनाः क्या कंपनी ने 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में, अपने लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा सत्यापन (लॉग संपादित) दर्ज करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए इसे पूरे वर्ष संचालित किया गया है और लेखा सत्यापन सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और सूचना प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा सत्यापन को संरक्षित किया गया है। ग. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुच्छेद 3 (i) (ए) (अ) और (ब) के तहत तथ्यों का प्रकटन न करनाः ● क्या कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख रख रही है। ● क्या कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख रख रही है। इस प्रकार, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।	
5. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, के दिनांक 26 अगस्त 2010 के निर्देशों के उल्लंघन में सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में रु0 आदि के स्थान पर रुपये के प्रतीक ''₹'' का उपयोग नहीं किया है। इस प्रकार, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।	चूंकि, वित्तीय वर्ष 2024–25 के वैधानिक सम्प्रेक्षा के लिए उन्हीं सम्प्रेक्षकों को नियुक्त किया गया है, इसलिए भा.ले.म. की अंतिम टिप्पणियों को आगामी वित्तीय विवरणों के सम्प्रेक्षा के दौरान रुपये के प्रतीक ''₹''के उपयोग के लिए वैधानिक सम्प्रेक्षको को सूचित किया गया है।

ह.	ह.	ह.	ह.
(श्रवण बब्बर)	**(आशीष कुमार श्रीवास्तव)**	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(डा. रुपेश कुमार)**
उपमहाप्रबन्धक एवं मुख्य वित्त अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर जारी आपत्तियों पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंधन का ध्यान आकर्षित कराने हेतु प्रबन्धक के पत्रांक म.ले.(आडिट–II)/ए.एम.जी.–II /लेखा/उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि./ 2023–24/271 दिनांक : 08.01.2025 का अनुलग्नक

भा.म.ले. का अवलोकन	प्रबन्धन का उत्तर
लाभ प्रदता पर टिप्पणियां **लाभ और हानि का विवरण** **परिचालन से राजस्व आय (टिप्पणी–23): ₹3,84,411.58 लाख** **ओपीजीडब्ल्यू तन्तु का किराया (₹871.18 लाख)** 1. यूपीईआरसी ने 02 नवंबर 2022 के अपने आदेश के माध्यम से उ.प्र.पा. ट्रां.का.लि. को अपनी पारेषण परिसंपत्तियों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए अन्य व्यवसायों को शामिल करने की अनुमति दी। तदनुसार, ओपीजीडब्ल्यू तन्त्र के उपयोग को अनुकूलित करने के साथ–साथ अतिरिक्त क्षमता के मुद्रीकरण के लिए अपने ओपीजीडब्ल्यू तन्त्र के अनुपयोगी तन्तुओं की पट्टे पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं। तदनुसार, कंपनी ने 'परिचालन से राजस्व' शीर्षक के तहत प्रकाशित तन्तु भूमिगत तार (ओपीजीडब्ल्यू) के किराये के माध्यम से प्राप्त पट्टे के किराए के कारण ₹871.18 लाख की राशि लेखांकित की। सम्प्रेक्षा में पाया गया कि कंपनी ने प्रकाशित तन्तु तार (पीजी सीआई एल) के उपयोग के लिए पट्टे के किराए के रूप में ₹296.06 लाख रुपये की राशि भी अर्जित की है, लेकिन 'राजस्व से संचालन' शीर्षक के अन्तर्गत लेखांकित करने के स्थान पर, कंपनी ने इसे 'अन्य आय' शीर्षक के अन्तर्गत लेखांकित किया है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप ₹296.06 लाख मूल्य की सीमा तक प्रत्येक शीर्षक ''संचालन से राजस्व''अवमूल्यित तथा ''अन्य आय'' अधिमूल्यित'' की सीमा तक 'अन्य आय' का अति कथन किया गया है।	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों में 'अन्य आय' से परिचालन राजस्व मे आवश्यक पुनःवर्गीकरण किया जाएगा।
अन्य आय (टिप्पणी–24): ₹53,866.30 लाख **रखरखाव और बंदी शुल्क (₹4,549.49 लाख)** 2. भारतीय लेखा मानक–18 के अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान है कि जब सेवाओं के प्रदान करने से जुड़े लेनदेन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो लेनदेन से जुड़े राजस्व को प्रतिवेदन अवधि के अंत में लेनदेन के पूरा होने के चरण के संदर्भ में पहचाना जाएगा।	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों में आवश्यक सुधार और प्रकटीकरण किया जाएगा।

भा.म.ले. का अवलोकन	प्रबन्धन का उत्तर
सम्प्रेक्षा में पाया गया कि कंपनी वाह्य संस्थाओं से बंदी शुल्क एकत्र कर रही है ताकि उन्हें तार स्थानान्तरण कार्य को निष्पादित करने और तार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए बंदी की अनुमति देने के कारण होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके। कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान बंदी शुल्क के रूप में ₹ 21.87 लाख लेखांकित किए हैं। जिसमें से वि.पा.ख.–I, लखनऊ ने ₹ 824 लाख के बंदी शुल्क से राजस्व बुक किया है। जांच के दौरान पता चला कि ₹ 824 लाख की पूरी राशि 2023–24 से पहले की अवधि से संबंधित थी। इन कार्यों के सापेक्ष बंदी का काम भी 2023–34 की अवधि से पहले पूरा हो गया था। इसलिए, भारतीय लेखा मानक–18 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी को काम पूरा होने के वर्ष में ही इस राजस्व को लेखांकित करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, भारतीय लेखा मानक–18 के गैर–अनुपालन के कारण, यह परिणित हुआ कि 'अन्य समता' का अवमूल्यित एवं 'अन्य आय' का अधिमूल्यित हुआ है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के लिए 'लाभ' का प्रत्येक शीर्ष पर ₹ 824 लाख की सीमा तक अधिमूल्यित हुआ है।	
अन्य गैर–परिचालन आय **विविध प्राप्तियाँ (₹ 2671.86 लाख)** 3. उपरोक्त में वित्तीय वर्ष 2023–24 से संबंधित ग्राहकों द्वारा पारेषण और व्हीलिंग शुल्क के भुगतान में देरी पर भुगतान प्रशुल्क (एलपीएस) के कारण ₹ 106.66 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है। कंपनी ने उपरोक्त एलपीएस को वित्तीय वर्ष 2023–24 के स्थान पर 2024–25 मे लेखांकित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 106.66 लाख से प्रत्येक शीर्ष ''अन्य आय'' अवमूल्यित'' व्यापारिक प्राप्य'' अधिमूल्यित है। परिणामतः इस सीमा तक वर्ष का लाभ भी अवमूल्यित रहा।	लेखों की समीक्षा करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखों में आवश्यक सुधार किए गए हैं।

ह.	ह.	ह.	ह.
(श्रवण बब्बर)	**(आशीष कुमार श्रीवास्तव)**	**(समीर कुमार स्वैन)**	**(डा. रुपेश कुमार)**
उपमहाप्रबन्धक एवं सी.एफ.ओ. (वित्त एवं लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–III

31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय सम्प्रेक्षक के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

	टिप्पणी	प्रबन्धन का उत्तर
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2023 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था। वार्षिक साधारण सभा 21.09.2023 को आयोजित की गयी। इस सभा में कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) अंगीकृत कराये जाने हेतु तैयार नहीं थे तथा यह साधारण सभा स्थगित कर दी गयी, अतएव कम्पनी वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक लेखों को इस वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत नहीं कराए जा पाने के कारण, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन करने में कम्पनी विफल रही है।	कंपनी ने निर्धारित तिथि से पूर्व वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये वार्षिक साधारण सभा बुलाई है, किन्तु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.एण्ड.ए.जी.) द्वारा लेखों की सम्प्रेक्षा लम्बित होने के कारण, वर्ष 2022–23 के सम्प्रेक्षित लेखे 21.09.2023 को आहूत वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा अंगीकृत नहीं किये जा सके। अंततः, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.एण्ड.ए.जी.) से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखों को 30.09.2024 को आहूत स्थगित वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत किये गये थे और इसे पहले ही निगमीय मामलों के मंत्रालय को भी दाखिल कर दिया गया था। विलम्ब के लिए परिस्थितियाँ कम्पनी के नियन्त्रण से बाहर थी।
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन के समय कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमीय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते समय कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को ऐसी समिति में नियुक्त किया जाना चाहिए। किन्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल, सम्प्रेक्षा समिति व निगमीय सामाजिक दायित्व समिति में किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया है।	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

–ह.–
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं–08721075

–ह.–
(डॉ. रुपेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं–06802972

दिनांक : 11.03.2025
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–IV
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अधीन निर्मित कम्पनीज (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अधीन प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 से सम्बन्धित निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचना

अ. ऊर्जा का संरक्षण : (आकड़ों को आपरेशन से प्रमाणित किया जा सकता है)

(i) ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव अथवा उठाए गए कदम :–

- सभी उपकेन्द्रो/कार्यालयों में ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाइट का उपयोग।
- ऊर्जा दक्ष सहायक उपकरणों का उपयोग और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का चुनाव।
- कैपेसिटर बैंक का अनुकूलतम उपयोग और प्रतिक्रियाशील नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कड़ी निगरानी।

(ii) उपकरण की एलईडी लाइट, सोलर रूफ टॉप पैनल आदि पर ऊर्जा संरक्षण पर पूंजी निवेश। (आपरेशन/वित्त से आकड़ें प्राप्त किये जाने हैं)

(iii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम :–

(iv) वर्तमान में 5196 मेगावाट की कुल क्षमता वाले विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पहले से ही यूपीपीटीसीएल और यूपीपीसीएल के ग्रिड तंत्र से जुड़े हुए हैं। मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 33,025 मेगावाट है, जिसमें से कुल स्थापित क्षमता का 15.73% (5,196 मेगावाट) उत्पादन मात्र नवीकरणीय ऊर्जा से है।

ब. प्रौद्योगिकी अवशोषण

I- उपकेन्द्रों हेतु :

विद्यमान पारेषण उपकेन्द्र सर्वाधिक "वायु प्रतिरोधित" (ए.आई.एस.) प्रकार के हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण स्थान की कमी हो गयी है जिससे उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता मे बाधा उत्पन्न हो रही है। अग्रेतर ए.आई.एस. प्रकार के उपकेन्द्रों मे ट्रिपिंग/व्यवधान की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए, उ.प्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ने निम्नलिखित विकल्प चुनकर इस समस्या का यथा सम्भव समाधान सुनिश्चित किया है–

- ई.एच.वी. वर्ग उपकेन्द्रो के लिए उपकेन्द्र स्वचालन प्रणाली ।
- 132 केवी व 220 केवी उपकेन्द्रों के लिए गैस प्रतिरोधी उपकेन्द्र (जी.आई.एस..)। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 06 नग 220 केवी, 02 नग 132केवी जीआईएस उपकेन्द्र चालू किये गये हैं।

इन उपकेन्द्रों के परिचालन में काफी स्थायित्व है तथा ट्रिपिंग बाधाओं की सम्भावनाएं कम रहती है।

II- पारेषण लाइन हेतु:

स्थायित्व बाधाओं के कारण पारेषण लाइनों की संवाहक छमता की अपनी सीमाएं हैं। साथ ही, उपरिगामी पारेषण लाइनों को बिछाने से भी "मार्ग अधिकार'' सम्बन्धी प्रकरण उत्पन्न होते हैं। इन प्रकरण का तकनीकी के प्रयोग द्वारा समाधान हेतु उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:–

- मौजूदा अपेक्षाकृत कम क्षमता सी एस आर पैथर संवाहको को उच्च छमता एचटीएलएस(उच्च तापमान कम शिथिलता) संवाहको से बदलना।
- ईएचवी लाइनों के लिए एक ध्रुवीय अभिकल्प।

- कुशल सुरक्षा संकेतन और संचार के लिए प्रकाशित तंतु भूमिगत तार (ओपीजीडब्लू)

III- **एबीटी मीटरिंग के लिए:**

विद्युत लेनदेन के त्वरित लेखांकन और निपटान के लिए "एस ए एम ए एस टी" दिशानिर्देशों के तहत और एएमआर प्रणाली और आवश्यक संचार बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए नियामकों के फोरम का अनुपालन करने के लिए टीडी इंटरफेस मीटर /ओपेन एक्सेस स्थान से डेटा संग्रह को स्वचालित करने और उसी डेटा बेस को स्वचालित तरीके से संग्रहित करने

के लिए टीडी इंटरफेस बिंदुओं पर 4007 एबीटी मीटर स्थापित किए जाने हैं। अनुबंध के अंतर्गत शामिल एबीटी मीटरों की संख्या 4573 है; वर्तमान में 4134 मीटर की आपूर्ति की गई है, 4119 मीटर स्थापित किये गये हैं और 4092 नग मीटर चालू किए गए हैं।

(i) आयातित प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के सापेक्ष विगत तीन वर्षों में आयातित)– लागू नहीं

(अ) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण;

(ब) आयात का वर्ष;

(स) क्या प्रौद्योगिकी को पूर्णरूपेण आमेलित कर लिया गया है;

(द) यदि पूर्णरूपेण आमेलित नही किया जा सका है, तो कारणों सहित वह क्षेत्र जहाँ आमेलन नही हो सका है; एवं

IV- अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय – शून्य

(स) <u>विदेशी विनिमय मे उपार्जन व बहिर्गमन :</u>

(i) विदेशी विनिमय मे उपार्जन : शून्य

(ii) विदेशी विनिमय बहिर्गमन : शून्य

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह.–	–ह.–
(समीर कुमार स्वैन)	**(डॉ. रुपेश कुमार)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं–08721075	डीआईएन नं–06802972

दिनांक : 11.03.2025
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–V
सी.एस.आर. गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. कम्पनी की सी.एस.आर. नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) नीति का मुख्य उद्देश्य :

- सीएसआर को समाज के सतत् विकास हेतु एक प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया जाना।
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिससे कि समाज में वृहद पैमाने पर तथा अपने परिचालन के क्षेत्रों के आस–पास के समुदायों का आर्थिक कल्याण हो तथा जीवन शैली की गुणवत्ता मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो।
- कम्पनी के समस्त हितधारकों के समक्ष अच्छी साख तथा सम्मान उद्गमित कराना।

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा भारत वर्ष में कार्यान्वित कराए जा रहे समस्त सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों पर यह नीति लागू होगी।

2. सी.एस.आर. समिति की संरचनाः

क्र. सं.	निदेशको के नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सी.एस.आर. समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सी. एस.आर. समिति की बैठकों की संख्या में उपस्थिति
1	श्री रनवीर प्रसाद	प्रबन्ध निदेशक/ सीएसआर समिति के अध्यक्ष	0	0
	श्री पी. गुरुप्रसाद			
2.	श्री समीर कुमार स्वैन	निदेशक वित्त/सदस्य	0	0
	श्री निधि कुमार नारंग			
3.	श्री पीयूष गर्ग	निदेशक आपरेशन/सदस्य	0	0
4.	श्री सुसान्त कुमार	निदेशक–नियोजन व वाणिज्य/सदस्य	0	0
5.	श्री राजीव कुमार	निदेशक–कार्य एवं परियोजना/सदस्य	0	0

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है: –

अ) सीएसआर समिति की संरचना–एचटीटीपीएसः//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/यूपीपीटीसीएल/ईएन/पीएजीई/सीएसआर–सीओएमएमआईटीटीईई

ब) सीएसआर नीति–एचटीटीपीएसः//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/यूपीपीटीसीएल/ईएन/पीएजीई/सीएसआर–पीओएलआईसीवाई

स) सीएसआर परियोजनाएं – **लागू नहीं**

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)। – **लागू नहीं**
5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो : **लागू नहीं**

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि यदि कोई हो, (₹में)
1.	2020–21	–	–
2.	2021–22	40,000	–
3.	2022–23	–	–
	योग	–	–

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ/(हानि) – **₹ (1,43,41,45,905)**
7. (अ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत – **शून्य**
   (ब) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष – **शून्य**
   (स) वित्तीय वर्ष के समायोजन के लिए आवश्यक धनराशि, यदि कोई हो – **शून्य**
   (द) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7अ+7ब-7स) – **शून्य**
8. (अ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर धनराशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹में)	अव्ययित राशि (₹में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को अंतरित राशि		
	धनराशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	धनराशि	अंतरण की तिथि
–	–	–	–	–	–

(ब) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं,	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गयी राशि (₹में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹में)	कार्यान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम कार्यान्वयन संस्था (हां/नहीं)	
				राज्य	शहर						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	
	योग	–	–	–		–	–	–	–	–	–	

(स) प्रशासनिक उपरिव्ययों में खर्च की गयी राशि – **लागू नहीं**

(द) प्रभाव आंकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – **लागू नहीं**

(य) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई) – **लागू नहीं**

(र) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – **लागू नहीं**

क्र.सं.	विवरण	धनराशि (रु में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (हानि) का दो प्रतिशत	शून्य
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	शून्य
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	अगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	शून्य

9. (अ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : **लागू नहीं**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
क्र. सं.	विगत वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अन्तर्गत अव्ययित सीएसआर खातें में अंतरित राशि (रु में)	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु में)	धारा 135 (6), के अनुसार अनुसूची (VII) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु में)
				निधि का नाम	राशि (रु में)	अंतरण की तिथि	
1.	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–	–

(ब) विगत वित्तीय (वर्ष) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : **लागू नहीं**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना पहचान	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल धनराशि (रु में)	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई धनराशि (रु में)	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी धनराशि (रु में)	परियोजना की प्रास्थिति– पूर्ण/जारी
1.	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–	–	–

10. पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर खर्चों के माध्यम से इस प्रकार निर्मित अथवा अधिग्रहित परिसम्पत्तियों (परिसम्पत्तिवार) विवरण प्रस्तुत करें – **लागू नहीं**

    (अ) पूंजीगत परिसम्पत्ति(यो) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : **लागू नहीं**

    (ब) पूंजीगत परिसम्पत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि : **लागू नहीं**

    (स) ईकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसम्पत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि : **लागू नहीं**

    (द) निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसम्पत्तियों (पूंजीगत परिसम्पत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें : **लागू नहीं**

11. कारण बतायें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही हैं – **लागू नहीं।**

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह.–	–ह.–
(समीर कुमार स्वैन)	**(डॉ. रुपेश कुमार)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं–08721075	डीआईएन नं–06802972

दिनांक : 11.03.2025
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2024 का तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
परिसम्पत्तियाँ			
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	2	27,72,815.84	26,65,225.32
(ब) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	3	4,31,530.20	4,29,694.52
(स) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	4	4,394.88	4,576.50
(द) गैर चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	5	4,100.91	34,108.25
(य) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	6	368.41	394.94
कुल गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ		**32,13,210.24**	**31,33,999.53**
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) वस्तु सूची (भण्डार एवं सामग्री)	7	150,317.18	1,94,438.37
(ब) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) व्यापारिक प्राप्य	8	6,03,926.00	6,68,701.87
(ii) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	9	92,700.75	52,039.68
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	10	30,000.00	–
(स) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	40,505.05	39,420.84
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ		**9,17,448.98**	**9,54,600.76**
कुल परिसम्पत्तियाँ		**41,30,659.22**	**40,88,600.29**
समता एवं दायित्व			
समता			
(अ) समता अंशपूँजी	12	20,62,659.82	19,86,725.82
(ब) अन्य समता	13	2,39,943.69	1,37,079.97
कुल समता		**23,02,603.51**	**21,23,805.79**
दायित्व			
1. गैर चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारियाँ	14	11,15,911.61	11,92,104.04
(ii) पट्टे की देनदारियाँ	15	4,875.53	4,971.31
(ब) प्रावधान	16	52,724.89	43,806.47
(स) आस्थगित कर देयता	17	8,185.58	11,803.09
कुल गैर चालू दायित्व		**11,81,697.61**	**12,52,684.91**

2. चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारियाँ	18,	121,557.61	1,26,025.45
(ii) पट्टे की देनदारियाँ	19	1,162.19	601.60
(iii) अन्य वित्तीय दायित्व	20	2,997.86	2,927.36
(ब) अन्य चालू दायित्व	21	5,18,629.67	5,80,714.59
(स) प्रावधान	22	2,010.77	1,840.59
कुल वर्तमान दायित्व		**6,46,358.10**	**7,12,109.59**
कुल समता और दायित्व		**41,30,659.22**	**40,88,600.29**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	1		
खातों पर टिप्पणियाँ	33		

नोट 1 से 33 तक खातों का अभिन्न अंग हैं।

–ह.–
(श्रवण बब्बर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

–ह.–
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–08721075

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह.–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह.–
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–06684884

–ह.–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी
यूडीआईएनः24072529बीकेएक्यूयूई1788

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	आय			
	परिचालन से राजस्व	23	**3,84,411.58**	3,57,079.45
	अन्य आय	24	**53,866.30**	39,758.68
I	**कुल आय**		**4,38,277.88**	**3,96,838.13**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	25	**55,872.56**	45,548.25
	वित्तीय लागत	26	**1,01,640.74**	1,04,538.40
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	27	**2,00,675.30**	1,83,493.76
	प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	28	**8,026.95**	7,656.85
	मरम्मत और अनुरक्षण व्यय	29	**57,829.25**	47,342.46
II	**कुल व्यय**		**4,24,044.80**	**3,88,579.72**
III	असाधारण वस्तुओं और कर से पूर्व लाभ		**14,233.08**	8,258.41
IV	असाधारण मदें	30	**(48,938.72)**	2,479.98
V	कर से पूर्व लाभ (III-IV)		**63,171.80**	**5,778.43**
VI	**कर व्यय** :		–	–
	वर्तमान कर			
	आस्थगित कर	31	**(3,617.51)**	2,464.43
VII	अवधि के लिए लाभ (V-VI)		**66,789.31**	**3,314.00**
VIII	**अन्य व्यापक आय**			
	(अ) (i) वह वस्तु जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।	32	**(1,250.34)**	580.11
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		–	–
	(ब) (i) वह वस्तु जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		–	–
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।		–	–

IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII) (व्यापक लाभ/(हानि) एवं अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)		**65,538.97**	3,894.11
X	प्रति समता अंश आय (सतत संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)			
	(1) आधारभूत ई.पी.एस.नोट 33 (10)		**32.98**	1.75
	(2) तनुकृत ई.पी.एस.नोट 33 (10)		**32.96**	1.72
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
	लेखों पर टिप्पणियाँ	33		
	टिप्पणी 1 से 33 तक लेखे का अभिन्न अंग हैं।			

–ह.–
(श्रवण बब्बर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

–ह.–
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–08721075

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह.–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह.–
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–06684884

–ह.–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी
यूडीआईएनः24072529बीकेएक्यूयूई1788

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

समता में परिवर्तन का विवरण

अ) समता अंशपूंजी

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)

01–04–2023 को अवशेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण समता अंशपूंजी में परिवर्तन	वर्तमान प्रतिवेदन अवधि के प्रारम्भ में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई	वर्ष के दौरान समता अंश पूंजी में परिवर्तन	31–03–2024 को अवशेष
19,86,725.82	–	19,86,725.82	75,934.00	**20,62,659.82**

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)

01–04–2022 को अवशेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण समता अंशपूंजी में परिवर्तन	वर्तमान प्रतिवेदन अवधि के प्रारम्भ में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई	वर्ष के दौरान समता अंश पूंजी में परिवर्तन	31–03–2023 को अवशेष
18,34,727.37	–	18,34,727.37	1,51,998.45	**19,86,725.82**

ब) अन्य समता

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण	आवंटन लंबित अंश आवेदन धनराशि	संचय एवं अधिक्य			अन्य व्यापक आय के अन्य मदें (बीमांकक लाभ एवं हानि)	योग
		पूंजी संचय	अन्य संचय	धारित आय		
01.04.2023 को अवशेष	–	2,87,645.18	1,214.99	(1,47,764.26)	(2,906.38)	1,38,189.53
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियाँ	–	(3,972.91)	–	2,863.36	(0.01)	(1,109.56)
01.04.2023 को पुर्नस्थापित अवशेष	–	2,83,672.27	1,214.99	(1,44,900.90)	(2,906.39)	1,37,079.97
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	–	–	66,789.31	(1,250.34)	65,538.97
लाभांश	–	–	–	–	–	–
धारित आय में अंतरण	–	–	–	66,789.31	–	66,789.31
कोई अन्य परिर्वतन	–	37,324.75	–	–	–	37,324.75
31.03.2024 को अवशेष	–	3,20,997.02	1,214.99	(78,111.59)	(4,156.73)	2,39,943.69

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	आवंटन लंबित अंश आवेदन धनराशि	संचय एवं अधिक्य			अन्य व्यापक आय के अन्य मदें (बीमांकक लाभ एवं हानि)	योग
		पूंजी संचय	अन्य संचय	धारित आय		
01.04.2022 को अवशेष	24,273.36	2,36,925.24	1,522.36	(1,40,142.04)	(3,486.51)	1,19,092.41
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियाँ	–	(4,874.03)	–	(14,427.71)	0.01	(19,301.73)
01.04.2022 को पुर्नस्थापित अवशेष	24,273.36	2,32,051.21	1,522.36	(1,54,569.75)	(3,486.50)	99,790.68
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	–	–	6,805.49	580.12	7,385.61
लाभांश	–	–	–	–	–	–
धारित आय में अंतरण	–	–	–	6,805.49	–	6,805.49
कोई अन्य परिर्वतन	(24,273.36)	55,593.97	(307.37)	–	–	31,013.24
31.03.2023 को अवशेष	–	2,87,645.18	1,214.99	(1,47,764.26)	(2,906.38)	1,38,189.53

–ह.–
(श्रवण बब्बर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

–ह.–
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–08721075

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह.–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह.–
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–06684884

–ह.–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी
यूडीआईएनः24072529बीकेएक्यूयूई1788

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अ)	**परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	**63,171.80**	5,778.43
	समायोजन निम्नलिखित के लिए :–		
(अ)	अवक्षयण	**2,00,675.30**	1,83,493.76
(ब)	ब्याज और वित्त प्रभार	**1,01,640.74**	1,04,538.40
(स)	उपार्जित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान (सेवानैवृत्तिक लाभ)	**5,776.06**	481.86
(द)	ग्रेच्युटी का प्रावधान – सीपीएफ कर्मचारी	**2,062.20**	1,591.16
(य)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**2,550.62**	2,479.98
(र)	ब्याज से आय		
	सावधि जमा	**(2,470.89)**	(2.53)
	अन्य	**(2,643.08)**	(2,871.13)
(ल)	अस्थगित आय	**464.81**	4,481.34
(व)	उपभोक्ता योगदान से मान्यता प्राप्त राजस्व	**(25,084.36)**	(21,500.41)
	कार्यशील पूंजी के परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**3,46,143.20**	2,78,470.86
	समायोजन निम्नलिखित के लिये :		
(अ)	वस्तुसूची (भण्डार एवं कलपुर्जो) में कमी / (वृद्धि)	**44,121.19**	(47,519.34)
(ब)	व्यापारिक प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	**64,775.87**	6,594.02
(स)	चालू परिसम्पत्तियों (पूंजी कोष के विरूद्ध) में कमी / (वृद्धि)	**-**	(307.36)
(द)	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**777.75**	(1,360.50)
(य)	अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**(30,000.00)**	-
(र)	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	**(64,565.04)**	(38,488.47)
	संचालन से उत्पन्न रोकड प्रवाह	**3,61,252.97**	1,97,389.21
	घटाया : करों का भुगतान	**1,857.68**	1,232.85
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (अ)	**3,59,395.29**	1,96,156.36
ब)	**निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
(अ)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में कमी / (वृद्धि)	**(3,07,332.64)**	(4,90,948.71)
(ब)	अवक्षयण आरक्षित निधि समायोजित / कटौती	**(25.96)**	(2,443.98)
(स)	अमूर्त सम्पत्ति में कमी / (वृद्धि)	**(725.56)**	(4,521.37)
(द)	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में कमी / (वृद्धि)	**(1,835.68)**	2,62,805.06

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(य)	अन्य गैर चालू सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**22.25**	22.25
(र)	अन्य वित्तीय सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**30,007.34**	(30,038.65)
(ल)	प्राप्त ब्याज	**5,113.97**	2,873.67
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध रोकड प्रवाह (ब)	**(2,74,776.28)**	(2,62,251.73)
स)	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
(अ)	उधारियों से प्राप्ति (शुद्ध)	**(80,660.27)**	(72,178.72)
(ब)	अंशपूंजी से प्राप्ति	**75,934.00**	1,51,998.45
(स)	अंश आवेदन से प्राप्त धनराशि	**-**	(24,273.36)
(द)	अन्य समता मदों से प्राप्ति	**62,409.07**	80,949.15
(य)	ब्याज और वित्त शुल्क	**(1,01,640.74)**	(1,04,538.40)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (स)	**(43,957.94)**	31,957.12
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि (अ+ब+स)	**40,661.07**	(34,138.25)
	वर्ष के आरम्भ में नकद और नकद समतुल्य	**52,039.68**	86,177.93
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**92,700.75**	52,039.68
(i)	हस्तस्थ रोकड़	**0.06**	0.95
	बैंक के चालू एवं अन्य खाते में	**92,700.69**	52,038.73
	वर्ष के अंत में कुल नकद और नकद समतुल्य	**92,700.75**	52,039.68

(ii) यह विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के पैरा 20 में प्रावधानित अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

(iii) नकद और नकद समतुल्यों में हस्तस्थ नकदी, चालू और अन्य खातों में बैंकों के अवशेष तथा बैंको के साथ सावधि जमा सम्मिलित है।

(iv) आवश्यकतानुसार पूर्व वर्ष के आकड़ों का पुनःसमूहीकरण / पुनः वर्गीकरण / पुनर्आगणन किया गया है।

–ह.–
(श्रवण बब्बर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

–ह.–
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–08721075

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह.–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह.–
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–06684884

–ह.–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी
यूडीआईएनः24072529बीकेएक्यूयूई1788

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

टिप्पणी–1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (वित्तीय वर्ष 2023–24)

1) सामान्य/तैयार करने का आधार

(अ) शासी अधिनियम

कंपनी, लागू सीमा तक विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 में दिये गये प्रावधानों के अधीन शासित है।

(ब) अनुपालन का विवरण

वित्तीय प्रपत्र ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अन्तर्गत लेखांकन के प्रोदभूत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किये गये है, तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अन्तर्गत अधिसूचित एवं उसके बाद संशोधित भारतीय लेखांकन मानको, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू होने की सीमा तक), कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों, विद्युत अधिनियम, 2003 प्रावधान तथा लागू सीमा तक विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। जहाँ कहीं कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विचलन है, विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के संगत प्रावधान प्रभावी है। लेखांकन नीतियों को कम्पनी द्वारा जब तक अन्यथा वर्णित न हो के अतिरिक्त समरूपता से लागू किया गया है।

(स) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतिकरण मुद्रा :–

यह वित्तीय लेखे भारतीय रूपये (₹) में प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है। जब तक अन्यथा वर्णित न हो, सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रूपये के निकटतम ₹ लाख से पूर्णांकित (दो दशमलव तक) कर प्रस्तुत किया गया है।

(द) चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण :–

(1) कम्पनी द्वारा चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को प्रस्तुत किया गया है।

परिसम्पत्ति चालू है जब उसकी :–

- सामान्य परिचालकीय चक्र में वसूली होना या खपत होना अपेक्षित है;
- प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली होना अपेक्षित है; या
- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, जब तक प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह माह के लिए किसी दायित्व को चुकाने के लिए प्रयोग किये जाने अथवा आदान प्रदान किये जाने हेतु वर्जित न हो।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व चालू है जब :–

- इसको सामान्य परिचालकीय चक्र में निस्तारित करना अपेक्षित होय;
- प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीने के भीतर इसका निस्तारण नियत हो; या
- प्रतिवेदन अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निस्तारण को स्थगित करने का बिना शर्त का अधिकार न हो।

अन्य सभी दायित्वों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) अस्थगित कर आस्तियों/देनदारियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(य) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय प्रपत्रों को तैयार किए जाने हेतु प्राककलन एवं अभिकल्पना की भी आवश्यकता पड़ती है जिसका सम्बन्धित अवधि के आस्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों की प्रतिवेदित राशि पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कि ऐसे प्राककलन तथा अनुमान समस्त उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण विधि से तैयार किए जाते हैं परन्तु यह संगत मामलों में वास्तविक परिणामों से भिन्न भी हो सकते हैं तथा जिस अवधि में इस प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं उसी अवधि में इन अन्तरों को लेखों में अभिलिखित कर लिया जाता है।

(2) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) ऐतिहासिक लागत पर संचयी अवक्षयण के पश्चात दर्शाये जाते है।

(ब) परिसम्पत्ति को प्रबन्धन द्वारा प्रयोजित तरीके से संचालित होने के लिए सक्षम होने की परिस्थिति एवं स्थान तक लाने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय लागत में सम्मिलित है।

(स) सम्पत्ति के प्रयोग में आने की स्थिति में, ऐसे प्रकरण जहाँ ठेकेदारों के बीजकों का अन्तिम निस्तारण होना शेष हो का अनन्तिम आधार पर पूंजीकरण समायोजन अन्तिम निस्तारण के वर्ष में कर दिये जाने के प्रतिबन्धाधीन किया जाता है।

(द) पारेषण तंत्र परिसम्पत्तियों को यूपीईआरसी टैरिफ विनियमन के संदर्भ में घोषित वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से उपयोग करने के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

(य) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सम्पत्ति, संयत्र और उपकरण को पूनर्मूल्यांकन अनुज्ञेय नहीं है।

(ii) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के लिए सामग्री की लागत, निर्माण व्यय और अन्य खर्चों को पूँजीकरण की तारीख तक प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) कार्यात्मक इकाई की बहुलता के साथ–साथ इकाई विशेष में कार्यों की बहुलता के कारण, कर्मचारी लागत को विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत कार्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में निम्नवत् रोपित किया जाता हैः–

(1) पूँजीगत पारेषण कार्यों के लिए

(i) 132 एवं 220 के.वी. उप.–केन्द्रों एवं लाइनों पर 9%

(ii) 400 क.वी. उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 7% और

(iii) 765 के.वी. उप–संस्थानों एवं लाइनों के मामलों में 5%

(2) अन्य पूँजीगत कार्यों पर 10%

(ग) जमा कार्यो पर पर्यवेक्षण व्यय पूंजीगत कार्य के कुल व्यय का 15% (टिप्पणियों के अन्तर्गत अन्यथा वर्णित को छोड़कर) की दर से रोपित है।

(घ) पीपीई के निर्माण के लिए आवंटित निर्माण के दौरान ब्याज को सीडब्लूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और संबंधित परिसम्पत्तियाँ जो पूंजीकृत होनी है में रोपित किया जाता है।

(ड.) सीडब्ल्यूआईपी के तहत आपूर्तिकर्ताओ/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अन्तर्गत है।

(iii) अवक्षयण

(क) संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण लागत वाले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक भाग पर अलग से ह्रास लगाया गया है।

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या एल–1/236/2018/सी.ई.आर.सी. दिनांक 07.03.2019 से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ नियम तथा शर्तें) विनियम, 2019 के "परिशिष्ट– I" में दिये गए प्रावधानों के आधार पर अवक्षयण भारित किया गया है। उक्त विनियमावली दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए मान्य है।

(ग) उक्त बिन्दु (ख) के दृष्टिगत संपत्ति संयंत्र एवं उपकरणों के वास्तविक मूल्य का 10% अवशेष मूल्य मानते हुए अवक्षयण व्यय निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर भारित किया गया है। (लकड़ी के ढांचे जैसे अस्थायी निर्माण जहां अवक्षयण की दर 100% और आई.टी. उपकरण और साफ्टवेयर के मामले में जहां मूल्यह्रास मूल्य 100% है और निस्तारण मूल्य शून्य को छोड़कर)।

(घ) वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिवर्धन मूल्य पर ह्रास व्यावसायिक संचालन के माह से आनुपातिक आधार पर लिया जाता है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से कमी की दशा में अवक्षयण अनुपातिक आधार पर उस माह तक लगाया जाता है जिस माह में परिसम्पत्ति निस्तारित की गयी है।

(ड.) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में (अन्य परिसम्पत्तियों के विपरीत जहां मूल्यह्रास योग्य मूल्य 90% है), मूल्यह्रास पट्टे पर ली गई परिसम्पत्ति की लागत का 100% (पट्टा परिसम्पत्ति की पहचान के लिए नाममात्र मूल्य छोड़कर) अपलेखन सीधी रेखा विधि द्वारा प्रभारित किया जाता है।

(i) उपर्युक्त III (बी) के अनुसार या

(ii) पट्टे की अवधि के दौरान,

जो भी छोटा हो,

पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए, पट्टा समझौते में नवीनीकरण वाक्य, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया गया है।

(IV) उधारी लागत

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण सम्बन्धित उधारी लागत को वाणिज्यिक परिचालन की प्रभावी तारीख तक ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक अर्हक संपत्ति वह है जो आवश्यक रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधारी लागत उस अवधि के लाभ और हानि खाते में अभिज्ञात की जाती है जिस अवधि में वे उपगत होती हैं।

(V) भण्डार एवं कलपुर्जे

(क) सामग्री एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन आमतौर पर लागत के आधार पर किया जाता है और स्टोर और कलपुर्जों की वास्तविक लागत के आधार पर औसत कीमत पर जारी किया जाता है। हालांकि, अप्रचलित, अनुपयोगी, अधिशेष या गैर–चलने वाली वस्तुओं के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए उचित प्रावधान किया जाता है।

(ख) अवशिष्ट सामग्री की बिक्री का मूल्यांकन बिक्री/प्राप्ति के समय किया जाता है।

(ग) वर्ष के अन्त में यदि सामग्री में आधिक्य/कमी परिलक्षित होती है तो उसे "जांच के अधीन लम्बित सामग्री आधिक्य/कमी" मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा जांच के अन्तिम होने के पश्चात यदि कोई आधिक्य

निर्धारित होती है तो उसे आय के मद में लेखांकित किया जाता है। इसी प्रकार जांचोपरान्त कमी निर्धारित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, या तो कार्मिकों से वसूली की जाती है अथवा लाभ/हानि खाते में भारित किया जाता है।

(घ) चोरी अथवा अन्य कारणों से हुई कमी/हानि को प्रथमतः "कार्मिकों के विरूद्ध विविध अग्रिम" मद में डेबिट किया जाता है तथा जांच/निपटारे के अन्तिम होने तक "चालू आस्तियाँ" के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

(VI) राजस्व मान्यता

(अ) अन्तःराज्यीय के अन्दर ऊर्जा के पारेषण के राजस्व को लेखों में माननीय उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर समाविष्ट किया जाता है। माननीय उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ तथा सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर ट्रू–अप याचिका में प्रस्तुत टैरिफ में यदि कोई अन्तर हो तो उसे उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के अन्तिम निर्णय के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

(ब) "भारतीय लेखांकन मानक 115 –ग्राहक के साथ अनुबन्ध से राजस्व" के प्रावधानों के अनुरूप, पूंजीगत सम्पत्ति की लागत के सापेक्ष प्राप्त उपभोक्ता अंशदान, जिसे प्रारम्भ में पूंजीगत कोष के रूप में लेखांकित किया जाता है, को उपभोक्ता के साथ हुए अनुबन्ध के नियमों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अवधि को छोड़कर, निर्धारित समयावधि, जो विनियामक (अर्थात, सी.ई.आर.सी.) द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 में दिये अधिकार का प्रयोग करते हुए, सी.ई.आर.सी. विनियम के माध्यम से निर्धारित अवक्षयण की साधारण दर के आधार पर प्राप्त सम्बन्धित परिसम्पत्ति की उपयोगी जीवनकाल है, में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपभोक्ता योगदान संचय प्रारंभिक अभिमान्यता के वर्ष, जब समान वार्षिक आय का केवल 50% राजस्व के रूप में अभिज्ञात है, तथा उपरोक्त कथित अवधि के अंत में जब सम्पूर्ण शेष अभिज्ञात राशि को छोड़कर, उपरोक्त कथित अवधि में समान वार्षिक राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

(स) अन्तर–राज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एन.आर.एल.डी.सी. के माध्यम से प्रभार की अग्रिम वसूली की नीति तथा अन्तःराज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी भुगतान अनुसूची के दृष्टिगत्, ओपेन एक्सेस से होने वाले राजस्व को वसूली के उपरान्त सी.ई.आर.सी./यू.पी.ई.आर.सी. द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य लेखांकित किया जाता है।

अग्रेतर, भारतीय लेखांकन मानक 115–उपभोक्ता के साथ अनुबन्ध से राजस्व" के अनुसार, अग्रिम के रूप में प्राप्त राजस्व को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आने वाले लघु अवधि ओपेन एक्सेस अवधि के अनुपात मे तभी संज्ञान में लेना है जब या तो एक्सेस दे दिया गया हो या लघु अवधि ओपेन एक्सेस की समायवधि समाप्त हो गई हो एवं कोई कार्य शेष न हो या जब अनुबन्ध समाप्त हो गया हो। अपितु राजस्व के रुप में संज्ञान में लेने से पूर्व एस.टी.ओ.ए. उपभोक्ता से प्राप्त राशि को एक दायित्व के रूप में लेखांकित किया जाना है।

(द) सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में, अनुदान की प्राप्ति पर दायित्व के रूप में दर्शा कर लेखोकन किया जाता है तथा संचय में अस्थगित आय के रूप में केवल तभी अन्तरित किया जाता है जब उस से जुड़ी शर्तें पूरी हो चुकने का तर्कसंगत विश्वास हो । ऐसी अस्थगित आय लाभ–हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर एक अवधि में अभिज्ञात की जाती है जो अंतनिर्षहित पूंजीगत सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल है जो कि अवक्षयण की सामान्य दर पर जैसा कि विनियामक (सी.ई.आर.सी.) द्वारा निर्धारित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निर्गत विनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।

(य) जमा कार्यों पर पर्यवेक्षण प्रभार (लागू दरों के अनुसार) संबंधित अवधि के दौरान सम्बन्धित व्यय के अनुपात में राजस्व के रूप में मान्य किये जाते है।

(र) बीमा और अन्य दावे, कस्टम ड्यूटी की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किये गये है। कर्मचारियों को दिये ऋण पर ब्याज का लेखांकन प्राप्ति के आधार पर पूरा मूल धन वसूल होने के बाद किया गया है।

(VII) पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियां :–

सभी पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियों के सुधार त्रुटि मिलने के बाद जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती प्रभाव से त्रुटि वाले वर्ष के दर्शाये गये तुलनात्मक आंकड़ो को बहाल कर किया गया है या जहाँ त्रुटि दर्शायी गयी सबसे पुरानी अवधि से भी पहले की हो तो सबसे पुराने दर्शायी गयी अवधि की परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर, जैसी भी परिस्थिति हो, किया गया है।

यदि सभी पूर्व अवधि त्रुटियों का अवधि–विशिष्ट प्रभाव/संचयी प्रभाव निर्धारित करना असम्भव है तो परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता/तुलनात्मक सूचनाओं को सबसे पुरानी सम्भव अवधि के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

(VIII) कर्मचारी लाभ

(अ) कर्मचारियों की पेन्शन एवं उपादान सम्बन्धित दायित्वों का निर्धारण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है एवं इसका लेखांकन प्रोदभूत आधार पर किया गया है।

(ब) उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक परिभाषित लाभ योजना) हेतु प्रावधान का लेखांकन बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है।

(स) चिकित्सा लाभ एवं अवकाश यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) का लेखांकन वर्ष में प्राप्त हुए दावों तथा अनुमोदित किये गये दावों के आधार पर किया जाता है।

(IX) प्रावधान, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य आस्तियाँ

(अ) प्रावधान का लेखांकन उस सीमा तक अनुमानित व्यय के आधार पर किया गया है, जहां तक संभव हो, वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक हो और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाए और जितना सम्भव हो अनुमानित खर्च को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है।

(ब) जब तक आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना सुदूर नही है, तब तक खातों पर टिप्पणियों में सम्भाव्य दायित्वों का प्रकटन किया गया है। जबकि, जब तक आर्थिक लाभ का अंर्तप्रवाह संभावित नही हो जाता, तब तक खातों में सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन नहीं किया गया है।

(स) जहां किसी सम्भाव्य दायित्व या सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन करना व्यवहार्य नही है, उस तथ्य का प्रकटन किया गया है।

(X) अस्थगित कर

भारतीय लेखा मानक–12 "आयकर में कम्पनी का तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके अस्थगित करों का लेखांकन वांछित है, जो तुलन–पत्र और उसके कर आधार में सम्पत्ति या देयता की वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर केन्द्रित है।

कटौती योग्य अस्थायी अंतर के सम्बन्ध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की अस्थगित कर सम्पत्ति और कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की अस्थगित कर देनदारियों को तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दी गई है।

(XI) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण में भारतीय लेखांकन मानक–7 रोकड़ प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

(XII) वित्तीय सम्पत्ति

प्रारंभिक मान्यता और मापः–

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्गमन सम्बन्धित लागत को जोड़ कर लेखांकित किया गया है क्योंकि कम्पनी इसे आर्मस लेन्थ मूल्य पर क्रय/अधिग्रहण करती है तथा आर्म्स लेन्थ मूल्य ही वह मूल्य है जिस पर परिसम्पत्ति का आदान–प्रदान हो सकता है।

अनुवर्ती माप :–

(अ) ऋण अभिलेखः– एक ऋण अभिलेख भारतीय लेखा मानक–109 के अनुसार परिशोधित लागत पर मापा गया है।

(ब) समता अभिलेखः– संस्थाओं में सभी समता अभिलेख लाभ व हानि (एफ.वी.टी.पी.एल.) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है क्योंकि इन्हे व्यापार के लिए धारण नही किया जाता है।

(XIII) वित्तीय दायित्व

प्रारंभिक मान्यता और माप :–

वित्तीय दायित्वों का लेखांकन दस्तावेजों के अनुबन्धीय प्रावधानों में तब किया जाता है जब कंपनी एक पक्ष बन जाती है। सभी वित्तीय दायित्वों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। कंपनी की वित्तीय दायित्वों में व्यापारिक देयता, उधार और अन्य देयताएँ शामिल हैं।

अनुवर्ती माप :–

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य पर उधारों को मापा गया है। प्रभावी ब्याज दर विधि एक वित्तीय साधन की परिशोधित लागत की गणना और प्रासंगिक अवधि में ब्याज और अन्य खर्चों को आवंटित करने की एक विधि है। चूंकि प्रत्येक ऋण पर ब्याज और जोखिम की अपनी अलग दर होती है, इसलिए जिस ब्याज दर पर उन्हें प्राप्त किया गया है उसे ईआईआर माना जाता है। व्यापार और अन्य देयता अनुबंध मूल्य पर दिखाए जाते हैं।

एक वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, निरस्तीकरण या समापन हो जाता है।

–ह.–	–ह.–	**यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन**
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	निदेशक (वित्त)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
	डीआईएन–08721075	
–ह.–	–ह.–	–ह.–
(ऋषि टण्डन)	**(रणवीर प्रसाद)**	**(जितेन्द्र अग्रवाल)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–06684884	स.स. 072529
		फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी
		यूडीआईएनः24072529बीकेएक्यूयूई1788

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

टिप्पणी–'2' सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2023 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2024 को
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	20,344.99	888.51	-	21,233.50
पट्टे पर ली गयी भूमि	7.05	888.02	-	895.07
भवन	1,72,588.68	8,623.82	-	1,81,212.50
अन्य जानपदीय कार्य	14,210.48	1,151.98	-	15,362.46
संयंत्र एवं मशीनरी	18,97,533.47	1,54,117.68	74.69	20,51,576.46
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	19,25,834.51	1,48,252.75	7,235.43	20,66,851.83
वाहन	341.89	-	1.30	340.59
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	1,338.82	99.44	(1.09)	1,439.35
कार्यालय उपकरण	1,521.63	564.64	1.09	2,085.18
अन्य परिसम्पत्तियाँ	13,757.67	57.22	-	13,814.89
योग	**40,47,479.19**	**3,14,644.06**	**7,311.42**	**43,54,811.83**

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2023 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2024 को	31.03.2024 को अवशेष	31.03.2023 को अवशेष
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	-	-	-	-	21,233.50	20,344.99
पट्टे पर ली गयी भूमि	0.97	20.08	-	21.05	874.02	6.08
भवन	41,518.02	5,674.98	-	47,193.00	1,34,019.50	1,31,070.66
अन्य जानपदीय काय	4,995.74	501.36	-	5,497.10	9,865.36	9,214.74
संयंत्र एवं मशीनरी	6,53,224.75	97,478.59	15.19	7,50,688.15	13,00,888.31	12,44,308.72
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	6,68,692.12	95,461.07	9.60	7,64,143.59	13,02,708.24	12,57,142.39
वाहन	306.21	1.11	1.17	306.15	34.44	35.68
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	520.99	81.11	(0.01)	602.11	837.24	817.83
कार्यालय उपकरण	802.33	154.57	0.01	956.89	1,128.29	719.30
अन्य परिसम्पत्तियाँ	12,192.74	395.21	-	12,587.95	1,226.94	1,564.93
योग	**13,82,253.87**	**1,99,768.08**	**25.96**	**15,81,995.99**	**27,72,815.84**	**26,65,225.32**

सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण : 2022–23

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक			
	01.04.2022 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2023 को
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	18,606.39	1,738.60	_	20,344.99
(i) पट्टे पर ली गयी भूमि	6.34	0.71	-	7.05
भवन	1,49,026.04	23,562.63	(0.01)	1,72,588.68
अन्य जानपदीय कार्य	12,089.36	2,121.13	0.01	14,210.48
संयंत्र एवं मशीनरी	16,50,128.99	2,53,394.60	5,990.12	18,97,533.47
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	17,11,644.42	2,14,912.94	722.85	19,25,834.51
वाहन	343.03	-	1.14	341.89
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	1,233.72	124.65	19.55	1,338.82
कार्यालय उपकरण	1,514.52	187.49	180.38	1,521.63
अन्य परिसम्पत्तियाँ	11,937.68	2,158.21	338.22	13,757.67
योग	**35,56,530.49**	**4,98,200.96**	**7,252.26**	**40,47,479.19**

(₹ लाख में)

विवरण	अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2022 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को अवशेष	01.04.2022 को अवशेष
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	-	-	-	-	20,344.99	18,606.39
(ii) पट्टे पर ली गयी भूमि	-	-	(0.97)	0.97	6.08	6.34
भवन	36,320.67	5,159.62	(37.73)	41,518.02	1,31,070.66	1,12,705.37
अन्य जानपदीय कार्य	4,533.55	462.44	0.25	4,995.74	9,214.74	7,555.81
संयंत्र एवं मशीनरी	5,66,721.87	88,115.03	1,612.15	6,53,224.75	12,44,308.72	10,83,407.12
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	5,82,275.24	87,456.17	1,039.29	6,68,692.12	12,57,142.39	11,29,369.18
वाहन	305.89	1.36	1.04	306.21	35.68	37.14
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	445.02	81.70	5.73	520.99	817.83	788.70
कार्यालय उपकरण	797.90	135.88	131.45	802.33	719.30	716.62
अन्य परिसम्पत्तियाँ	11,766.55	730.91	304.72	12,192.74	1,564.93	171.13
योग	12,03,166.69	1,82,143.11	3,055.93	13,82,253.87	26,65,225.32	23,53,363.80

टिप्पणी–'3': प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.24 को		31.03.23 को	
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य 33(20)(अ)	**2,27,207.04**		1,89,202.07	
घटाया : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य की हानि के	**253.88**	**2,26,953.16**	253.88	1,88,948.19
सापेक्ष प्रावधान (परित्याग या किसी अन्य कारण)				
पूर्व वर्ष तक पूंजीकरण के लिए लम्बित ऋण लागत	**24,244.10**		42,541.87	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**11,515.05**		16,601.47	
घटाये : वर्ष के दौरान पूंजीकरण	**9,458.11**	**26,301.04**	34,899.24	24,244.10
निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों के साथ सामग्री	**1,77,118.18**		2,14,813.25	
घटाये : आपूर्तिकर्ताओं एंव ठेकेदारों को खराब और संदिग्ध	**185.50**	**1,76,932.68**	185.50	2,14,627.75
अग्रिमों के लिए प्रावधान (पूंजी)				
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी)		**484.28**		1,015.44
(सामग्री के अलावा अन्य)				
विकासाधीन अमूर्त सम्पत्ति		**859.04**		859.04
योग		**4,31,530.20**		**4,29,694.52**

टिप्पणी–'4' अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खण्ड			
	01.04.2023 को	वृद्धि	कटौती / समायोजन	31.03.2024 को
अमूर्त आस्तियाँ सॉफ्टवेयर	5,408.80	725.56	–	6,134.36
योग	5,408.80	725.56	–	6,134.36

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यह्रास एवं परिशोधन				शुद्ध अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2023 को	वृद्धि	कटौती / समायोजन	31.03.2024 को	31.03.2024 को अवशेष	31.03.2023 को अवशेष
अमूर्त आस्तियाँ सॉफ्टवेयर	832.30	907.18	–	1,739.48	4,394.88	4,576.50
योग	832.30	907.18	–	1,739.48	4,394.88	4,576.50

अमूर्त आस्तियाँः 2022–23

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खण्ड			
	01.04.2022 को	वृद्धि	कटौती / समायोजन	31.03.2023 को
अमूर्त आस्तियाँ सॉफ्टवेयर	1,339.32	4,604.68	535.20	5,408.80
योग	1,339.32	4,604.68	535.20	5,408.80

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यह्रास एवं परिशोधन				शुद्ध अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2022 को	वृद्धि	कटौती / समायोजन	31.03.2023 को	31.03.2023 को अवशेष	01.04.2022 को अवशेष
अमूर्त आस्तियाँ सॉफ्टवेयर	542.91	576.19	286.80	832.30	4,576.50	796.41
योग	542.91	576.19	286.80	832.30	4,576.50	796.41

टिप्पणी–'5': गैर चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
प्रतिभूति जमा राशि	**4,057.55**	4,076.43
12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा	**42.44**	30,030.90
अन्य निवेश (एनएससी)	**0.92**	0.92
योग	**4,100.91**	**34,108.25**

टिप्पणी–'6': अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ

अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)	**368.41**	394.94
योग	**368.41**	**394.94**

टिप्पणी–'7': वस्तु सूची

भण्डार एवं उपस्कर

(अ) भण्डार सामग्री–पूँजीगत कार्य	**55,872.76**	98,770.72
(ब) भण्डार सामग्री–ओ एण्ड एम	**85,502.73**	85,819.40
(स) अन्य सामग्री टिप्पणी 33(20)(ब)	**8,941.69**	9,848.25
योग	**1,50,317.18**	**1,94,438.37**

टिप्पणी–'8': वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–व्यापारिक प्राप्य

निर्विवाद व्यापार प्राप्य – असुरक्षित		
–शोध्य विचारित	**6,03,926.00**	6,68,701.87
–जिससे जमा जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	**1,961.60**	1,961.60
उपयोग	**6,05,887.60**	**6,70,663.47**
घटाया : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**1,961.60**	1,961.60
योग	**6,03,926.00**	**6,68,701.87**

टिप्पणी–'9': वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.24 को	31.03.23 को
अ) हस्तस्थ रोकड़ (डाक टिकट को सम्मिलित करते हुए)	**0.06**	0.95
ब) बैंक में अवशेष चालू एवं अन्य खातो में (फ्लेक्सी अवशेष सम्मिलित)	**92,700.69**	52,038.73
योग	**92,700.75**	**52,039.68**

टिप्पणी–'10': अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

सावधि जमा खाता (12 महीने की परिपक्वता तक)	**30,000.00**	–
योग	**30,000.00**	–

टिप्पणी–'11': अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

असंरक्षित, शोध्य विचारित				
कर्मचारियों को अग्रिम (वेतन से समायोजनीय/वसूली योग्य)		**21.02**		33.74
स्रोत पर कर कटौती		**1,857.68**		1,621.95
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदार को अग्रिम (ओ एण्ड एम)		**1,381.11**		1,152.56
प्राप्यः				
कर्मचारियों	**614.19**		567.39	
अन्य	**1,147.29**		1,870.38	
	1,761.48		2,437.77	
घटायें: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	**186.60**	**1,574.88**	186.60	2,251.17
प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नही		**27.80**		33.20
पूर्वदत्त व्यय		**24.12**		448.59
अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)		**22.25**		17.97
अंतर इकाई अंतरण टिप्पणी 33(20)		**25,192.35**		25,327.39
विरोध के तहत द्विपक्षीय शुल्क भुगतान टिप्पणी 33(25)		**4,713.77**		4,879.12
जीएसटी जमा कर		**2.78**		3.03
प्राप्तिया: ठेकेदार को जारी सामग्री के सापेक्ष में टिप्पणी 33(26)(डी)		**2,883.26**		2,883.26
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से प्राप्तियाँ टिप्पणी 33(26)(डी)		**2,432.82**		616.63
भण्डार की बिक्री के लिए विविध देनदार टिप्पणी 33(26)(डी)		**371.21**		152.23
योग		**40,505.05**		**39,420.84**

टिप्पणी–'12' समता अंश पूंजी (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
(अ) अधिकृत पूंजी		
सममूल्य ₹1000 प्रति समता अंश के 25,000,00.00 समता अंश (पूर्व वर्ष सममूल्य ₹1000/–प्रति समता अंश के 250000000 समता अंश)	**25,00,000.00**	25,00,000.00
(ब) निर्गत, अभिदत्त एवं चुकता अंशपूँजी		
सममूल्य ₹1000/– प्रति समता अंश के 20,62,65982 पूर्ण प्रदत्त समता अंश (पूर्व वर्ष में समतुल्य ₹1000/– प्रति समता अंश के 19,86,72582 पूर्ण प्रदत्त समता अंश)	**20,62,659.82**	19,86,725.82
योग	**20,62,659.82**	**19,86,725.82**

(अ) प्रतिवेदन अवधि के प्रारंभ में और अंत में अंशों की संख्या एवं बकाया धनराशि का मिलानः

विवरण	31.03.2024 को अंशों की संख्या	31.03.2024 को (₹ लाख में)	31.03.2023 को अंशों की संख्या	31.03.2023 को (₹ लाख में)
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	**19,86,72,582**	**19,86,725.82**	18,34,72,737	18,34,727.37
वर्ष के दौरान निर्गत अंश–नवीन निर्गमन	**75,93,400**	**75,934.00**	1,51,99,845	1,51,998.45
वर्ष के अंत में बकाया अंश	**20,62,65,982**	**20,62,659.82**	19,86,72,582	19,86,725.82

(ब) समता अंशों में निहित शर्तें/अधिकारः

(i) कम्पनी में केवल एक श्रेणी के समता अंश है जिसका सममूल्य ₹1000/– प्रति अंश है

(ii) 31.03.2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कंपनी के पास 7593400 अंश रहे हैं।

(iii) 31.03.2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारी संचयी हानियों के कारण निदेशक मंडल द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

(स) 5% से अधिक अंश धारण करने वाले प्रत्येक अंशधारक द्वारा धारित अंशों का विवरणः

अंशधारकों के नाम	अंशों की संख्या	धारण %	अंशों की संख्या	धारण %
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार	**18,41,32,630**	**89%**	17,65,39,230	89%
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.	**2,21,32,752**	**11%**	2,21,32,752	11%

(द) प्रवर्तकों की अंशधारिता :

वर्ष के अन्त में प्रवर्तकों द्वारा धारित अंश

प्रवर्तकों के नाम	अंशों की संख्या	कुल अंश का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
माननीय राज्यपाल,उ.प्र. सरकार	**18,41,32,630**	**89%**	4%
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.	**2,21,32,752**	**11%**	0%
योग	**20,62,65,382**	**100%**	

अंश आवेदन धनराशि का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 को अंश आवेदन धनराशि	वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2023–24 के दौरान आवंटन	31.03.2024 अंश आवेदन धनराशि
अंश आवेदन धनराशि	–	**75,934.00**	**75,934.00**	–

टिप्पणी–'13': अन्य समता

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.24 को		31.03.23 को	
आवंटन लंबित अंश आवेदन राशि			24,273.36	
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	**75,934.00**		1,27,725.09	
घटाये : वर्ष के दौरान जारी किए गए अंश	**75,934.00**	—	1,51,998.45	—
पूंजी आरक्षित	**2,83,672.27,**		2,32,051.21	
जोड़ें : वर्ष के दौरान शुद्ध आय हस्तांतरित	**62,409.11**		73,121.47	
घटाये : वर्ष के दौरान राजस्व मान्यता	**25,084.36**	**3,20,997.02**	21,500.41	2,83,672.27
अन्य भंडार		**1,214.99**		1,214.99
धारित आय	**(1,44,900.90)**		(1,54,569.75)	
जोड़ें: धारित आय में स्थानांतरित	**66,789.31**	**(78,111.59)**	9,668.85	(1,44,900.90)
अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	**(2,906.39)**		(3,486.50)	
बीमांकक लाभ और हानि	**(1,250.34)**	**(4,156.73)**	580.11	(2,906.39)
योग		**2,39,943.69**		**1,37,079.97**

टिप्पणी–'14': गैर–चालू वित्तीय दायित्व–उधारियाँ

सुरक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
भारतीय बैंक	**41,118.34**	34,796.27
अन्य से	**11,96,350.88**	12,83,333.22
(पी.एफ.सी.,आर.ई.सी. एवं अन्य एफआएस योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के अन्य प्रभारों से संरक्षित)		
उप–योग सुरक्षित/असुरक्षित ऋण	**12,37,469.22**	**13,18,129.49**
घटाया : दीर्घकालिक उधारियों की चालू परिपक्वता (उधारों की शर्तो आदि का विवरण अनुलग्नक अ पर देखें) (उधारियों को चुकता करने मे हुई चूक का का उल्लेख अनुलग्नक ब पर देखें)	**1,21,557.61**	1,26,025.45
योग	**11,15,911.61**	**11,92,104.04**

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनूसूची–(III) में यथा अपेक्षित ऋण की शर्तो आदि का प्रकटन : टिप्पणी '14' अनुलग्नक अ

(₹ लाख में)

ऋण	प्रतिभूति एवं गारंटी विवरण	ब्याज दर	पुनर्भुगतान के नियम	31.03.2023 को अवशेष (अ)	31.03.2023 को दीर्घकालिक उधारियों के लिए चालू परिपक्वता (ब)	31.03.2023 को दीर्घकालिक उधारी (स)= (अ–ब)	2023–24 वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण (द)	2023–24 की अवधि के दौरान चुकता ऋण (य)
संरक्षित								
(i) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (हाइपो)	पीएफसी योजना के तहत लाइनों एवं उपकेन्द्रों के बंधक से संरक्षित	9% से 9.25%	मासिक / तिमाही	5,88,774.32	34,016.34	5,54,757.98	27,355.38	34,013.75
(ii) ग्रामीण इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (पारे.)	आरईसी योजना के अन्तर्गत लाइनों और उपकेन्द्रो के बन्धक से संरक्षित	9% से 9.25%	वार्षिक / मासिक / तिमाही	6,94,178.90	90,169.84	6,04,009.06	6,184.93	90,294.18
(iii) इण्डियन बैंक	इण्डियन बैंक योजना के अन्तर्गत लाइनों और उपकेन्द्रो के बन्धक से संरक्षित	9.60% से 9.65%	मासिक	34,796.27	1,721.54	33,074.73	8,051.77	1,729.70
(iv) आईआरईडीए	आईआरईडीए के अन्तर्गत लाइनों और उपकेन्द्रो के बन्धक से संरक्षित	8.34%	मासिक	380.00	117.73	262.27	4,139.00	353.72
			कुल योग	**13,18,129.49**	**1,26,025.45**	**11,92,104.04**	**45,731.08**	**1,26,391.35**

टिप्पणी '14' अनुलग्नक (अ)

(₹ लाख में)

ऋण	प्रतिभूति एवं	ब्याज दर	पुनर्भुगतान के नियम	31.03.2024 को अवशेष (र) = (अ+द–य)	31.03.2024 को दीर्घकालिक उधारियों के लिए चालू परिपक्वता (ल)	31.03.2024 को दीर्घकालिक उधारी (व)= (र–ल)
संरक्षित						
(i) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (हाइपो)	पीएफसी योजना के तहत लाइनों एवं उपकेन्द्रों के बंधक से संरक्षित	9% से 9.25%	मासिक / तिमाही	5,82,115.95	38,274.32	5,43,841.63
(ii) ग्रामीण इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (पारेषण)	आरईसी योजना के अन्तर्गत लाइनों और उपकेन्द्रो के बन्धक से संरक्षित	9% से 9.25%	वार्षिक / मासिक / तिमाही	6,10,069.65	79,575.28	5,30,494.37
(iii) इण्डियन बैंक	इण्डियन बैंक योजना के अन्तर्गत लाइनों और उपकेन्द्रो के बन्धक से संरक्षित	9.60% से 9.65%	मासिक	41,118.34	2,294.89	38,823.45
(iv) आईआरईडीए	आईआरईडीए के अन्तर्गत लाइनों और उपकेन्द्रो के बन्धक से संरक्षित	8.34%	मासिक	4,165.28	1,413.12	2,752.16
			कुल योग	**12,37,469.22**	**1,21,557.61**	**11,15,911.61**

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची–(III) में यथा अपेक्षित उधारी चुकता करने में चूक का प्रकटन

टिप्पणी '14' अनुलग्नक (ब)

(₹ धनराशि में)

ऋण	पुर्नभुगतान की शर्ते				31.03.24 को चुकता करने मे चूक			
	पुर्नसंरचना तिथि	किस्तें	पुर्नभुगतान देयता	ब्याज की दर %	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक	ब्याज के लिए चूक
संरक्षित								
(i) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड								
(ii) ग्रामीण इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड								
(iii) इण्डियन बैंक								
(iv) आईआरईडीए								
कुल योग								

ऋण	पुर्नभुगतान की शर्ते				31.03.23 को चुकता करने मे चूक			
	पुर्नसंरचना तिथि	किस्तें	पुर्नभुगतान देयता	ब्याज की दर %	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक	ब्याज के लिए चूक
संरक्षित								
(i) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड								
(ii) ग्रामीण इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड								
(iii) इण्डियन बैंक								
(iv) आईआरईडीए								
कुल योग								

टिप्पणी–'15': गैर चालू देनदारियाँ –पट्टा देनदारियाँ **(₹ लाख में)**

विवरण		31.03.24 को		31.03.23 को
आस्थगित आय		**4,875.53**		4,971.31
योग		**4,875.53**		4,971.31
टिप्पणी–'16': गैर चालू प्रावधान				
उपार्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान		**34,184.46**		28,504.77
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कर्मचारी)		**18,540.43**		15,301.70
योग		**52,724.89**		43,806.47
टिप्पणी–'17': आस्थगित कर देनदारियाँ				
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियाँ		**8,185.58**		11,803.09
योग		**8,185.58**		11,803.09
डीटीए और डीटीएल का विवरण :				
आस्थगित कर संपत्तियां				
संपत्तियों की वहन राशि और कर आधार में अंतर	**15,274.33**		2,764.33	
अप्रयुक्त कर घाटा	**1,95,425.47**		1,80,775.40	
अन्य	**–**	**2,10,699.80**	–	1,83,539.73
आस्थगित कर देयताएं				
संपत्तियों की वहन राशि और कर आधार में अंतर	**2,18,885.38**	**–**	1,95,342.82	
अन्य	**–**	**2,18,885.38**	–	1,95,342.82
योग	**–**	**8,185.58**		11,803.09
टिप्पणी–'18': चालू वित्तीय दायित्व–उधारियाँ				
दीर्घतालिक ऋण की चालू परिपक्वताए				
सुरक्षित ऋण (अनुलग्नक अ देखें)		**1,21,557.61**		1,26,025.45
योग		**1,21,557.61**		1,26,025.45
टिप्पणी–'19': चालू देनदारियाँ पट्टा देनदारियाँ				
आस्थगित आय		**1,162.19**		601.60
योग		**1,162.19**		601.60
टिप्पणी–'20': अन्य वित्तीय दायित्व				
अर्जित ब्याज एवं उधार पर देय				
अर्जित ब्याज परन्तु उधार पर देय नहीं		**2,997.86**		2,927.36
योग		**2,997.86**		2,927.36

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.24 को		31.03.23 को	
टिप्पणी–'21': अन्य चालू दायित्व				
पूंजीगत आपूर्ति/कार्यों हेतु दायित्व		**10,001.39**		76,730.66
अनुरक्षण एवं मरम्मत आपूर्ति/कार्यों हेतु दायित्व		**27,887.13**		25,378.50
कर्मचारियों से सम्बन्धित दायित्व		**5,929.62**		11,646.69
आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से निक्षेप एवं प्रतिधारण		**1,24,478.33**		1,41,867.32
विद्युत वितरण निगमों के निक्षेप कार्य		**6,371.51**		7,571.97
विद्युतीकरण कार्यों हेतु निक्षेप		**2,31,776.35**		1,93,555.36
पीएसडीएफ के लिए निरक्षेप (केन्द्र सरकार का अंशदान)		**8,420.95**		14,805.26
अन्तर निगमीय अवशेष		**46,011.05**		34,179.69
विविध दायित्व		**6,357.36**		9,544.03
व्ययों हेतु दायित्व		**3,241.27**		5,082.31
यू.पी. पावर सेक्टर कर्मचारी ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व				
भविष्य निधि दायित्व (मूल राशि)	**160.65**		4,288.73	
जोड़े : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**2,272.72**		10,880.33	
	2,433.37		15,169.06	
जोड़े : पेन्शन एवं उपादान दायित्व	**6,098.14**	**8,531.51**	5,925.11	21,094.17
उ.प्र.पा.का.लि. सी.पी.एफ. ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व				
सीपीएफ दायित्व – (मूल अदत्त राशि)	**991.57**		1,734.41	
जोडे : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**156.75**	**1,148.32**	1,599.97	3,334.38
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान–जीपीएफ टिप्पणी (33)(26)(सी)		**20,236.25**		18,894.72
आकस्मिकता के लिए प्रावधान–सीपीएफ टिप्पणी (33)(26)(सी)		**18,238.63**		17,029.53
योग		**5,18,629.67**		5,80,714.59
टिप्पणी–'22': चालू प्रावधान				
उपार्जित अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान		**1,743.38**		1,647.01
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कार्मिक)		**267.39**		193.58
योग		**2,010.77**		1,840.59

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी–'23' : परिचालन से राजस्व		
सेवाओं की बिक्री		
पारेषण प्रभार	**3,65,199.39**	3,41,419.14
पीओसी प्रभार/ओपेन एक्सेस प्रभार	**18,341.01**	15,031.12
उप–योग	**3,83,540.40**	3,56,450.26
एसएलडीसी प्रभार		
वार्षिक शुल्क	**-**	183.00
आवेदन शुल्क/संवर्तन शुल्क/एसएलडीसी प्रभार	**-**	336.76
उप–योग	**-**	519.76
ओ.पी.जी.डब्ल्यू फाइबर का किराया	**871.18**	109.43
प्रचालन से राजस्व (निवल)	**3,84,411.58**	3,57,079.45

विद्युत वितरण निगमों, केस्को, एनपीसीएल तथा राज्यान्तरिक पारेषण से सम्बन्धित पारेषण प्रभार माननीय उ.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ दर ₹0. 2465 प्रति किलोवाट घण्टा (01.04.2023 से 01.06.2023 तक) एवं ₹ 0.2641 प्रति किलोवाट घण्टा (02.06.2023 से 31.03.2024 तक) वित्तीय वर्ष के दौरान पारेषित चक्रीय ऊर्जा 143409.048315 एमयू. (पूर्व वर्ष–137731.210456 एमयू) थी।

अवधि	पारेषित ऊर्जा (केडब्लूएच)	दर	राशि
01.04.2023 से 01.06.2023	**22,63,39,72,201**	**0.2465**	55,792.74
सौर ऊर्जा पर पारेषण शुल्क–सामान्य दरों का 50% यूपीईआरसी सीआरई विनियम, 2019 के विनियम26 बी(iii) के अनुसार	**13,56,54,372**	**0.1233**	167.20
02.06.2023 से 31.03.2024	**1,14,59,09,69,090**	**0.2641**	3,02,634.75
सौर ऊर्जा पर पारेषण शुल्क – सामान्य दरों का 50% यूपीईआरसी सीआरई विनियम, 2019 के विनियम26 बी(iii) के अनुसार	**59,26,95,764**	**0.1321**	782.66
पूरक बीजक एवं अन्य एजेन्सीज	**5,45,57,56,888**		24,163.05
कुल	**1,43,40,90,48,315**		**3,83,540.40**

टिप्पणी–'24' : अन्य आय				
ब्याज से आय :				
सावधि जमा	**2,470.89**		2.53	
अन्य	**2,643.08**	**5,113.97**	2,871.13	2,873.66
अनुरक्षण एवं शटडाउन प्रभार		**4,549.49**		2,829.44
अन्य गैर–परिचालन आय				
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से आय		**8,691.61**		5,514.23
उपभोक्ता अंशदान संचय से आय		**25,084.36**		21,500.41
पर्यवेक्षण प्रभार		**7,449.14**		5,366.50
कार्मिकों से किराया		**305.87**		30.23
विविध प्राप्तियाँ		**2,671.86**		1,644.21
योग		**53,866.30**		39,758.68

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.24 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.23 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी–'25' : कर्मचारी कल्याण व्यय		
वेतन एवं भत्ते	**38,620.53**	38,189.68
मंहगाई भत्ता	**17426.73**	14,140.20
बोनस/अनुग्रह	**–**	350.36
अन्य भत्ते	**1,624.24**	2,373.41
पेंशन एवं उपादान टिप्पणी (33)(11)(iii)(अ,ब)	**4,580.04**	5,233.38
चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति) टिप्पणी (33)(12)(अ)	**449.28**	260.39
अर्जित अवकाश नकदीकरण टिप्पणी (33)(12)(ब)	**7,514.79**	4,315.66
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	**4,205.29**	4,015.27
ट्रस्ट पर व्यय	**10.41**	19.20
कर्मचारी कल्याण व्यय	**1.48**	4.88
संयुक्त व्यय (उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा भारित)	**1,908.97**	1,436.54
उप–योग	**76,341.76**	70,338.97
घटाया : पूंजीकृत व्यय कार्य में स्थानांतरित किया गया	**20,469.20**	24,790.72
योग	**55,872.56**	45,548.25

टिप्पणी–'26' : वित्तीय लागत

(अ) ब्याज व्यय				
दीर्घकालिक ऋण				
पीएफसी	**51,595.93**		52,790.92	
घटाया : बयाज में छूट	**–**		275.57	
	51,595.93		52,515.35	
घटाया : ब्याज में सहायिकी	**–**	**51,595.93**	684.56	51,830.79
आरईसी		**57,771.41**		66,852.16
इण्डियन बैंक		**3,523.57**		2,420.22
आईआरईडीए		**258.07**		30.30
(ब) अन्य उधारी लागत				
बैंक प्रभार		**6.81**		6.40
उप–योग		**1,13,155.79**		1,21,139,87
घटाये : पूंजीकृत ब्याज कार्यशील पूंजीगत कार्य को अन्तरण		**11,515.05**		16,601.47
योग :		**1,01,640.74**		1,04,538.40

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.24 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी–'27' : अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय				
स्थावर आस्तियों पर अवक्षयण एवं अपाकरण				
पट्टे के अन्तर्गत स्वामित्व भूमि		**20.08**		0.34
भवन		**5,674.98**		5,140.60
अन्य जानपदीय कार्य		**501.37**		461.85
संयंत्र एवं मशीनरी		**97,478.61**		88,108.52
लाईन, केबिल नेटवर्क आदि		**95,461.07**		88,324.19
वाहन		**1.11**		1.36
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		**81.11**		80.17
सॉफ्टवेयर		**395.21**		541.63
कार्यालय उपस्कर		**154.58**		126.58
अन्य आस्तियाँ		**907.18**		708.52
योग		**2,00,675.30**		1,83,493.76
टिप्पणी–'28' : प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय				
लेखा परीक्षक को भुगतान				
(अ) वैधानिक सम्प्रेक्षक				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**23.00**		17.70	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**7.84**	**30.84**	2.93	20.63
(ब) अन्य सम्प्रेक्षक				
(आंतरिक सम्प्रेक्षा, लागत सम्प्रेक्षा कर सम्प्रेक्षा एवं सचिवीय सम्प्रेक्षा)				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**68.00**		147.29	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**12.46**	**80.46**	5.39	152.68
विज्ञापन व्यय		**291.80**		266.42
संचार व्यय		**175.90**		213.82
परामर्श व्यय		**47.38**		431.97
टैरिफ मूल्यांकन और लाइसेंस शुल्क		**974.97**		669.40
विद्युत व्यय		**764.76**		55.73
मनोरंजन		**0.33**		0.12
न्यास पर व्यय .		**–**		1.20
निगमित की समाजिक दायित्व		**–**		133.27
बीमा		**–**		0.78
जीपीएफ एवं सीपीएफ अवशेष पर ब्याज		**1,124.42**		1,241.13
विधिक व्यय		**193.18**		184.21
प्रशासनिक के लिए आउटसोर्स श्रमिक शक्ति		**1,699.12**		2,151.34
विविध व्यय		**400.52**		350.20
छपाई एवं लेखन सामग्री		**135.32**		122.61
दर एवं शुल्क		**588.56**		213.86
किराया		**30.08**		2.79
तकनीकी शुल्क एवं प्रोफेशनल प्रभार		**68.35**		514.98
यात्रा एवं अनुगमन		**865.19**		722.57
जल प्रभार		**7.05**		34.37
संयुक्त व्यय (यूपीपीसीएल द्वारा प्रभारित)		**59.80**		55.37
अन्य व्यय एवं हानियाँ		**488.92**		117.40
योग		**8,026.95**		7,656.85

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.24 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.23 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी–'29': मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय				
संयंत्र एवं मशीनरी		**44,940.86**		38,226.54
भवन		**3,522.23**		2,870.25
अन्य जानपदीय कार्य		**767.04**		190.67
लाईनस, केबिल नेटवर्क आदि		**7,570.17**		5,872.95
वाहन व्यय	**2,413.62**		5,928.59	
घटाया : विभिन्न पूंजीगत, ओ एण्ड एम कार्यो/प्रशासनिक व्ययों में अन्तरित	**2,413.62**	**–**	5,928.59	–
संविदा कार्मिको पर व्यय	**17,290.92**		4,880.11	
घटाया : विभिन्न पूंजीगत तथा ओ एण्ड एम/ प्रशासनिक व्यय में अन्तरित	**17,290.92**	**–**	4,880.11	–
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		**0.39**		–
साफ्टवेयर		**988.09**		131.92
कार्यालय उपकरण		**40.47**		50.13
योग		**57,829.25**		47,342.46
टिप्पणी–'30' : असाधारण मदें				
आकस्मिकता के लिए प्रावधान–सीपीएफ और जीपीएफ ट्रस्ट		**2,550.62**		2,479.98
विविध जमा धनराशि वापसी		**(51,489.34)**		**-**
योग		**(48,938.72)**		2,479.98
टिप्पणी–'31' : अस्थगित कर				
अस्थगित कर व्यय/(आय)		**(3,617.51)**		2,464.43
योग		**(3,617.51)**		2,464.43
टिप्पणी–'32' : अन्य व्यापक आय				
मदे जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुर्नवर्गीकृत नही किया जाएगा।				
बीमांकिक (लाभ)/हानि–सी.पी.एफ. कर्मचारी उपादान हेतु प्रावधान		**(1,250.34)**		580.11
योग		**(1,250.34)**		580.11

टिप्पणी संख्या–33

दिनांक 31.03.2024 के तुलन पत्र एवं तद्दिनांक को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के साथ संलग्न तथा अंगभूत लेखों पर टिप्पणियाँ

1. (अ) उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० (यू.पी.पी.टी.सी.एल. अथवा 'कम्पनी') कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में अधिवासित एवं गठित एक कम्पनी है एवं अंशों द्वारा सीमित है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 के माध्यम से कम्पनी को एक राज्य पारेषण उपयोगिता अधिसूचित किया गया हैं।

(ब) जब उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 293 दिनांक 16.05.2006 के अनुपालन में तत्कालीन उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (31.05.2004 को गठित) के पार्षद सीमा नियम के नाम और उद्देश्य वाक्य को 13.07. 2006 को बदल दिया गया था, तब कम्पनी अस्तित्व में आयी। कंपनी ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय शुरू किया।

(स) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा अधिसूचना संख्या 2974(1),/24–पी–2–2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) योजना, 2010 के अधीन दिनांक 01.04.2007 से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं यू.पी.पी.टी.सी.एल. को अलग–अलग कम्पनी के रूप में क्रमशः थोक विद्युत क्रय/विक्रय एवं पारेषण कार्यों को अलग–अलग किए जाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 131 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गईं योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को पारेषण की गतिविधियाँ, आस्तियाँ, दायित्वों और सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित और निबन्धन एवं शर्तों की अवधारणा के लिए अन्तरण योजना जारी की गयी जिसके अनुसार पारेषण उपक्रम (उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि.) में राज्य सरकार तथा/या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जब तक अन्यथा विर्निदिष्ट न किया जाए, सम्पूर्ण आस्तियां, दायित्व व कार्यवाहियां अनन्तिम रूप से पारेषण उपक्रम में निहित होंगी। यू.पी.पी.टी.सी.एल. ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से कार्य/परिचालन करना आरम्भ कर दिया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार यू.पी.पी.टी.सी.एल. एक राज्य पारेषण उपयोगिता है।

(द) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014 लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 2015 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 (अधिसूचना सं. 2974(1)/ 24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010) के खण्ड–7 सपठित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, सन् 2003) की धारा 131 की उप धारा 4 और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 की उप धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों तथा कार्यवाहियों के अंतरण के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 की अनुसूची के

स्थान पर अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014, 3 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न अनुसूची के प्रतिस्थापन द्वारा इस अधिसूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 की निबन्धन एवं शर्तों में उपान्तरण, फेरबदल और अन्यथा परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2040 सभी अभिप्रायों एवं प्रयोजनों के लिए यथा इंगित संशोधनों के साथ अन्तरण स्कीम को अन्तिम कर दिया गया है।

(य) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2974/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 133 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गयी योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पारेषण उपक्रम के कार्मिकों एवं उनसे सम्बन्धित कार्यवाहियों के अन्तरण के प्रयोजनार्थ तथा उन निबन्धन एवं शर्तों जिन पर ऐसा अन्तरण किया जाना प्रभावी होगा को अवधारित करने के लिए अनन्तिम अन्तरण योजना जारी की गयी जिसमें अनन्तिम वर्गीकरण व अन्तरण, कार्मिकों के अन्तिम हस्तांतरण को उ.प्र. सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है।

2) स्थायी परिसम्पत्तियाँ को उपयोग से हटाये जाने/उपयोगी जीवनकाल समाप्त होने/अप्रयोज्य होने पर जबकि उनका ऐतिहासिक मूल्य ज्ञात न हो, ऐसी आस्तियों को अनुमानित मूल्य एवं अवक्षयण लागत के आधार पर लेखों में समायोजित/लेखांकित किया गया है।

3) सभी परिसम्पत्तियों, देनदारियों, व्यय और राजस्व को उस राशि पर दर्ज किया गया है जिस पर लेनदेन हुआ।

4) वित्तीय वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में आय/व्यय शून्य है।

5) चूंकि कम्पनी सैद्धान्तिक रूप से ऊर्जा के पारेषण का व्यवसाय कर रहा है और भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार अन्य कोई सूचनीय खण्ड नहीं है इसलिए, सेगमेन्ट रिपोर्टिंग पर भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार प्रकटन आवश्यक नहीं है। हांलाकि, निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटन किए जा रहे है :

अ) उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए स्पेयर फाइबर को पट्टे पर देकर व्यवसाय की एक नई लाइन शुरू की है। नए व्यवसाय से अर्जित आय और उससे संबंधित व्यय को कंपनी के लाभ और हानि खाते में उल्लिखित किए गए राजस्व और व्यय में शामिल किया गया है। इन्हें निम्नानुसार नीचे उद्धत एवं प्रकट किया गया है :

ओपीजीडब्ल्यू से संबंधित राजस्व और व्यय	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	धनराशि (₹)	धनराशि (₹)
फाइबर कलपुर्जों को पट्टे पर देने से राजस्व	8,71,18,535	1,09,42,380
ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क से संबंधित व्यय	2,58,43,690	1,00,90,213
वर्ष के लिए शुद्ध आय	**6,12,74,845**	**8,52,167**

ओ.पी.जी.डब्ल्यू. लाइनों को पट्टे पर देने से होने वाले राजस्व को विचाराधीन वित्तीय वर्ष के लिए प्रासंगिक वास्तविक लंबाई और प्रभावी पट्टे की अवधि के आधार पर मान्यता दी गई है। ओ.पी.जी.डब्ल्यू. लाइनों पर कुल व्यय किलोमीटर जोड़े में कुल उपलब्ध ओ.पी.जी.डब्ल्यू. लंबाई और किलोमीटर जोड़े में औसत पट्टे पर दी गई ओ.पी.जी.डब्ल्यू. लंबाई (पट्टे के लिए आरक्षित लंबाई सहित) के अनुपात में आवंटित किया गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों की भी पुनः गणना की गई है और उसी आधार पर खुलासा किया गया है।

6. **पूँजीगत प्रतिबद्धता, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य परिसम्पत्तियाँ (निर्धारणीय तथा गैर प्रावधानित सीमा तक)**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
सम्भाव्य दायित्व एवं पूँजीगत प्रतिबद्धता		
(i) पूँजीगत खातों पर किये जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि जोकि उपलब्ध नहीं करायी गई	**4,40,403.00**	4,32,418.48
(ii) कम्पनी के विरूद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया	**8,636.00**	2,630.16
योग	**4,49,039.00**	4,35,048.64
सम्भाव्य परिसम्पत्तियाँ		
(i) कम्पनी द्वारा दावा जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया*	**3,32,383.00**	2,32,646.00
(ii) अन्य	–	–
योग	**3,32,383.00**	2,32,646.00

*ट्रू–अप आदेशों में राजस्व अंतराल (वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए हैं ₹ 717.34 करोड़, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 599.47 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए हैं ₹ 1,009.65 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 997.21 करोड़ है) की अस्वीकृति के विरूद्ध अपील दायर की गई है एवं माननीय एपीटीईएल के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए लम्बित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दायित्व, निगम के विरूद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये दावों के साथ–साथ अन्य पक्षों द्वारा दायर दावों, यदि कोई हों, जिनका अभिनिश्चय न किया जा सके, का निस्तारण उनके उद्भूत होने पर किया जाता है।

7. एमएसएमईडी एक्ट, 2006 से आवरित इकाईयों के भुगतान हेतु लम्बित दायित्वों एवं उस पर ब्याज हेतु अधिनियम की धारा 22 में दिए गए प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न तो यू.पीपी.टी.सी.एल. की क्षेत्रीय इकाईयों और न ही अधिनियम से आवरित सम्बन्धित पक्षों द्वारा सूचित है।

8. **सम्बन्धित पक्ष की सूचना :–**

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार, कम्पनी से सम्बन्धित पक्ष निम्नलिखित है–

(क) सम्बन्धित पक्षों की सूचना (शीर्ष प्रबंधन कार्मिक) :

1. शीर्ष प्रबंधन कार्मिक एवं उनके सम्बन्धी :

नाम	पदनाम	कार्यकाल वित्तीय वर्ष2023.24 के लिए	
		नियुक्ति	सेवानिवृत्ति/समाप्ति 31.03.2024 को
श्री एम, देवराज	अध्यक्ष	02.02.2021	27.07.2023
डा. आशीष गोयल	अध्यक्ष	27.07.2023	कार्यरत
श्री गुरू प्रसाद पोराला	प्रबन्ध निदेशक	23.07.2021	04.03.2024
श्री रणवीर प्रसाद	प्रबन्ध निदेशक	04.03.2024	कार्यरत
श्री पंकज कुमार	प्रबन्ध निदेशक, यूपी.पी.सी.एल एवं नामित निदेशक	10.03.2021	कार्यरत
श्री निधि कुमार नारंग	निदेशक (वित्त)	23.09.2022	01.11.2023
श्री समीर कुमार स्वैन	निदेशक (वित्त)	01.11.2023	कार्यरत
श्री राजीव कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक एवं नियोजन)	12.07.2022	01.11.2023
श्री सुसान्ता कुमार दास	निदेशक (वाणिज्यिक एवं नियोजन)	01.11.2023	कार्यरत
श्री राजीव कुमार	निदेशक (कार्य और परियोजना)	01.07.2022	कार्यरत
श्री पियूष गर्ग	निदेशक (एस.एल.डी.सी.)	25.11.2022	01.12.2023
श्री अरुण कुमार मिश्रा	निदेशक (एस.एल.डी.सी.)	01.12.2023	कार्यरत
श्री पियूष गर्ग	निदेशक (आपरेशन)	21.05.2022	कार्यरत
श्री राकेश प्रसाद	निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)	01.07.2022	कार्यरत
श्री नील रतन कुमार	नामित निदेशक, उ.प्र सरकार (वित्त)	06.10.2010	कार्यरत
श्री टीएससी बोस	नामित निदेशक (आर.ई.सी.लि.)	18.06.2020	कार्यरत
श्री रवीन्द्र नागपाल	नामित निदेशक (पावर ग्रिड)	18.11.2021	30.04.2023
श्री नवीन श्रीवास्तव	नामित निदेशक (पावर ग्रिड)	14.06.2023	कार्यरत
श्री जावेद असलम	निदेशक (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो)	09.09.2020	03.05.2023
श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो)	03.05.2023	कार्यरत
श्री अनुपम शुक्ला	नामित निदेशक, उप्र.सरकार (ऊर्जा विभाग)	11.08.2022	कार्यरत
श्रीमती सी. इन्दुमती	नामित निदेशक, उ.प्र. सरकार	28.10.2022	कार्यरत
श्री श्रवण बब्बर	मुख्य वित्तीय अधिकारी	11.08.2022	कार्यरत
श्री ऋषि टण्डन	कम्पनी सचिव	06.02.2020	कार्यरत

(ख) सम्व्यवहारों :– (धनराशि ₹ में)

विवरण	2023–24	2022–23
	उपरोक्त (क) (I) सन्दर्भित	उपरोक्त (क) (I) सन्दर्भित
वेतन एवं भत्ते	**2,18,46,667**	2,12,32,687
ग्रेच्युटी / पेन्शन / भविष्य निधि के लिए अंशदान	**15,19,683**	12,51,331
निदेशकों से प्राप्य ऋण	–	–

(ग) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य निदेशक जिनकी नियुक्ति / मनोनयन उ.प्र. शासन द्वारा उ.प्र.पा.का.लि / उ.प्र.रा. वि.उ.नि.लि. के लिए किया गया है तथा उनके पास उ.प्र.पा.का.लि / उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि.का अतिरिक्त कार्यभार भी है, ने अपना पारिश्रमिक पात्रतानुसार प्राप्त किया है।

9) ₹ 7,764.84 करोड़ अनवशोषित मूल्यह्रास से उत्पन्न अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है। उपरोक्त के दृष्टिगत चालू वर्ष के लिए लेखांकन लाभ और भविष्य के लिए बढ़ी हुई टैरिफ दर को देखते हुए, यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध ऐसे अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

10) आधारभूत एवं तनुकृत प्रति अंश आय को लाभ–हानि खाते में भारतीय लेखांकन मानक–33 (ईपीएस) के अनुसार दर्शाया गया है। आधारभूत प्रति अंश आय हेतु वर्ष में कर के पश्चात शुद्ध लाभ / हानि को समता अंशों के भारित औसत से विभाजित करके आगणित किया गया है। प्रति समता अंश तनुकृत आय की गणना करने में समता अंशों की संख्या निर्धारित करने के लिए अंश आवेदन धनराशि (आबंटन हेतु लम्बित) सम्मिलित हैं।

विवरण	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(I) आधारभूत ई.पी.एस.	(धनराशि ₹ लाख में)	(धनराशि ₹ लाख में)
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**66,789**	3,314
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**20,25,09,599**	18,96,67,307
आधारभूत प्रति अंश आय उपार्जन (अ / ब)	**32.98**	1.75
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000
(II) तनुकृत ई.पी.एस.		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**66,789**	3,314
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**20,26,67,932**	19,21,90,244
तनुकृत प्रति अंश आय (अ / ब)	**32.96**	1.72
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000

11) **(I) मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए भारतीय लेखांकन मानक–19 के अनुसार ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण :**

अ) वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय (धनराशि ₹ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सेवा लागत	**11,27,39,452**	10,79,08,446
शुद्ध ब्याज लागत	**11,65,24,517**	10,02,24,381
मान्य व्यय	**22,92,63,969**	20,81,32,827

ब) वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय

विवरण	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लाभ एवं हानि खाते के बाहर ओसीआई में मान्यता प्राप्त	–	–
प्रारम्भिक राशि		
बीमांकिक (लाभ)/देयताओं पर हानि	**(12,50,33,539)**	5,80,11,448
बीमांकिक (लाभ)/सम्पत्ति पर हानि	–	–
अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय ओसीआई में स्वीकृत	**(12,50,33,539)**	5,80,11,448

स) तुलन–पत्र में स्वीकृत राशि

विवरण	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**(1,88,07,81,940)**	(1,50,61,88,435)
आस्तियों का उचित मूल्य	–	–
शुद्ध दायित्व	**(1,88,07,81,940)**	(1,50,61,88,435)
परिसम्पत्ती हद के कारण राशि की पहचान नहीं की गई	–	–
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवत (दायित्व)/परिसम्पत्ति	**(1,88,07,81,940)**	(1,50,61,88,435)

नकदीकरण अवकाश

अ) वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय।

विवरण	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सेवा लागत	**10,67,50,490**	9,52,56,749
शुद्ध ब्याज लागत	**23,42,80,034**	21,83,70,632
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	**33,49,01,456**	(8,31,18,034)
मान्यता प्राप्त व्यय	**67,59,31,980**	23,05,09,347

ब) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**(3,59,27,84,252)**	(3,01,51,78,300)
आस्तियों का उचित मूल्य	–	–
शुद्ध दायित्व	**(3,59,27,84,252)**	(3,01,51,78,300)
परिसम्पत्ती हद के कारण राशि की पहचान नहीं की गई	–	–
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवत (दायित्व)/परिसम्पत्ति	**(3,59,27,84,252)**	(3,01,51,78,300)

(II) यू.पी.एस.एल.डी.सी. उपक्रमों को यू.पी.एस.एल.डी.सी.लि. को हस्तांतरित करने हेतु उ.प्र. सरकार की स्थानांतरण योजना की अधिसूचना संख्या 30/24–यू.एन.एन.पी–23–525–2008 दिनांक 24 मई 2023 के बिन्दु संख्या 8 के अनुच्छेद (5) के अनुसार, यू.पी.पी.टी.सी.एल./यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा कर्मियों के लाभार्थ स्थापित निधियों की संचित धनराशि यू.पी.पी.टी.सी.एल./यू.पी.पी.सी.एल. में इस तरह की जमा फंड की स्थित मे है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक स्वीकार्य वैकल्पिक तंत्र विकसित और कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर प्रावधान की गई राशि के संबंधित खर्च को लाभ के विरुद्ध प्रभारित किया गया है। उपादान खर्चों का आधार सेवा के पूर्ण वर्षों और अंतिम वेतन यानी बेसिक+डीए का संयुक्त अनुपात है, और अवकाश नकदीकरण के लिए, यह अंतिम वेतन यानी बेसिक+डीए, और उपार्जित अवकाश शेष का संयुक्त अनुपात है। इसी निरंतरता में, अवकाश नकदीकरण की व्यय राशि ₹1.42 करोड़ और उपादान की वयय राशि ₹ 0.78 करोड़ को वर्तमान वर्ष में यूपीएसएलडीसी लिमिटेड से प्राप्य के रूप में संग्रहित किया गया है।

(III)अ) चूंकि सरकार ने अभी तक अधिसूचना के माध्यम से यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवशोषण को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए पेंशन और उपादान के प्रावधान के लिए कार्यप्रणाली के अनुरूप यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक खातों में दिनांक 09.11.2000 (यूपीपीसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया) की बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर जीपीएफ योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के संबंध में पेंशन और उपादान के कारण उपार्जित देयता के लिए प्रावधान मूल वेतन और ग्रेड वेतन प्लस डीए की राशि पर क्रमशः 16.70% और 2.38% और यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवशोषण को अंतिम रूप देने की लंबित अवधि के दौरान नए सिरे से बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त करने के मामले में आवश्यक प्रावधान के अनुसार संग्रहित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

ब) भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सीपीएफ योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की उपादान से उत्पन्न होने वाली अपनी देनदारी को मापा और उसका हिसाब रखा है।

12 अ) चिकित्सा लाभ और एलटीसी का लेखा–जोखा वर्ष के दौरान प्राप्त और अनुमोदित दावों के आधार पर किया जाता है।

ब) चालू वित्त वर्ष के लिए बीमाकृत मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अर्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानिवृत्ति लाभ) के लिए प्रावधान शामिल है।

13) प्रावधानों में संचालन का प्रकटन :

(धनराशि ₹ लाख में)

विवरण	प्रावधानों का संचलन			
	01.04.2023 को अवशेष	**वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान**	**वर्ष के दौरान समायोजित किये गए प्रावधान**	**31.03.2024 को अवशेष**
संदिग्ध प्राप्यों हेतु प्रावधान	187	–	–	**187**
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान– ग्राहकों से बकाया	1,962	–	–	**1,962**
सी.डब्ल्यू.आई.पी. हानि हेतु प्रावधान (परित्याग या अन्यथा के कारण)	254	–	–	**254**
आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अशोध्य और संदिग्ध अग्निमों के लिए प्रावधान (पूंजीगत)	186	–	–	**186**
योग	**2,588**	–	–	**2,588**

14) व्यापार प्राप्य बढ़ने की अनुसूची

(धनराशि ₹ लाख में)

विवरण	6 माह से कम	6माह–1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– उचित माना जाता है	16,46,72,65,193	19,95,54,56,098	23,86,87,04,564	6,53,72,394	3,58,00,967	60,39,25,99,216
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	19,61,59,761	19,61,59,761
योग	**6,46,72,65,193**	**19,95,54,56,098**	**23,86,87,04,564**	**6,53,72,394**	**23,19,60,728**	**60,58,87,58,977**

अच्छी मानी जाने वाली निर्विवाद व्यापार प्राप्तियों में मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड से ₹14.08 करोड़ की प्राप्तियां (31.03.2024 तक 3 वर्षों से अधिक के लिए ₹3.58 करोड़, 2 से 3 वर्षों के लिए ₹6.54 करोड़, 1 से 2 वर्षों के लिए ₹2.16 करोड़ और 3 महीने से कम के लिए ₹1.8 करोड़) शामिल हैं, जिन्हें वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पूरी तरह से निपटाने पर सहमति व्यक्त की गई है। उपरोक्त बकाया में से ₹8 करोड़ का भुगतान वित्त वर्ष 2024–25 की पहली तिमाही के अंत तक किया जा चुका है।

15 (अं) चुकता समता अंशो में कंपनी द्वारा शासन को आवंटित ₹180.72 करोड़ के शेयर शामिल हैं। परन्तु, अंतिम हस्तांतरण योजना के अनुसार उक्त शेयरों को यूपीपीसीएल को जारी किया जाना आवश्यक था, जो प्रकरण पहले ही शासन को भेजा जा चुका है और अंतिम निर्णय अभी लम्बित है।

(ब) उ.प्र. सरकार द्वारा प्रदान की गई 400 केवीए अनपरा–वाराणसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 319.28 हेक्टेयर वन भूमि की पट्टा अवधि मार्च 2014 में समाप्त हो गई। पट्टा अवधि के लिए नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है। परन्तु, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई वन भूमि के उपयोग के लिए पट्टे के किराए पर छूट के सम्बन्ध मे आदेश सं 3220/24–पी–3–2022–1604/2022 दिनांक 04.01.2023, के अनुसार वन विभाग से अंतिम पुष्टि की प्रतीक्षा है।

(स) अन्य वर्तमान देनदारियों पर नोट 21 में उ.प्र. पावर सेक्टर एम्प्लॉयी ट्रस्ट के प्रति ₹20.22 करोड़ की ब्याज देयता और यूपीपीसीएल सीपीएफ ट्रस्ट के प्रति ₹1.57 करोड़ की ब्याज देयता शामिल है, जिसे जून 2024 में भुगतान किया गया है।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के अनुसार अतिरिक्त नियामक जानकारी:

अ) एक अचल संपत्ति जो कंपनी के नाम पर नहीं है।

सभी अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित होते हैं) कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं।

ब) प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत परिभाषित) को व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम नहीं दिए जाते हैं।

स) सभी चल रहे पूंजीगत कार्यों का आयुवार विवरण उपलब्ध न होने के कारण सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल का खुलासा नहीं किया जा सका।

द) वित्तीय वर्ष के अंत तक बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (संशोधित) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

य) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है।

र) कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ल) कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अन्तर्गत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

व) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान वैधानिक अवधि के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के साथ शुल्क या शुल्क की संतुष्टि दर्ज की है।

श) अनुपात

विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च, 24 को	31 मार्च, 23 को	अन्तर	अन्तर के लिए कारण > 25%
वर्तमान अनुपात	स्टॉक (भंडार और अतिरिक्त)+ व्यापार प्राप्य+ नकद और नकद समतुल्य अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	उधार पट्टा देनदारियाँ+ अन्य वित्तीय देनदारियाँ+ अन्य वर्तमान देनदारियाँ+ प्रावधान	1.37	1.34	2%	–
ऋण समता अनुपात	गैर–वर्तमान उधार +वर्तमान उधार +गैर चालू पट्टा+ दायित्ववर्तमान पट्टा दायित्व	भुगतान की गई पूंजी+अंश आवेदन आवंटन के लिए लंबित धन+निःशुल्क आरक्षित राशि+ प्रतिधारित आय	0.62	0.72	-13%	–
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ+ ब्याज+मूल्यह्रास और परिशोधन+ असाधारण वस्तुएँ	ब्याज+मूलधन चुकौती और गैर चालू उधार	1.34	1.10	22%	–
समता' पर वापसी	ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ	समता	0.03	0.00	1768%	शुद्ध लाभ/हानि में महत्वपूर्ण परिवर्तन

आवर्त स्टॉक अनुपात	संचालन से राजस्व	औसत स्टॉक	2.23	2.01	11%	–
व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	0.60	0.55	10%	–
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी	0.19	0.19	0%	–
शुद्ध लाभ अनुपात	ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	0.17	0.01	1732%	शुद्ध लाभ/हानि में महत्वपूर्ण परिवर्तन वापस लिखी गई देनदारियों के कारण
नियोजित पूंजी अनुपात पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले लाभ	चुकता पूंजी+ शेयर आवेदन आवंटन के लिए लंबित धन+ निःशुल्क आरक्षित राशि+ गैर चालू उधार+गैर चालू पट्टा दायित्व+ चालू उधार	5.23%	3.41%	53%	शुद्ध लाभ/हानि में महत्वपूर्ण परिवर्तन वापस लिखी गई देनदारियों के कारण

***व्यापार देय और निवेश पर रिटर्न अनुपात लागू नहीं है।

ष) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खातों के लेखों में दर्ज नहीं किया गया और आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या उद्घटित किया गया हो।

ह) पहले तीन वित्तीय वर्ष का औसत शुद्ध लाभ हानि इत्यादि है। एक लाख ₹ 95.32 करोड़ रु. इसलिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में कोई सीएसआर दायित्व नहीं है

छ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

त्र) "अतिरिक्त नियामक जानकारी के खंड (ii), (iii), (iv) और (xiii) हमारे मामले में लागू नहीं हैं।

17) (I) कम्पनी ने राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों "कम्पनियों को निम्नलिखित भूमि हस्तगत की है:

अ. ताजमहल ईस्ट गेट रोड, आगरा में स्थित पर्यटन विभाग को मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए 5.9 एकड़ भूमि,

ब. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132/33 केवी जीआईएस उपकेन्द्र, नीबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर भूमि,

स. पर्यटन विभाग, इटावा को 2.2250 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा।

(II) कम्पनी ने उपयोग के अधिकार के आधार पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132 केवी एसजीपीजीआई उपकेन्द्र पर स्थित 2380 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई है।

18) अंतर कम्पनी अवशेषों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों से देय हैं 630 करोड़ और हैं 170 करोड़ प्राप्य की राशि शामिल ह।

19) उपर्युक्त शेष राशि अंतरों के समाधान के अधीन है, जो एक सतत प्रक्रिया है और इसका लेखा–जोखा तक किया जाता है जब किसी भी कम्पनी के लेखों में ऐसा पाया जाता है।

20) वि.व. 2017–18 से सम्पूर्ण कम्पनी के आई.यू.टी. सम्व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावशाली नई प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। परिणामस्वरुप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के पश्चात कोई भी असमाधानित सम्व्यवहार नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के पूर्व के अन्तर इकाई अवशेष अन्तरों के समाधान के अधीन है जो कि एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका लेखांकन तभी किया जाता है जब सम्बन्धित इकाइयों में से किसी एक की पुस्तकों में, यह पाया जाता है।

21) कंपनी के निदेशक मंडल की 95वीं और 96वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में ₹514.89 करोड़ की राशि वापस लिखी जाती है और इसे इकाइयों के प्रभारी संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत घोषणा के आधार पर आय के रूप में गिना जाता है।

22) कंपनी में 01.09.2022 से ईआरपी सिस्टम लागू किया गया है। एसएपी (ईआरपी) के सभी पांच मॉड्यूल, अर्थात, वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण (एफआईसीओ) मॉड्यूल, मानव संसाधन (एचआर) मॉड्यूल, सामग्री प्रबंधन (एमएम) मॉड्यूल, परियोजना प्रणाली (पीएस) मॉड्यूल और प्लांट रखरखाव (पीएम) मॉड्यूल उपरोक्त तिथि से कार्यात्मक हैं। चूंकि ईआरपी को वर्ष के मध्य में क्रियान्वित किया गया है एवं ईआरपी पर माइग्रेट किए गए कट ओवर डेटा का आकार भी महत्वपूर्ण है, इसलिए माइग्रेट किए गए डेटा की समीक्षा वर्ष के अंत में भी जारी थी और इसमें उचित समय लगना चाहिए था। वित्तीय वर्ष के अंत में इसके कार्यान्वयन के बाद ईआरपी परियोजना अभी भी अपने स्थिरीकरण चरण में थी द्य उपरोक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, परिणामों की तुलना और सामंजस्य के लिए ईआरपी के साथ–साथ पूर्ववर्ती लागू प्रणाली पर भी समानांतर रूप से अभिलेख तैयार किए गए हैं। चूंकि कम्पनी, जो कभी किसी ईआरपी प्रणाली पर नहीं थी, ने ईआरपी के सभी मॉडयूलों को सीधे लागू किया हैं, इसलिए कार्यान्वयन, स्थितिकरण और परिणामों की तुलना में लगने वाला समय उचित है।

23) यूपी पावर कॉरपोरेशन सीपीएफ ट्रस्ट और यूपी स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट द्वारा डी.एच.एफ.एल.की सावधि जमा में किए गए कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि योगदान के निवेश के कारण संभावित हानि के विरूद्ध हैं ₹25.51 करोड़ का प्रावधान लेखों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अर्न्तगत किया गया है।

24) कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2020–21 से आयकर अधिनियम, 1961 की नई धारा 115 बीएए का विकल्प चुना है, जहां कम्पनी की कुल आय के सम्बन्ध में देय आयकर की गणना बाईस प्रतिशत की दर से लागू अधिभार और उपकर को जोड़कर की जायेगी, जबकि इस तरह के विकल्प को अपनाने से पहले निर्धारण वर्ष 2019–20 के लिए कर की दर तीस प्रतिशत तथा लागू अधिभार और उपकर जोड़कर था।

25) कंपनी ने रुपये का भुगतान किया है। चालू वर्ष में बागपत, शाहजहांपुर और सोहावल में क्रमशः 400 केवी सबस्टेशनों के लिए जनवरी 2020 के सीईआरसी आदेश के अनुपालन में द्विपक्षीय पारगमन शुल्क के संबंध में पीजीसीआईएल को विरोध के तहत 47.14 करोड़ रुपये। सीईआरसी के उक्त आदेशों के खिलाफ माननीय एपीटीईएल के समक्ष

अपील दायर की गई है जो निर्णय के लिए लंबित है।

26) बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और एस.ओ.सी.ई. के नोटों के लिए विवरण और स्पष्टीकरणः

अ) नोट 3 के तहत प्रगति पर पूंजी कार्य में उधार लागत, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां और ठेकेदारों के साथ सामग्री एवं अन्य अग्रिम शामिल नहीं हैं, जिन्हें अधिक स्पष्टता के लिए अलग से प्रस्तुत किया गया है।

ब) नोट 7 के तहत अन्य सामग्री में फैब्रिकेटरों को जारी की गई सामग्री, अप्रचलित सामग्री, स्क्रैप, मरम्मत के लिए भेजे गए ट्रांसफॉर्मर, स्टोर, जांच के लिए लंबित अतिरिक्त कमी और पारगमन में सामग्री शामिल हैं।

स) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान– जीपीएफ और सीपीएफ काल्पनिक ब्याज के रूप में नुकसान के कारण, मैसर्स डीएचएफएल में निवेश पेंशन और उपादान देयता और सीपीएफ देयता–(मूलधन) को अधिक स्पष्टता के लिए नोट 21 अन्य वर्तमान दायित्वों के तहत पुनः वर्गीकृत किया गया है।

द) जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठेकेदार को जारी की गई सामग्री के खिलाफ प्राप्य–कमी आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से वसूली योग्य व्यय और प्राप्य–अन्य से भण्डार की बिक्री के लिए विविध देनदार जैसी वस्तुओं को अधिक स्पष्टता के लिए नोट 11 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

27 पूर्व वर्ष के आंकड़ो का यथोचित पुनर्समुहीकरण/पुनर्वगीकरण/पुनर्आगणन किया गया है। पूर्व अवधि की बहाली अनुसूची को अगले पृष्ठ के साथ संलग्न किया गया है।

28 तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा लेखों पर टिप्पणियों में दिखाए गए आंकडे, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, निकटतम लाख ₹ में पूर्णांकित किये गये है।

29 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ विशिष्ट रूप से पहली बार अभिग्रहण हेतु उपयुक्त रूप से संशोधित की गई है, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है।

30 वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक खातों को अभी तक वार्षिक आम बैठक में सुनिश्चित किया जाना शेष है।

31 चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल द्वारा 18 जुलाई, 2024 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

–ह.–	–ह.–	**यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन**
(श्रवण बब्बर)	**(समीर कुमार स्वैन)**	**कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	निदेशक (वित्त)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
	डीआईएन–08721075	
–ह.–	–ह.–	–ह.–
(ऋषि टण्डन)	**(रणवीर प्रसाद)**	**(जितेन्द्र अग्रवाल)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–06684884	स.स. 072529
		फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी
		यूडीआईएनः24072529बीकेएक्यूयूई1788

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 31.07.2024

खातों पर टिप्पणी के बिन्दु सं. 27 के लिए तुलन पत्र और लाभ एवं हानि मदों हेतु पुर्नस्थापना की अनुसूची

(₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति/दायित्व)	31.03.2023 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
परिसम्पत्तियाँ					
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	26,64,768.19		–		
		कार्मिक लागत	(11.42)		
		ह्रास	468.55		
			–	457.13	26,65,225.32
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	4,30,240.26		–		
		अन्य आय	(53.95)		
		मरम्मत और अनुरक्षण	0.84		
		कार्मिक लागत	(492.62)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(0.01)		
			–	(545.74)	4,29,694.52
अन्य अमूर्त सम्पत्ति	4,810.22		–		
		कार्मिक लागत	(225.95)		
		ह्रास	(7.77)		
			–	(233.72)	4,576.50
अन्य वित्तीय सम्पत्ति	34,105.07		–		
		अन्य आय	3.22		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(0.04)		
			–	3.18	34,108.25
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	394.95		–		
		समायोजन	(0.01)	(0.01)	394.94
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			–		
स्टॉक (भण्डार एवं संयंत्र)	1,94,747.30		–		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(287.60)		
		कार्मिक लागत	(21.54)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(0.21)		
			–	(308.93)	1,94,438.37
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			–		
व्यापारिक प्राप्तियाँ	6,68,701.86	समायोजन	0.01		
			–	0.01	6,68,701.87
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	52,025.57		–		
		अन्य आय	14.05		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	0.06		
			–	14.11	52,039.68
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	39,151.18		–		
		अन्य आय	215.70		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(286.62)		
		कार्मिक लागत	29.34		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(0.56)		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	311.80		
		पुनर्वर्गीकरण	–	269.66	39,420.84

खातों पर टिप्पणी की बिंदु संख्या 27 के लिए तुलन पत्र और लाभ एवं हानि मदों हेतु पुर्नस्थापना की अनुसूची (₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति/दायित्व)	31.03.2023 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
समता एवं दायित्व					
समता					
समता अंश पूंजी	19,86,725.82	–	–		
			–	–	19,86,725.82
अन्य समता (एसओई देखें)	1,38,189.53		–		
		अन्य आय	(3,972.92)		
		लाभ/हानि का शुद्ध पुर्नस्थापन	2,863.36	(1,109.56)	1,37,079.97
दायित्व					
1. गैर–चालू दायित्व					
वित्तीय दायित्व					
उधारियाँ	11,92,104.04	विविध समायोजन	–	–	11,92,104.04
पट्टा दायित्व	4,474.14	विद्युत बिक्री से राजस्व	497.17		
			–	497.17	4,971.31
प्रावधान	43,373.08		–		
		कर्मचारी लागत	433.39		
			–	433.39	43,806.47
आस्थगित कर दायित्व	11,803.09	पुनर्वर्गीकरण		–	11,803.09
2. चालू दायित्व					
वित्तीय दायित्व					
उधारियाँ	1,26,025.45	विविध समायोजन	–		
			–	–	1,26,025.45
पट्टा दायित्व	601.60		–		
			–	–	601.60
अन्य वित्तीय दायित्व	2,927.36		–		
			–	–	2,927.36
अन्य चालू दायित्व	5,80,879.90		–		
		अन्य आय	(418.97)		
		मरम्मत और अनुरक्षण	9.68		
		कार्मिक लागत	(68.84)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	82.84		
		राजस्व खाते में अन्य नामे	22.80		
			207.18		
		पुनर्वर्गीकरण	–	(165.31)	5,80,714.59
प्रावधान	1,840.59		–		
			–	–	1,840.59
पुर्न स्थापन का शुद्ध प्रभाव			**–**	**0.00**	**0.00**

खातों पर टिप्पणी की बिंदु संख्या 27 के लिए तुलन पत्र और लाभ एवं हानि मदों हेतु पुर्नस्थापना की अनुसूची

ब–लाभ एवं हानि खाता (₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (लाभ एवं हानि)	31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
परिचालन से राजस्व	3,57,576.62	बिजली की बिक्री से राजस्व	(497.17)	(497.17)	3,57,079.45
अन्य आय	38,236.59	अन्य आय	1,522.09	1,522.09	39,758.68
कुल आय	**3,95,813.21**				**3,96,838.13**
कार्मिक लाभ व्यय	42,130.08	कार्मिक लागत	3,418.17	3,418.17	45,548.25
वित्त लागत	1,04,538.40	ब्याज और अन्य वित्त शुल्क	–	–	1,04,538.40
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1,82,719.31	मूल्यह्रास	774.45	774.45	1,83,493.76
अन्य व्यय:					
प्रशासनिक एवं समान्य व्यय	7,549.27	प्रशासनिक एवं समान्य व्यय	84.78		
		राजस्व खाते में अन्य बकाया	22.80	107.58	7,656.85
मरम्मत और अनुरक्षण व्यय	47,126.26	मरम्मत और अनुरक्षण	216.20	216.20	47,342.46
अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	–		–	–	–
कुल व्यय	**3,84,063.32**				**3,88,579.72**
लाभ/(हानि)	11,749.89				8,258.41
असाधारण मदें	2, 479.98		–		
			–	–	2,479.98
कर पूर्व लाभ	9,269.91				5,778.43
कर व्यय:					
चालू कर					
आस्थगित कर	2,464.43		–	–	2,464.43
निरंतर संचालन (VII-VIII) से अवधि के लिए लाभ/(हानि)	6,805.48				3,314.00
अन्य व्यापक आय					
अ (i) ऐसी वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	580.11		–	–	580.11
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा					
ब (i) जिन वस्तुओं को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा					
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ/हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।					
कुल व्यापक आय (XIII+XIV) अवधि के लिए (अवधि के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)	7,385.59				3,894.11

–ह.–
(श्रवण बब्बर)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

–ह.–
(समीर कुमार स्वैन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–08721075

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के प्रतिबन्धाधीन
कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह.–
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

–ह.–
(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–06684884

–ह.–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी
यूडीआईएन:24072529बीकेएक्यूयूई1788

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

2/10, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
फोन : मुख्यालय : लखनऊ : 945003111
जेआईटीईएनडीआरएएफसीए@जीएमएआइएल.सीओएम
एचटीटीपीः//जेआईटीईएनडीआरएसीए.सीओएम

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर प्रतिवेदन

अभिमत :

हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं। इन विवरणों में अन्य लेखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित किए गए छः पारेषण परिक्षेत्रों, निधि प्रबन्धन इकाइयों–प्रथम एवं द्वितीय, ऋण प्रबन्धन इकाई और भुगतान इकाई के लेखे भी सम्मिलित हैं।

हमारे अभिमत में, और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे प्रतिवेदन के ''परिमित अभिमत के आधार'' भाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कंपनी की अन्य व्यापक आय, समता में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह सहित कंपनी के लाभ को, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इन्ड एएस") सपठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में, भी परिलक्षित करते हैं।

परिमित अभिमत के लिए आधार :

हम 'अनुलग्नक–I' में वर्णित प्रकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते है। इन प्रकरणों का प्रभाव, एकिक अथवा समग्रता में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रकरण भी हो सकते है जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।

हमने वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस.ए.) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारे प्रतिवेदन के ''वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व'' भाग में वर्णित किया गया है। भारतीय चार्टड एकाउण्टेन्स संस्थान (आई सीए आई) द्वारा निर्गत आचार संहिता की अनुरुपता में हम कम्पनी से स्वतंत्र है, तथा हमने अधिनियम व इसके नियम के

अंतर्गत हमारी सम्प्रेक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं को घ्यान में रखा है। हमने इन आवश्यकताओं आईसीएआई की अचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

विषय का महत्व अनुच्छेद :

- उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और उ.प्र. स्टेट पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट ने अपनी अधिशेष संचित निधि को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (डीएचएफएल) की सावधि जमा में निवेश किया । डी. एच.एफ.एल. के दिवालिया होने के कारण, इसमें निवेश की गई राशि, अप्राप्त ब्याज और उस पर अनुमानित ब्याज सहित लुप्त हो गई है। परिणाम स्वरुप यह निर्णय लिया गया है कि डी.एच.एफ.एल. में लुप्त हुई राशि की प्रतिपूर्ति उ.प्र. पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड वितरण कम्पनियों उ.प्र. राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड और उ.प्र. जल विद्युत निगम लिमिटेड से ट्रस्ट द्वारा उनके जीपीएफ/सीपीएफ अंशदान के अनुपात में प्राप्त की जाएगी। इस संदर्भ में, कंपनी ने ₹ 2550.62 लाख का प्रावधान किया है जिसे असाधारण मद के रूप में वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है। इस व्यवस्था को निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है।

  इस मामले में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले:

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्ता के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में निवेदित किया गया था। हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें :

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सूचनाएँ सम्मिलित हैं किन्तु वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उन पर किसी तरह का आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, अन्य सूचनाओं को पढ़ना तथा विचार करना हमारा उत्तरदायित्व है यदि यह एकल वित्तीय विवरणों अथवा सम्प्रेक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से सारपूर्ण रूप में असंगत या अन्यथा महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णित प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किये गये कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो उनसे यह अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना अभिशासन हेतु उत्तरदायी लोगों को दे तथा परिस्थितियों और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार उचित कार्यवाही करें।

निदेशक मण्डल प्रतिवेदन को लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है। हमें इस सम्बन्ध में कुछ भी सूचित नहीं करना है।

वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन तथा "जो अधिशासन हेतु दायी है" के उत्तरदायित्व :

संलग्न वित्तीय विवरणों को कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की धारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित ("इन्ड एएस") तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, समता में परिवर्तन व रोकड़ प्रवाह का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने के लिए निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार समुचित लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन, उचित एवं युक्तियुक्त अनुमान व निर्णय, तथा प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रक की अभिकल्पना, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण सम्मिलित है। इन नियंत्रणों का उद्देश्य लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णतः सुनिश्चित करना और वित्तीय विवरण जोकि सारपूर्ण मिथ्यावर्णन यद्यपि धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है, को बनाना व प्रस्तुतीकरण।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, के लिए प्रबन्धन उत्तरदायी है। इसमें सतत् व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत् व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने की इच्छा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, से संबंधित कोई भी प्रकरण का प्रकटीकरण सम्मिलित है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व :

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्रता में सारपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि कारणों से मुक्त है तथा एक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि जिम्मेदारी नहीं है कि अंकेक्षण चाहें प्रमापों के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी। मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।

अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों के अनुरूप सम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप मे, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हमः–

- वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारणों, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये प्रति क्रियाशील सम्प्रेक्षा प्रकिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है, प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर की गई चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।
- ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत् व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवदेन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत् व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटन समेत वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से सुनिश्चित/प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।

सारपूर्णता वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों के परिमाण को संदर्भित करती है, जो ऐकिक रुप मे या समग्रता में एक जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है। हम (i) अपने सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का आकलन मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों दोनों पर विचार करते हैं।

हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।

हम इन नियन्त्रक प्रभारियों को वक्तव्य प्रदान करते हैं जो स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ हमारे अनुपालन की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, हम उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संप्रेषित करते हैं जिन्हें उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए माना जा सकता है, जिसमें कोई भी संबंधित सुरक्षा उपाय सम्मिलित हैं, यदि लागू हो।

नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उनकी पहचान करते हैं जो वर्तमान अवधि के लिए एकल वित्तीय विवरणों के सम्प्रेक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और उन्हें प्रमुख सम्प्रेक्षा मामलों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन में इन प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है या, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को संप्रेक्षित करने के प्रतिकूल परिणामों के कारण इस तरह के संचार से सार्वजनिक हित के लाभों का अधिक होना सम्भावित है।

अन्य मामलेः

कम्पनी के वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा और झांसी में स्थित परिक्षेत्रों की लेखा पुस्तकों अथवा सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमने नहीं की है। इन परिक्षेत्रों के लेखा पुस्तकों तथा सूचनाओं की सम्प्रेक्षा सम्बंधित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें हमें प्रदान किये गए है। हमारे अभिमत, जहाँ तक यह धनराशियां एवं प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन :

1. हमारी सम्प्रेक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि अधिनियम की धारा 197 सपठित अनुसूची V के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं चूंकि कम्पनी एक सार्वजनिक कम्पनी नहीं है जैसाकि अधिनियम की धारा 2(71) में परिभाषित है। तदनुसार, धारा 197(16) के अनुसार प्रतिवेदन लागू नहीं है।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा जैसाकि वांछित है हम "अनुलग्नक–II" में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, लागू होने की सीमा तक विवरण प्रदान करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम "अनुलग्नक III (ए) एवं III(बी)" पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।

4. जैसाकि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा वांछित है, तथा हमारी सम्प्रेक्षा के आधार पर लागू सीमा तक सूचित करते है कि:

   अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार अंश में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

   ब) हमारे अभिमत में और "परिमित अभिमत के लिए आधार" भाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, विधान के अनुसार कंपनी द्वारा समुचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्रों जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।

   स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुए हैं तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित है।

   द) इस प्रतिवेदन में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों से सुमेलित है।

   य) सिवाय उन मामलों के जो "परिमित अभिमत के लिए आधार" अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (आईएनडीएएस) सपठित कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 का अनुपालन करते हैं।

   र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

   ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के "अनुलग्नक–IV" का संदर्भ ग्रहण करें।

   व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014(यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत, जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार–

      i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार" अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति

पर लंबित वादों के प्रभाव को 31 मार्च 2024 के वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है।

ii. कंपनी के पास प्रतिभागी संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानियाँ थी।

iii. 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा किसी भी राशि को निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष मे अंतरण नही किया जाना था।

iv. अ) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि उनकी समझ व विश्वास मे तथा जैसाकि लेखों पर टिप्पणीयों में वर्णित है, को छोड़कर कंपनी द्वारा कोई भी धनराशि किसी व्यक्ति (यों) अथवा संस्था (ओं) को सम्मिलित करते हुए, इस समझ के साथ जैसाकि लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया है कि बिचौलिया प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से अन्य व्यक्तियों को ऋण देता अथवा निवेश करता है अथवा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से चिन्हित की गई संस्थाए ("अंतिम लाभार्थी") अथवा अंतिम लाभार्थी की ओर से प्रदत्त कोई आश्वासन, प्रतिभूति या समान व्यवस्था, को अथवा मे अग्रिम या विनियोग (चाहे ऋण कोष, अंश अधिमूल्य अथवा किसी अन्य स्रोत के रुप में) नहीं किया है।

ब) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया कि उनकी सर्वोत्तम समझ व विश्वास में तथा जैसा कि लेखों पर टिप्पणियों में वर्णित है को छोड़कर कंपनी ने कोई भी धनराशि किसी व्यक्ति (यों) अथवा संस्था (ओं) विदेशी संस्थाओं ("वित्त पोषण संस्थाएं'') को सम्मिलित करते हुए, इस समझ के साथ जैसाकि लिखित रूप मे या अन्यथा दर्ज हो कि कम्पनी बिचौलिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से ऋण देती अथवा निवेश करती है अथवा वित्तपोषण संस्था ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से चिन्हित जो भी अन्य व्यक्ति अथवा अंतिम लाभार्थी की ओर से प्रदत्त कोई आश्वासन प्रतिभूति या समान व्यवस्था, को अथवा मे अग्रिम या विनियोग (चाहे ऋण कोष अंश अधिमूल्य अथवा किसी अन्य स्रोत के रुप में) नही किया है।

स) सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपवाक्य (अ) और (ब) अंतर्गत किये गए प्रस्तुतीकरण मे कोई गलत बयान शामिल है।

v. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया गया है।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

–ह–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
यूडीआईएन:24072529बीकेएक्यूयूई1788
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

अनुलग्नक - I

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में जैसाकि वर्णित व उसका भाग)

1. अंतर–इकाई अंतरण की धनराशि ₹ 25,192.35 लाख समाधान और अनुवर्ती समायोजन के अधीन हैं। यद्यपि, वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से कोई भी असमाधानित लेनदेन नहीं हुए हैं। (संदर्भ नोट 11)
2. ₹ 2,26,953.16 लाख के प्रगतिशील कार्य का आयुवार अनुसूची हमे प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (संदर्भ नोट संख्या 3)
3. परिक्षेत्र सम्प्रेक्षक द्वारा प्रदान की गई और संकलित प्रतिवेदन के अनुसार, सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया गया है, जो आइ एन डी एएस 14 के अनुरुप नही है।
4. कंपनी ने नगर निगम वाराणसी के साथ एक पट्टा समझौता किया है और ₹ 8,19,69,188.00, स्टांप शुल्क जमा ₹ 61,87,000.00 करोड़ के साथ अग्रिम पट्टा प्रीमियम का भुगतान किया है। । पट्टे को आइ एन डी एएस 116 के अनुसार वित्त पट्टे के रूप में माना गया है। हालाँकि, कंपनी आइ एन डी एएस 116 के अनुसार इसका लेखांकन करने में विफल रही है। विशेष रूप से, प्रारंभ तिथि पर, एक पट्टेदार को आइ एन डी एएस 116 के अनुच्छेद 26 के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टे की देनदारी को पहचानना आवश्यक है। पट्टे की देनदारी को उस तिथि तक भुगतान नहीं किए गए पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाना चाहिए। पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे के भुगतान में कमी की जानी चाहिए, यदि उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। यदि दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो पट्टेदार को पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करना चाहिए।
5. कंपनी ने परिसंपत्ति हानि का आकलन नहीं किया है, जो आइ एन डी एएस 36 (परिसंपत्तियों की हानि) के साथ असंगत है।
6. व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी 8) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 11) और अन्य वर्तमान दायित्व (टिप्पणी 20) में वे शेष राशि शामिल हैं जो पिछले वित्ताीय वर्षों से प्राप्ति या निपटान के लिए बकाया हैं। वर्ष के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर इन राशियों की विश्वसनीयता और निपटान के बारे में पर्याप्त जानकारी या स्पष्टीकरण के अभाव में, उन्हें गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों / देनदारियों के बजाय वर्तमान परिसंपत्तियों / देनदारियों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय आइ एन डी एएस1 (वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण) के साथ असंगत है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों / देनदारियों का अधिमूल्यित और संबंधित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों / देनदारियों का अल्पमूल्यित हुई है।
7. कंपनी ने हस्तस्थ सामग्री और अप्रचलित सामग्री के लिए प्रावधान नहीं किया है।
8. कंपनी के पास टिप्पणी 3 (क्रियाशील पूँजीगत कार्य) में उल्लिखित अमूर्त परिसंपत्तियों के अनुसंधान और विकास चरण के बारे में कोई उचित विवरण या जानकारी नहीं है।
9. लेखों की टिप्पणी 27 के अनुसार, कंपनी ने पूर्व अवधि समायोजन के कारण अपने वित्तीय विवरणों को पुर्नस्थापित किया है।
10. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में 2.2250 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग, इटावा को अंतरित की थी। हालांकि, इस लेनदेन के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखा समायोजन अभी भी लंबित हैं (टिप्पणी 33, अनुच्छेद 16 देखें)
11. कंपनी ने ताजमहल, पूर्वी द्वार मार्ग पर स्थित अपनी 5.9 एकड़ जमीन मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को अंतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखा समायोजन अभी भी लंबित है (टिप्पणी संख्या. 33 अनुच्छेद 16)।
12. कंपनी ने 132 / 33 केवी जी / एस उपकेन्द्र नीबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर भूमि को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अंतरित किया है। हालांकि, इस लेन–देन के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखा समायोजन अभी भी लंबित है (टिप्पणी 33, अनुच्छेद 16 देखें)।
13. टिप्पणी संख्या. 21 के अनुसार विविध लेनदारों के अवशेष जो भुगतान के लिए बकाया है, उन्हें आयकर अधिनियम 1961 और एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार अपने बकाया को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।

14. पिछले वर्ष 2022–23 के लिए प्रवजन सम्प्रेक्षा नहीं किया गया है, जिसके दौरान खातों को दस्ती से एसएपी ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर में बदल दिया गया था।
15. वर्ष के दौरान आवधिक आधार पर विविध देनदारों, लेनदारों, अग्रिमों या अंतर–कंपनी लेनदेन के लिए कोई अवशेष पुष्टि प्रक्रिया नही की गयी।

16. परिक्षेत्र की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अवलोकन, जिन्हें प्रतिवेदन में कहीं और उचित रूप से सम्मिलित किया है को छोड़कर।

i- मेरठ (पश्चिम क्षेत्र)

उ.प्र.पा.का.लि., म.वि.वि.नि.लि., प.वि.वि.नि.लि., द.वि.वि.नि.लि., उ.प्र. जल निगम और उ.प्र. विद्युत उत्पादन (जी. एल. मद–2887100000) से प्राप्त होने वाली ₹11.56 करोड़ की राशि में परिक्षेत्र/इकाइयों के साथ विस्तृत मिलान या सहायक प्रपत्रों का अभाव है। इस स्तर पर कोई आवश्यक समायोजन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा (उ.प्र.पा.का.लि., म.वि.वि.नि.लि., प.वि.वि.नि.लि., उ.प्र. जल निगम और उ.प्र. विद्युत उत्पादन) के देय खाते (जीएल मद–4698100000) में ₹9.97 करोड़ दीर्घ अवधि से अवशेष है। स्तर पर मिलान के कारण समायोजन, यदि कोई हों, को निर्धारित नही किया जा सकता है।

ii. झांसी परिक्षेत्र

अ) वि.प.ख., बांदा (22138270) के मामले में जीएल संख्या 22778000000 (परिर्वतक) के तहत ₹ 35,10,266 का प्रारम्भिक नाम अवशेष है। समझाया गया है कि परिर्वतक मरम्मत के लिए बहुत पहले बाह्य संस्था को दिए गए थे, लेकिन अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। यदि बाह्य संस्था से संपत्ति की वसूली नहीं की जाती है, तो यह कंपनी की लाभप्रदता उतनी ही राशि से प्रभावित करेगा।

वि.सा.पा.ख. झांसी (23146285) :

- एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (09एएसीसीएन1659डी1जेडके) 400 केवी उपखण्ड ओराई के निर्माण के लिए अनुबंध मेसर्स एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नई दिल्ली को प्रदान किया गया था, जिसे 09.12.2011 को ₹19,48,89,000.00 की अनुबंध मूल्य के लिए निष्पादित किया गया था, काम पूरा होने की नियत दिनांक 06.01.2014 थी। हालांकि, पक्ष अभी भी अनुबंध को पूरा करने की नियत तारीख के 10 साल बाद भी निष्पादित कर रही है।

ब) सम्प्रेक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अतिथिगृह के संचालन से कुल प्राप्तियां ₹ 5,36,567.84 (जीएल मदः 6264000000) जबकि अतिथि गृहों की मरम्मत और रखरखाव के लिए व्यय ₹ 5,09,19,637.68 (जीएल मदः 7421300000) यह ध्यान दिया गया कि अतिथि गृह अधिकांश समय खाली रहते हैं। इसलिए, प्रबंधन को अतिथि गृहों पर ऐसे महत्वपूर्ण खर्चों के औचित्य की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या ये खर्च उनके सीमित उपयोग को देखते हुए उचित हैं।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

–ह–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
यूडीआईएनः24072529बीकेएक्यूयूई1788
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" खण्ड के अन्तर्गत अनुच्छेद 2 में सन्दर्भित

हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है, इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई सारपूर्ण विसंगति देखी गई थी या नहीं।

(ख) कंपनी द्वारा धारित सभी अचल संपत्तियों के लिए स्वामित्व विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी विधिवत निष्पादित पट्टे के समझौतों के साथ पट्टेदार है) कंपनी के नाम पर पंजीकृत हैं।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। अतः आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (i) (डी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर बेनामी संपत्ति लेन–देन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। नतीजतन, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (i) (ई) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ड़) झांसी क्षेत्र ने वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का कोई सारपूर्ण सत्यापन नहीं किया है।

इसलिए, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई सारपूर्ण विसंगतियां देखी गईं और यदि हैं, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रुप मे निवेदित किया गया है।

ii) वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भंड़ार का भौतिक सत्यापन किया गया है।

iii) वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ii) (बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) हमारे अभिमत में और कम्पनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझीदारी या कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 189 के अन्तर्गत अनुरक्षित रजिस्टर से आच्छादित अन्य पक्षों को कोई संरक्षित या असंरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii) (ए)(बी) व (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आच्छादित कोई लेन–देन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iv) के तहत प्रतिवेदन कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vi) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 एवं कंपनी (निक्षेप स्वीकरण) नियम 2014 (यथा संशोधित) के प्रावधानो की शर्तों में कंपनी ने जनता से जमा अथवा धनराशि जो जमा मानी गयी है स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, इस अनुच्छेद के तहत प्रतिवेदन लागू नहीं है।

vii. लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा बनाये गए हैं। हालाँकि प्रतिदर्श के आधार पर हमने जाँच कर ली है।

viii. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, पीएफ ईएसआई, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, उपयुक्त अधिकरणों को जमा करने में कम्पनी आम तौर पर नियमित रही हैं।

आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, उपकर, जीएसटी या सेवा कर के संबंध में वैधानिक बकाया के खिलाफ विवादों का विवरण जो 31 मार्च, 2024 तक किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकरणों को जमा नहीं किए गए हैं, विवरण निम्नवत है–

माँग की प्रकृति	धनराशि
बिक्री कर	2,29,44,625
टीडीएस	35,26,000

ख) हमारी राय में और हमें प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो लेखापुस्तकों में अभिलिखित न किया गया हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकटित किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में अभिलिखित नहीं किया गया है।

ग) i) हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने किसी ऋण या उधारी की अदायगी अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ii) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

घ) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

च) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई कोई ऐसी निधि नहीं है जिसका उपयोग लंबी अवधि उद्देश्य के लिए किया गया है।

छ) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों सहयोगी या संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

ज) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतिया गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं अर्जित किया है।

झ) i) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समेकित आधार पर कंपनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं ली है।

ii) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या अंगो का व्यक्तिगत स्थापन अथवा परिर्वतनीय ऋणपत्र (पूर्णतः, अंशतः अथवा वैकल्पिक परिवर्तनीय) निर्गत नहीं किये है। तदनुसार, आदेश के परिच्छेद 3(एक्स)(बी) के अन्तर्गत सूचना लागू नहीं है।

ट) i) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, हमारी सम्प्रेक्षा द्वारा आवरित अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या सूचित नहीं की गई है।

ii) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में लेखा परीक्षक द्वारा केंद्र सरकार के पास कोई भी सूचना सम्मिलित नहीं की गई है।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर से शिकायत प्राप्त हुई है।

ठ) कंपनी निधि कम्पनी नहीं है और इस पर निधि नियम, 2014 लागू नहीं है, इसलिए यह परिच्छेद लागू नहीं है।

ड) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 188 के अनुपालन में हैं। ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है। जैसा कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (आइएनडी एएस) 24, कंपनियों में निर्दिष्ट संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत आवश्यक है।

ढ) i) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण व जानकारी के अनुसार कंपनी के पास अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, जो इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

ii) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी द्वारा अब तक आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गये प्रतिवेदनों पर विचार किया है।

त) कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर व हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत निर्दिष्ट निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। अतः आदेश के परिच्छेद 30(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते।

थ) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के परिच्छेद 3(xvi) (ए)(बी) व (सी) के अन्तर्गत सूचना कम्पनी पर लागू नहीं है।

द) कंपनी को वित्तीय वर्ष और अंतिम वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

ध) वर्ष के दौरान पूर्व वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई त्याग पत्र नहीं हुआ है। तदनुसार, इस परिच्छेद के अन्तर्गत सूचना कम्पनी पर लागू नहीं है।

न) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, आयुवार और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी

अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि कोई भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तिथि के अनुसार महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हालाँकि, हमारे अनुसार यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारा प्रतिवेदन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाएगा जब भी वे देय हों।

प) i) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुपालन में कोई भी अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर अंतरित नहीं की है।

ii) किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के तहत व्यय न की गई कोई धनराशि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में अंतरित नही की गई है।

फ) आदेश के परिच्छेद 3(xxi) के तहत सूचना कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस प्रतिवेदन के अनुसार उक्त परिच्छेद के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

–ह–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
यूडीआईएन:24072529बीकेएक्यूयूई1788
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा के भाग में यथा संदर्भित।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र. सं	निर्देश	आख्या
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाह्य लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अविकलता पर प्रभाव, यदि कोई हो, इंगित किया जा सकता है।	लेखा प्रविष्टियाँ अब इकाई स्तर और कम्पनी स्तर पर ईआरपी पर की जाती हैं और लेखांकन व सूचना के उद्देश्य से आकड़े ईआरपी के माध्यम से प्रस्तुत किये गये है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपगी को ऋण, कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभावों के बारे में इंगित किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना एवं ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाओं से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित, उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

–ह–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
यूडीआईएन:24072529बीकेएक्यूयूई1788
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा के भाग में यथा संदर्भित

विषय–कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा143(5)के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के उपनिर्देश

क्र. सं.	उपनिर्देश	आख्या
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि की जाँच पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है ?	उ.प्र.वि.नि.आ., एक राज्य आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.22% अनुमोदित की है। उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. को वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.16% हुई जो कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के अन्तर्गत हैं।
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी संस्था के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार,

क्र. सं	निर्देश	अभ्युक्ति
	उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	यदि जमा कार्य पूरा होने पर संपत्ति संस्था की संपत्ति बन जाती है, तो इसे संस्था को हस्तगत कर दिया जाता है। तथापि, यदि जमा कार्यों से बनाई गई संपत्ति समझौते के संदर्भ में कम्पनी की संपत्ति/परिसंपत्ति बन जाती है, तो इसे पूंजीकृत किया जाता है और परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अंशदान के सापेक्ष कम्पनी की पुस्तकों में अभिलिखित किया जाता है।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

–ह–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
यूडीआईएन:24072529बीकेएक्यूयूई1788
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

अनुलग्नक–IV

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम" की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (I) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

31 मार्च 2024 को तथा समाप्त वर्ष के लिए यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों के हमारे सम्प्रेक्षा के संयोजन जिसमें हमने उस तिथि को कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लेखा परीक्षित किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश वित्तीय लेखा टिप्पणी (निर्देशक टिप्पणी) में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्तवों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा अधिनियम के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, कम्पनी के व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया जो अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लागू सीमा तक आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तथा आईसीएआई द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर दिशानिर्देश लेख (निर्देशक टिप्पणी) के अनुसार किया है। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए सम्प्रेक्षा की योजना बनाए व निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी प्रकार से प्रभावी रुप से संचालित है।

हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन के प्रभाव के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कार्य साधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो, की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हम विश्वास करते है कि उपलब्ध किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य

कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण एवं वित्तीय प्रपत्रों का सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को लेखांकित किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निर्देशों की अनुज्ञा अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तिया की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्ता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकता हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या अनुपालन की मात्रा के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

अभिमत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2024 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।

कृते जितेन्द्र अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या : 003755सी

–ह–
(जितेन्द्र अग्रवाल)
साझीदार
स.स. 072529
यूडीआईएनः24072529बीकेएक्यूयूई1788
स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31.07.2024

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–II), उ.प्र.
"ऑडिट भवन", टीसी–35–V–1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

सत्यमेव जयते

पत्रांकः म.ले. (ऑडिट–II)/ए.एम.जी.–II/लेखा/उ.प्र.पा.ट्रां.कॉ.लि./2023–24/269 दिनांक : 08.01.2025

सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

एतत्सह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

यह रिपोर्ट लेखापरीक्षिती द्वारा दी गयी एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर बनायी गयी है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), उत्तर प्रदेश लेखापरीक्षिती की किसी भी गलत सूचना और/अथवा गैर जानकारी के लिए किसी भी जिम्मेदारी को अस्वीकार करता है।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि

ह०
(जय प्रकाश)
वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(ए.एम.जी.–II)

दूरभाष–0522–2984691, 2970540 फैक्स–0522–2722106

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 31 जुलाई, 2024 के माध्यम से किया गया होना इंगित है।

मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है।

मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को श्रेष्ठर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :

अ. प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (टिप्पणी–1)

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के पैरा III (बी) में, यह प्रकटन किया गया है कि मूल्यह्रास केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (प्रशुल्क की नियम एवं शर्तें) विनियम, 2019 के परिशिष्ट–I में निर्धारित विधि के अनुसार लिया जाता है। परन्तु, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 73 के प्रावधानों के उल्लंघन में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयोगी जीवन या मूल्यह्रास की दरों का प्रकटन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 118 के प्रावधानों के उल्लंघन में, अमूर्त परिसंपत्तियों के मामले में उपयोग की जाने वाली उपयोगी जीवन या परिशोधन दरों का भी खुलासा नहीं किया गया है।

इस प्रकार, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।

लेखों पर टिप्पणियाँ (टिप्पणी–33)

2. उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (वितरण और संचरण के लिए बहु–वर्षीय प्रशुल्क) विनियम 2019 के अनुच्छेद 28.3 के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों (टिप्पणी–1) के अनुच्छेद VI(ए) के अनुसार, यदि इन विनियमों के अन्तर्गत देय शुल्कों के किसी भी बिल के भुगतान में पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ता द्वारा बिलों की प्रस्तुति की तिथि से 30 दिनों की अवधि से अधिक समय लगता है, तो संचरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा 1.25% प्रति माह की दर से विलंब भुगतान, अधिभार (एलपीएस) लगाया जाएगा।

कंपनी अपने ग्राहकों (वितरण कम्पनियों को छोड़कर) पारेषण और ऊर्जा निर्यात शुल्क के भुगतान में देरी के लिए एलपीएस लगा रही है परन्तु, वितरण कम्पनियों के मामले में, कंपनी ने उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (वितरण और ट्रांसमिशन के लिए बहु–वर्षीय प्रशुल्क) विनियम, 2019 के अनुच्छेद 28.3 के प्रावधानों के उल्लंघन में पारेषण और ऊर्जा निर्यात शुल्क से संबंधित ₹ 5,874.59 करोड़ (31.03.2024 तक) की बकाया राशि पर एलपीएस नहीं लगाया है।

परन्तु, उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ–साथ डिस्कॉम से वसूली योग्य बकाया पर एलपीएस के न लगाने के कारणों का प्रकटन लेखों की टिप्पणीयों में नहीं किया गया है।

इस प्रकार, लेखों की टिप्पणीयों में उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।

3. लेखों की टिप्पणियों के अनुच्छेद 25 में यह प्रकटन किया गया है कि कंपनी ने चालू वर्ष में क्रमशः बागपत, शाहजहांपुर और सोहावल में 400 केवी उपकेन्द्र के लिए जनवरी 2020 के सीईआरसी आदेश के अनुपालन में द्विपक्षीय पारेषण शुल्क के संबंध में पीजीसीआईएल को ₹47.14 करोड़ की राशि का भुगतान किया है। हालांकि, उपरोक्त राशि का भुगतान अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 के सीईआरसी आदेशों के अनुपालन में (चालू वर्ष) 2023–24 के स्थान पर वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया था।
इस प्रकार, लेखों की टिप्पणियों में उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।

ब. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

4. सांविधिक लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कुछ आवश्यक क्षेत्रों को सम्बोधित नहीं किया गया है। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (जैसा कि संशोधित किया गया है) और कंपनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 का विवरण जैसाकि निम्नवत् व्यवहृत हैः–

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 (एफ) और (एच) के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित से संबंधित तथ्यों का प्रकटन न करना :

- वित्तीय लेन–देनों या अभिलेखों पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ जिनका कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई मर्यादित, आरक्षित या प्रतिकूल टिप्पणी।

ख. कंपनी (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (जैसा संशोधित) के नियम 11 (जी) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 3 के अन्तर्गत तथ्यों का प्रकटन न करनाः

क्या कंपनी ने 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में, अपने लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा सत्यापन (लॉग संपादित) दर्ज करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए इसे पूरे वर्ष संचालित किया गया है और लेखा सत्यापन सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और सूचना प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा सत्यापन को संरक्षित किया गया है।

ग. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुच्छेद 3 (i) (ए) (अ) और (ब) के तहत तथ्यों का प्रकटन न करनाः

- क्या कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख रख रही है।
- क्या कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख रख रही है।

इस प्रकार, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।

5. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, के दिनांक 26 अगस्त 2010 के निर्देशों के उल्लंघन में सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में रु0 आदि के स्थान पर रुपये के प्रतीक ''₹'' का उपयोग नहीं किया है।

इस प्रकार, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उपरोक्त सीमा तक अपूर्ण है।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की ओर से

–ह–

स्थान : लखनऊ
दिनांक :

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा–II)

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–II), उ.प्र.
"ऑडिट भवन", टीसी–35–V–1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

सत्यमेव जयते

पत्रांकः म.ले. (ऑडिट–II)/ए.एम.जी.–II/लेखा/उ.प्र.पा.ट्रां.कॉ.लि./2023–24/271 दिनांक : 08.01.2025

सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग,
उत्तर प्रदेश।

विषय : 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रबंधकीय पत्र।

महोदय,
आपको सूचित कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा संपादित की गयी है। लेखों पर आपत्तियां सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस सम्बन्ध में प्रबंधन द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा आगामी वर्ष की लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान की जाएगी। अतः अनुरोध है कि उक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही कम्पनी के आगामी लेखाओं मे करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक :यथोपरि

–ह.–
वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(ए.एम.जी.-II)

दूरभाष–0522–2984691, 2970540 फैक्स–0522–2722106

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर जारी आपत्तियों पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंधन का ध्यान आकर्षित कराने हेतु प्रबन्धक के पत्रांक म.ले.(आडिट–II)/ए.एम.जी.–II /लेखा/उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि./ 2023–24/271 दिनांक : 08.01.2025 का अनुलग्नक

लाभ प्रदता पर टिप्पणियां

लाभ और हानि का विवरण

परिचालन से राजस्व आय (टिप्पणी–23): ₹3,84,411.58 लाख

ओपीजीडब्ल्यू तन्तु का किराया (₹871.18 लाख)

1. यूपीईआरसी ने 02 नवंबर 2022 के अपने आदेश के माध्यम से उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि. को अपनी पारेषण परिसंपत्तियों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए अन्य व्यवसायों को शामिल करने की अनुमति दी। तदनुसार, ओपीजीडब्ल्यू तन्त्र के उपयोग को अनुकूलित करने के साथ–साथ अतिरिक्त क्षमता के मुद्रीकरण के लिए अपने ओपीजीडब्ल्यू तन्त्र के अनुपयोगी तन्तुओं की पट्टे पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं।
   तदनुसार, कंपनी ने 'परिचालन से राजस्व' शीर्षक के तहत प्रकाशित तन्तु भूमिगत तार (ओपीजीडब्ल्यू) के किराये के माध्यम से प्राप्त पट्टे के किराए के कारण ₹871.18 लाख की राशि लेखांकित की। सम्प्रेक्षा में पाया गया कि कंपनी ने प्रकाशित तन्तु तार (पीजी सीआई एल) के उपयोग के लिए पट्टे के किराए के रूप में ₹296.06 लाख रुपये की राशि भी अर्जित की है, लेकिन 'राजस्व से संचालन' शीर्षक के अन्तर्गत लेखांकित करने के स्थान पर, कंपनी ने इसे 'अन्य आय' शीर्षक के अन्तर्गत लेखांकित किया है।
   इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप ₹296.06 लाख मूल्य की सीमा तक प्रत्येक शीर्षक ''संचालन से राजस्व''अवमूल्यित तथा ''अन्य आय'' अधिमूल्यित'' की सीमा तक 'अन्य आय' का अति कथन किया गया है।

अन्य आय (टिप्पणी–24): ₹53,866.30 लाख

रखरखाव और बंदी शुल्क (₹4,549.49 लाख)

2. भारतीय लेखा मानक–18 के अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान है कि जब सेवाओं के प्रदान करने से जुड़े लेनदेन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो लेनदेन से जुड़े राजस्व को प्रतिवेदन अवधि के अंत में लेनदेन के पूरा होने के चरण के संदर्भ में पहचाना जाएगा।
   सम्प्रेक्षा में पाया गया कि कंपनी वाह्य संस्थाओं से बंदी शुल्क एकत्र कर रही है ताकि उन्हें तार स्थानान्तरण कार्य को निष्पादित करने और तार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए बंदी की अनुमति देने के कारण होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके। कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान बंदी शुल्क के रूप में ₹21.87 लाख लेखांकित किए हैं। जिसमें से वि.पा.ख.–I, लखनऊ ने ₹824 लाख के बंदी शुल्क से राजस्व बुक किया है। जांच के दौरान पता चला कि ₹824 लाख की पूरी राशि 2023–24 से पहले की अवधि से संबंधित थी। इन कार्यों के सापेक्ष बंदी का काम भी 2023–34 की अवधि से पहले पूरा हो गया था। इसलिए, भारतीय लेखा मानक–18 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी को काम पूरा होने के वर्ष में ही इस राजस्व को लेखांकित करने की आवश्यकता थी।
   इस प्रकार, भारतीय लेखा मानक–18 के गैर–अनुपालन के कारण, यह परिणित हुआ कि 'अन्य समता' का अवमूल्यित एवं 'अन्य आय' का अधिमूल्यित हुआ है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के लिए 'लाभ' का प्रत्येक शीर्ष पर ₹824 लाख की सीमा तक अधिमूल्यित हुआ है।

अन्य गैर–परिचालन आय

विविध प्राप्तियाँ (₹2671.86 लाख)

3. उपरोक्त में वित्तीय वर्ष 2023–24 से संबंधित ग्राहकों द्वारा पारेषण और व्हीलिंग शुल्क के भुगतान में देरी पर भुगतान प्रशुल्क (एलपीएस) के कारण ₹106.66 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं है। कंपनी ने उपरोक्त एलपीएस को वित्तीय वर्ष 2023–24 के स्थान पर 2024–25 मे लेखांकित किया।
   इसके परिणामस्वरूप ₹106.66 लाख से प्रत्येक शीर्ष ''अन्य आय'' अवमूल्यित'' व्यापारिक प्राप्य'' अधिमूल्यित है। परिणामतः इस सीमा तक वर्ष का लाभ भी अवमूल्यित रहा।

–ह.–
वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(ए.एम.जी.-II)

सी. एस. गुंजन गोयल
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव

फार्म नं एम आर–3
सचिवीय सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2044 के नियम सं.–9 के अनुसार।

दिनांक 31–03–2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु

सेवा में,
सदस्यगण,
उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ–226001
सी.आई.एन.–यू40101यूपी2004एसजीसी02868

मेरे द्वारा उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, (एतद्वारा कम्पनी से सम्बोधित) में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कम्पनी में अच्छी निगमित प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय सम्प्रेक्षण किया गया है। सचिवीय सम्प्रेक्षण इस ढंग से किया गया है जिससे मुझे निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने तथा उक्त मूल्यांकन पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु यथोचित आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी के लेखों, दस्तावेज, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न एवं कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेख एवं कंपनी के संचालन के दौरान, कंपनी इसके अधिकारियों, सचिवीय सम्प्रेक्षक द्वारा संचालित एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा परीक्षण किया गया, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट करने वाली सम्प्रेक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन हैं–इसके बाद ढंग से की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसके अधीन तंत्र मौजूद हैः

मैंने प्रावधानों के अनुसार 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ("कंपनी") द्वारा रखी गई लेखों, दस्तावेजों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न एवं अन्य अभिलेखों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमय

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियमः– लागू नहीं

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम – लागू नहीं

सी. एस. गुंजन गोयल
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1992 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम :– लागू नहीं

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1999 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :– लागू नहीं

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011:– लागू नहीं

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 :– लागू नहीं

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दे) विनियम, 2011:– लागू नहीं

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 :– लागू नहीं

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 :– लागू नहीं

(एफ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 :– लागू नहीं

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 एवं :–लागू नहीं

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 :– लागू नहीं

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(आई) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

टिप्पणी :–

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2023 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था। वार्षिक साधारण सभा 21.09.2023 को आयोजित की गयी। इस सभा में कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) अंगीकृत कराये जाने हेतु तैयार नहीं थे तथा यह साधारण सभा स्थगित कर दी गयी, अतएव कम्पनी वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक लेखों को इस वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत नहीं कराए जा पाने के कारण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन करने में कम्पनी विफल रही है।

सी. एस. गुंजन गोयल
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन करते है, ऐसी समिति के संयोजन में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमीय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते है, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सामाजिक दायित्व समिति के संरचना में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी ने न तो अपने निदेशक मंडल के संयोजन में, न ही सम्प्रेक्षा समिति और निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है।

मुझे अग्रेतर प्रतिवेदित करना है कि इस सम्प्रेक्षा में प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर को सम्मिलित करते हुए प्रभावी वित्तीय अधिनियमों की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इस विषय पर सांविधिक सम्प्रेक्षक तथा अन्य नामित पेशेवर के स्तर पर समीक्षा की जानी है।

मुझे अग्रेतर प्रतिवेदित करना है कि उपरोक्त कथनों के प्रतिबन्धाधीन कम्पनी के निदेशक मण्डल का स्वरूप कार्यपालक निदेशक, एवं गैर कार्यपालक निदेशक के उचित संतुलन के साथ उपयुक्त रूप से गठित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के स्वरूप में जो भी परिवर्तन हुए वे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही किए गए है। समस्त निदेशकों को निदेशक मण्डल की बैठकों के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना दी गई है। एजेण्डा तथा एजेण्डा पर विस्तृत नोट पहले से ही प्रेषित कर दिये गये थे तथा बैठक को सार्थक प्रतिभागिता हेतु बैठक से पूर्व ऐजेण्डा बिन्दुओं पर और ज्यादा सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु समुचित प्रणाली विद्यमान है। निदेशक मण्डल की बैठकों मे प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित करते हुये कार्यवृत्त में दर्ज किया गया।

मुझे अग्रेतर प्रतिवेदित करना है कि कम्पनी के आकार एवं परिचालनों की अनुरूपता में प्रभावी अधिनियमों, नियमों, विनियमो तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा उसकी देखरेख हेतु कम्पनी में समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया विद्यमान है।

–ह.–
(गुंजन गोयल)
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफ.सी.एस. : 11565 सी.पी.नं.16350
यूडिन : एफ011565एफ003367830

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 12.11.2024

सेवा में,
सदस्यगण,
उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ–226001
सी.आई.एन.–यू40101यूपी2004एसजीसी02868

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों को बनाए रखें, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमने इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया है कि क्या कंपनी द्वारा तैयार किए गए बयान, दस्तावेज या रिकॉर्ड गलत कथन से मुक्त हैं।
3. लेखा परीक्षा लागू लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित की गई है।
4. हमारी जिम्मेदारी है कि हम केवल एकत्र किए गए साक्ष्यों, प्राप्त जानकारी और कंपनी द्वारा बनाए गए या प्रबंधन द्वारा दिए गए अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
5. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले इन सचिवीय अभिलेखों, मानकों और प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है।
6. हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त ऑडिट साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
7. जहाँ भी आवश्यकता होती है, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
8. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रिया का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, सत्यापन प्रासंगिक और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर किया गया था।
9. कंपनी ने अपने अभिलेखों, दस्तावेजों, विवरणों को बनाए रखने में लागू कानूनों, अधिनियमों, नियमों या विनियमों का पालन किया है या किसी भी निगमित कार्रवाई करते समय लागू कानूनों या नियमों का पालन किया है।
10. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलतियों या भौतिक गैर–अनुपालनों का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा उचित रूप से योजनाबद्ध हो और मानकों के अनुसार निष्पादित हो।

योग्य अभिमत

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी के लिए और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है। 'अभिमत के आधार' के तहत वर्णित मामलों को छोड़कर और हम निष्कर्ष निकालते हैं किः

क. समयसीमा और प्रक्रिया के संदर्भ में लागू कानूनों का उचित अनुपालन है। तथा

ख. मेरे द्वारा समग्र रूप से सत्यापित ऑडिट के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड गलत कथन से मुक्त हैं और लागू कानूनों के अनुसार बनाए रखे गए हैं।

अभिमत का आधार

योग्य राय के मामले के आधार को संलग्न एम. आर.–3 में अवलोकन शीर्षक के तहत वर्णित किया गया है।

अस्वीकरण

11. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

12. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है, अभी तक यह हमारे लेखा परीक्षा से संबंधित मामलों से संबंधित नहीं है।

–ह.–
(गुंजन गोयल)
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफ.सी.एस. : 11565 सी.पी.नं.16350
यूडिन : एफ011565एफ003367830

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 12.11.2024

सीआईएन : यू40101यूपी2004एसजीसी028687